भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस।

(सिविल अपील सं. *2217-2218 2021* का*)*

17 जून, *2021*

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

कृष्णा मुरारी, जे. जे.*]*

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962-ss. 2 (33) , 11 (1)* और *111 (*डी*)* आयात

' निषिद्ध माल '-द्वारा जारी किए गए निर्देशों से व्यथित अपीलार्थी

आदेशों के अनुपालन के लिए अपने रिट अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय-में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित मूल दिनांक *28.08.2020*

सीमा शुल्क और इसके परिणामस्वरूप, द्वारा आयातित वस्तुओं को जारी करने के लिए

निजी उत्तरदाता, हालांकि अपीलकर्ताओं के अनुसार, विचाराधीन माल पूरी तरह से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी थे-माल की प्रकृति

एक लाइसेंस-प्रतिबंध का अक्षर और भावना यह थी कि, कोई भी निर्दिष्ट मात्रा से अधिक आयात स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था और

निषिद्ध-विचाराधीन माल, दिनांक *29.03.2019* द्वारा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन में आयात किया गया है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ दिनांकित *16.04.2019* का व्यापार नोटिस भी,

डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी किया गया; और अनुमत सीमा से अधिक आयात का होना। मात्रा और बिना लाइसेंस के, इस उद्देश्य के लिए 'माल' प्रतिबंधित थे

सीमा शुल्क अधिनियम-विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियमन*)*

अधिनियम, *1992* एस। *3 .*

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 - s.125*-निषिद्ध वस्तुओं का आयात 'और

' अन्य वस्तुएँ '-एस के अंतिम भाग के बीच अंतर। *125* बाध्यकारी

ज़ब्त की गई वस्तुओं *(*अर्थात, निषिद्ध वस्तुओं के अलावा*)* को मोचन जुर्माने के विरुद्ध जारी करना, लेकिन इस प्रावधान के पूर्व भाग में

निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और इसे छोड़ दिया जाता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर कि वह एक

अगर

ज़ब्ती के बदले जुर्माने के भुगतान का विकल्प

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस तरह का विकल्प देने का विकल्प नहीं चुनता है, इसका परिणाम पूर्ण रूप से ज़ब्त करने का होगा-लागू किए जाने वाले सिद्धांत

एस के पहले भाग में उपलब्ध विवेक के प्रयोग के लिए। *125 (1)* आयोजित किया गयाः विवेक का अभ्यास एक महत्वपूर्ण और गंभीर अभ्यास है,

तर्कसंगत और सावधानी से किया गया और कानून द्वारा निर्देशित; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार; और प्रासंगिक विचारों के आधार पर-निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास इस तरह के विवेकाधिकार को छोड़ने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तुओं को छोड़ने या पूरी तरह से जब्त करने के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्ष और विपक्ष को तौला जाएगा-तथ्यों, आदेशों पर-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के मूल दिनांक *28.08.2020* को विवेक के उचित अभ्यास में पारित किया गया नहीं कहा जा सकता है-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस बात पर विचार करने के लिए भी विराम नहीं दिया कि क्या अन्य

एस के पहले भाग के अनुसार पूर्ण जब्ती का विकल्प उसके विवेकाधिकार पर उपलब्ध था। *125 (1)* सीमा शुल्क अधिनियम और इस तरह की कार्रवाई जैसे कि उसे ज़ब्त करने के बदले में जुर्माने के भुगतान का विकल्प देना है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेक का ऐसा प्रयोग सचेत होने के बजाय अनुमानात्मक और अनुष्ठानिक प्रकृति का था।

और लागू सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन-जब आयातकों के व्यक्तिगत व्यावसायिक हित सार्वजनिक हित से टकराते हैं, तो पहले वाले को, जाहिर है, बाद वाले को रास्ता देना पड़ता है।

अनुचित तरीके से आयातित वस्तुओं को देश के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, अधिसूचनाओं का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा-वर्तमान प्रकृति के मामलों में विवेक का उपयोग केवल आयातकों द्वारा सुझाए गए कठिनाइयों के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह के अनुचित आयात किए हैं।

अन्य वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला आयातक-इक्विटी के नाम पर कोई नरमी का दावा आयातकों द्वारा नहीं किया जा सकता है-प्रतिवादी आयातक अनुचित आयात के लिए जिम्मेदार होने के साथ-साथ वर्तमान मुकदमेबाजी के लिए भी, अन्य परिणामों के अलावा, भारी लागत के साथ बोझिल होने के योग्य हैं-

प्रतिवादी-आयातकों को अपीलकर्ताओं को मुकदमेबाजी की लागत का भुगतान करने के लिए, जिसकी मात्रा रु। *2,00,000 / -* प्रत्येक।

आयात-निर्यात-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ज़ब्त करने का आदेश देते हुए आयातकों को ज़ब्त करने के बदले जुर्माने के भुगतान पर माल को भुनाने का विकल्प दिया। *125 (1)* सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हालांकि, डी. जी. एफ. टी. ने रिहाई के खिलाफ आपत्ति जताई

यह कहते हुए कि वे ही प्रतिबंधित वस्तुएँ थीं-आयातकों *(*निजी उत्तरदाताओं*)* ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

भारत और ओ. आर. एस. के माल संघ की मंजूरी के लिए अनिवार्यता की मांग करने वाली अलग-अलग रिट याचिकाएं।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस।

यू/एस। *129* सीमा शुल्क अधिनियम का डी *(2)*, निर्णय आदेशों में कथित कमियों की ओर इशारा करते हुए; और पहले अपील दायर करने का निर्देश दिया। आयुक्त *(*अपील*)*-इस बीच, उच्च न्यायालय ने दिनांक *15.10.2020* के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि, प्रथम दृष्टया, दिनांक *01.10.2020* के आदेश में बताए गए आधार अवैधता का ऐसा कोई मामला नहीं बनाते हैं।

या एस के तहत आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग के लिए बुलाने के रूप में अनुचितता। *129* सीमा शुल्क अधिनियम के डी *(2)*-यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय ने मामले को आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया-हालाँकि, इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को आयातकों के सामान को तुरंत जारी करने का निर्देश जारी किया-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की वैधता और वैधता-अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक *1* का आदेश अंतर्निहित विरोधाभासों और विसंगतियों से ग्रस्त है और इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है-महत्वपूर्ण रूप से, यदि उच्च न्यायालय के *1* के आदेश का उद्देश्य यह था कि भले ही आयुक्त *(*अपील*)* अपील में मामले का फैसला कर रहे हों, वह माल की पूर्ण जब्ती का आदेश नहीं दे सकते थे क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था, तो यह तुरंत स्थिति की ओर ले जाएगा

कि उच्च न्यायालय के दिनांक *1* के आदेश में अंतर्निहित विरोधाभास थे-यदि अधिकारियों के पास माल की रिहाई ही एकमात्र विकल्प था, तो अपीलीय प्राधिकरण के विचार के भौतिक हिस्से को पहले ही निरर्थक बना दिया गया था-जब

मामला आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था, न तो कोई अवसर था और न ही उच्च न्यायालय के लिए कोई औचित्य था इस साधारण कारण से माल को जारी करने का आदेश पारित करना कि माल को जारी करने का कोई भी आदेश मामले के भौतिक हिस्से को एक उचित पूर्ति प्रदान करना था-यह, बस, नहीं किया जा सकता था-विरोधाभासों की मौलिक खामियों के अलावा, आदेश

15.10.2020 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश इन कमियों से ग्रस्त है कि माल को जारी करने के लिए आदेश जारी करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखना छोड़ दिया और साथ ही संबंधित विचारों की अनदेखी करते हुए पारित किए गए विवादित आदेश दिनांक *15.10.2020* में आयात से संबंधित भौतिक कारकों को भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

इक्विटी-दावा-आयोजितः एक बार जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि किसी विशेष कार्रवाई की ईमानदारी से आवश्यकता है, तो

अपराधी उसी *[2021] 12* एस. सी. आर. के संबंध में इक्विटी में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्रवाई-एक दावेदार में ईमानदारी की अनुपस्थिति और उसका इक्विटी का दावा असंगत रहता है और एक साथ खड़ा नहीं हो सकता है।

अंतरिम राहत अनुदान-विवेकाधिकार का मामला

विचार-विमर्शः अंतरिम राहत देने के मामलों में,

केवल पक्षकार के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में न्यायालय की संतुष्टि पर्याप्त नहीं है अन्य तत्व अर्थात सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना।

उनकी अपनी प्रासंगिकता; और अंतरिम राहत के मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और एक विशेष पाठ्यक्रम को अपनाते हुए, न्यायालय को इसकी आवश्यकता है। अन्याय के जोखिम को तौलने के लिए, यदि अंततः मुख्य मामले का निर्णय अंतरिम राहत देने या अस्वीकार करने के समय अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम के विपरीत है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

क्या विचाराधीन वस्तुएँ 'निषिद्ध वस्तुओं' की हैं

श्रेणी*?*

1. इस न्यायालय द्वारा एग्रीकास के मामले में उपरोक्त उद्धृत प्रावधानों के साथ पढ़े गए स्पष्ट निष्कर्ष शायद ही छोड़ते हैं।

इस बात पर संदेह करने के लिए कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(3)* विचाराधीन वस्तुओं पर लागू होती है और अंतरिम आदेशों की आड़ में आयात की गई है, लेकिन इसके विपरीत

विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992* के तहत जारी अधिसूचना और व्यापार सूचना और आवश्यक लाइसेंस के बिना, इन वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत निषिद्ध माल माना जाएगा।

सीमा शुल्क अधिनियम इन वस्तुओं और उनके आयात पर उसी के अनुसार प्रभाव डालेगा। *[* पैरा *65] [451-*सी-ई*]* *2.1* . आयातकों की ओर से यह तर्क कि वस्तु 'प्रतिबंधित' श्रेणी में आती है और 'निषिद्ध' नहीं है

श्रेणी, आधारहीन है और अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। *[* पैरा *66] [451-ई]*

2.2 . वर्तमान मामले में संदर्भित मटर/दालों का आयात एक विशेष मात्रा तक सीमित कर दिया गया है और इसे किया जा सकता है।

केवल एक लाइसेंस के खिलाफ। इस प्रतिबंध की मूल भावना यह है कि निर्दिष्ट मात्रा से परे कोई भी आयात स्पष्ट रूप से भारत और ओआरएस का संघ है।

वी. एम/एस। राज ग्रोव इम्पेक्स एलएलपी और

ओआरएस।

अस्वीकार्य और निषिद्ध है। इस न्यायालय ने इनके आयात की अत्यधिक मात्रा के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला है।

कृषि के मामले में कृषि बाजार अर्थव्यवस्था पर वस्तुएँ। वर्तमान मामले में, मात्रा के आधार पर आयात को सीमित करने की अंतर्निहित विशेषता अत्यधिक भंडार की उपलब्धता और देश के किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। *[*पैरा *67.4*। *3] [455 -* ई-जी*]*

2.3 . विचाराधीन माल, दिनांकित *29.03.2019* अधिसूचनाओं और व्यापार के उल्लंघन में आयात किया गया है।

दिनांकित सूचना *16.04.2019;* और अनुमेय मात्रा से अधिक और बिना लाइसेंस के आयात होने के कारण, 'निषिद्ध वस्तु' हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के उद्देश्य के लिए। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा मूल दिनांक *28.08.2020* वाले आदेशों में भी, यह स्पष्ट रूप से था

अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन वस्तुएँ निषिद्ध वस्तुएँ थीं।

*[*पैरा *68] [455-*एच*; 456-*ए*]*

2.4 . आयातकों की ओर से अनावश्यक और आधारहीन तर्क दिए गए कि विचाराधीन माल 'प्रतिबंधित' श्रेणी के हैं, 'प्रतिबंधित' अभिव्यक्ति के संदर्भ में इसलिए डी. जी. एफ. टी. या एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के अन्य प्रावधानों द्वारा दिए गए सामान्य उत्तरों के संदर्भ में प्रश्नगत अधिसूचनाओं के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने को अस्वीकार कर दिया जाता है। विचाराधीन वस्तुएँ 'निषिद्ध वस्तुओं' की श्रेणी में आती हैं। *[*पैरा *68.1] [456-*बी*]*

क्या विचाराधीन माल पूर्ण रूप से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं*?*

3. एक बार जब यह स्पष्ट हो जाए कि विचाराधीन वस्तुएँ अनुचित हैं

आयातित और 'निषिद्ध वस्तुओं' की श्रेणी में आने वाले, सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* के अध्याय *XIV* में निहित प्रावधान लागू होते हैं और विषय वस्तुएं -

अन्य परिणामों के अलावा ज़ब्ती। *[*पैरा *69] [456-*सी-डी*]* *4.* सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125 (1)* को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है।

'निषिद्ध वस्तुएँ और 'अन्य वस्तुएँ'। धारा *125* के उत्तरार्द्ध भाग में ज़ब्त किए गए माल *(*यानी, निषिद्ध माल के अलावा*)* को मोचन जुर्माने के खिलाफ जारी करने की बाध्यता है, लेकिन इस प्रावधान के पूर्ववर्ती भाग में इस संबंध में कोई बाध्यता नहीं है - निषिद्ध सामान; और यह न्यायनिर्णायक *[2021] 12* एस. सी. आर. के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राधिकरण कि वह ज़ब्ती के बदले में जुर्माने के भुगतान का विकल्प दे सकता है। इस प्रावधान में यह सहज है कि यदि न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण इस तरह का विकल्प देने का विकल्प नहीं चुनता है, परिणाम होगा पूर्ण रूप से ज़ब्त किया जाए। *[*पारस *69* और *69.1] [456*-जी; *457*-ए-बी*]*

5.1 . विवेक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और गंभीर अभ्यास है, जिसे तर्कसंगत और सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे कानून द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। खोज यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या उचित है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्य करने वाले प्राधिकरण को, जब उसकी धारा *125* द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, यह सुनिश्चित करना होता है कि इस तरह की कवायद अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति को आगे बढ़ाने में है

ऐसी शक्ति प्रदान करना। निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास इस तरह के विवेकाधिकार को छोड़ने के पीछे का उद्देश्य, स्पष्ट रूप से, यह सुनिश्चित करना है कि रिहाई या पूर्ण के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्ष और विपक्ष को तौला जाएगा।

माल की जब्ती। *[*पैरा *79] [465*-एफ-एच*]*

5.2 . यह स्पष्ट है कि सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश

*(*न्यायनिर्णायक प्राधिकरण*)* को विवेक के उचित प्रयोग में पारित किया गया नहीं कहा जा सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात पर विचार करने के लिए भी नहीं रुका कि क्या निरपेक्ष का दूसरा विकल्प है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125 (1)* के पहले भाग के अनुसार उसके विवेकाधिकार पर ज़ब्ती उपलब्ध थी और इस तरह आगे बढ़ी जैसे कि उसे ज़ब्ती के बदले जुर्माने के भुगतान का विकल्प देना हो। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेक का ऐसा प्रयोग किया गया था

जागरूक होने के बजाय अनुमानात्मक और अनुष्ठानवादी प्रकृति के साथ-साथ लागू होने वाले सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन करना। द.

दूसरी ओर, अपीलीय प्राधिकरण ने विभिन्न कारण बताए हैं कि वर्तमान मामले में पूर्ण जब्ती का विकल्प ही विवेक का एकमात्र उचित प्रयोग क्यों था। दिए गए कारण

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील में विवेकाधिकार के प्रयोग के सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। *[*पैरा *80] [466*-ए-डी*]*

5.3 . वर्तमान मामलों में शामिल निषेध, एक से परे विचाराधीन वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं देना

विशेष मात्रा, एक निषेध सरलीकरण नहीं था।

यह भारत और ओआरएस का संघ था। वी. एम/एस। राज ग्रोव इम्पेक्स एलएलपी और

ओआरएस।

एक ओर किसानों के हितों और दूसरी ओर आयातकों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रदान किया गया दूसरा। घरेलू बाजार में इन प्रतिबंधित वस्तुओं के किसी भी प्रवाह का देश की बाजार अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। इस न्यायालय ने कृषि मामले में अंतरिम आदेशों की आड़ में पिछले वर्ष में इस तरह के अनुचित आयात के व्यापक प्रभाव को व्यापक रूप से देखा। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि आयात प्रामाणिक नहीं थे और आयातकों द्वारा केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए थे। *[* पैरा *81] [466*-डी-एफ*]*

6. इस मामले का सार और सार यह है कि आयात के संबंध में, आयातकों के व्यक्तिगत हित

अनुचित आयात करने वालों को हितों के खिलाफ खड़ा किया जाता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से किसानों के हित।

इन मामलों में विवेक का उपयोग किस दिशा में किया जाना चाहिए, यह पता लगाने के लिए केवल यही कारक पर्याप्त है। जब आयातकों के व्यक्तिगत व्यावसायिक हित सार्वजनिक हित से टकराते हैं, तो पहले वाले को, जाहिर है, दूसरे को रास्ता देना पड़ता है। इसके अलावा, यदि अत्यधिक अनुचित रूप से आयातित मटर/दालों को देश के बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो अधिसूचनाओं का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव वाले वर्तमान प्रकृति के मामलों में विवेकाधिकार का उपयोग केवल उनके द्वारा सुझाए गए कठिनाइयों के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है।

आयातक, जिन्होंने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह के अनुचित आयात किए थे। विचाराधीन आयात कानून के उल्लंघन के साथ-साथ ईमानदारी की कमी और एकमात्र उचित अभ्यास से पीड़ित हैं। विवेकाधिकार पूर्ण रूप से ज़ब्त करने और यह सुनिश्चित करने का होगा कि ये दागी सामान भारतीय बाजारों में प्रवेश न करें। ऐसे आयातकों पर जुर्माना लगाना और उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाना, जो माल के कुछ हिस्से को जारी करने में सक्षम रहे हैं, स्पष्ट रूप से आवश्यक है। *[* पैरा *82] [466*-एफ-एच*; 467*-ए-बी*]*

7. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर,

विवेकाधिकार केवल जुर्माना लगाने के साथ पूर्ण जब्ती के लिए हो सकता है। अधिक से अधिक, आयातकों को पुनः निर्यात का विकल्प दिया जा सकता है और वह भी मोचन जुर्माने के भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन पर। आदेश-मूल दिनांक *28.08.2020* में अनुमोदित नहीं किए जा सकते हैं। आवश्यकता के रूप में

नतीजतन, दिनांकित *24.12.2020* आदेश-इन-अपील होने के योग्य हैं स्वीकृत किया गया। *[* पारस *84* और *85] [467*-जी-एच*; 468*-ए-बी*] [2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयातकों द्वारा इक्विटी का आह्वान

8. आयातकों की ओर से इक्विटी का आह्वान करते हुए यह प्रस्तुत करते हुए विभिन्न प्रस्तुतियाँ की गईं कि उन्हें पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है

भारी नुकसान और यहां तक कि वस्तु वस्तुओं का पुनः निर्यात भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। हालांकि, इन आयातकों द्वारा इक्विटी के नाम पर कोई नरमी का दावा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इन मामलों में समानता के किसी भी आह्वान को विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है।

कृषि में इस न्यायालय द्वारा प्रामाणिक आयात के दावे की अस्वीकृति। एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि किसी विशेष कार्रवाई की ईमानदारी से आवश्यकता है, तो अपराधी उसी कार्रवाई के संबंध में समानता में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकता है। दावेदार में ईमानदारी की अनुपस्थिति और उसका इक्विटी का दावा असंगत रहता है और एक साथ खड़ा नहीं हो सकता है। *[* पैरा *86,86.1] [468-*बी-ई*]*

वैधानिक अपील के लिए मुद्दों को खुला रखने के लिए प्रार्थना

9. आयातकों के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. में आगे की वैधानिक अपील के अवसर को खुला रखने के लिए प्रार्थना की गई थी। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह की प्रार्थना में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, लेकिन पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए

परिस्थितियों में, कम से कम उत्तरदाताओं के संबंध में मुकदमेबाजी के आगे के दौर के लिए किसी भी स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है और मामलों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। दिनांकित *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील के खिलाफ अपील दायर करने के लिए किसी भी प्रार्थना की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। *[* पारस *87,90] [468-*एच*; 469-*ए*; 470-*ए-बी*]*

संयोगवशः अनुदान या अस्वीकृति से संबंधित सिद्धांत

अंतरिम राहत

10.1 . वर्तमान विवाद का मूल कारण विचाराधीन अधिसूचनाओं में उतना नहीं था जितना कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में था। केवल ऐसे अंतरिम आदेशों की आड़ में कि आयातकों ने आयात लेनदेन में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बंदरगाहों तक पहुँचने वाली अधिसूचनाओं द्वारा अनुमत मटर/दालों की मात्रा अधिक हो गई। जैसा कि वर्तमान मामलों में देखा गया है, इस तरह से आयातित कुछ वस्तुओं को छोड़ दिया गया और आयुक्त *(*अपील*)* को उस पहलू को उचित रूप से पूरा करना पड़ा। इस न्यायालय द्वारा एग्रीकास में जो निर्णय दिया गया है, और आगे इस निर्णय में जो निर्णय दिया गया है, उसके लिए, विचाराधीन वस्तुओं को भारतीय बाजार में नहीं मिलाया जाना था।

इस तरह का मिश्रण, भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रोव इम्पेक्स एलएलपी और

ओआरएस।

जाहिर है, इसका कृषि बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था और भारत सरकार की नीति को पराजित करता है। यह

इस स्थिति से बचा जा सकता था और इससे बचा जा सकता था यदि अंतरिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित न्यायालय इसके निहितार्थ और प्रभाव पर विचार करने के लिए रुक जाते। अंतरिम आदेश, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए थे,

अनिवार्य निषेधाज्ञा के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत अपीलकर्ता माल को भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए बाध्य थे, भले ही अधिसूचनाएं ऐसे किसी भी आयात को प्रतिबंधित कर रही हों। भले ही अंतरिम राहत देना विवेकाधिकार का मामला है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करने की आवश्यकता है। *[*पैरा *91,91.1] [470-*बी-एफ*]*

10.2 . अंतरिम राहत देने के मामलों में, न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में संतुष्टि

दावेदार पर्याप्त नहीं है। अन्य तत्व अर्थात सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना, खाली औपचारिकता के नहीं हैं और अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। और अंतरिम राहत के मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और एक विशेष को अपनाते हुए

अंतरिम राहत देने या अस्वीकार करने के समय अपनाया गया। *[*पैरा *92] [470-*जी-एच*; 471-*ए*]*
10.3 . वर्तमान मामलों में सीमा स्तर पर पूछे जाने वाले सरल प्रश्नों में से एक यह था कि क्या

अंतरिम राहत से इनकार किए जाने की स्थिति में आयातकों *(*रिट याचिकाकर्ताओं*)* को अपूरणीय क्षति होने की संभावना थी और वे अंततः रिट याचिकाओं में सफल होने वाले थे। इस सवाल का सीधा जवाब

यह स्पष्ट कर दिया होता कि उनकी चोट, यदि बिल्कुल भी होती, तो लाभ की कुछ मात्रा की हानि होती, जिसे हमेशा मौद्रिक संदर्भ में मापा जा सकता था और आमतौर पर, इसे अपूरणीय नहीं माना जा सकता था। एक और सरल लेकिन प्रासंगिक प्रश्न सुविधा के संतुलन के तत्व के बारे में रहा होगा; और उसी के एक सरल उत्तर से यह पता चलता कि आयातकों को जो असुविधा होने वाली थी

क्योंकि विचाराधीन अधिसूचनाएँ अपीलार्थियों को होने वाली असुविधा की तुलना में बहुत कम थीं *(*

राष्ट्रीय हित पर अंतिम प्रभाव*)* यदि अधिसूचनाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई थी और इस तरह, भारत के बाजार *[2021] 12* एस. सी. आर. थे।

उक्त आयातित की अत्यधिक मात्रा के साथ बाढ़ की अनुमति दी गई

मटर/दालें। *[पैरा 93] [472-ई-जी]*

10.4 . वास्तव में, पहले के वर्षों में पारित स्थगन आदेशों के परिणाम को इस न्यायालय द्वारा कृषि मामले में विधिवत रूप से देखा गया था; और

दुर्भाग्य से, दिनांकित *29.03.2019* अधिसूचनाओं के संबंध में पारित अंतरिम आदेशों की आड़ में किए गए आयात के कारण बाजारों में कमोबेश वही प्रतिकूल परिणाम मंडरा रहे थे। ऐसा होने की संभावना नहीं थी यदि रिट याचिकाओं में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं पर विचार करते समय सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति से संबंधित भौतिक कारकों को ध्यान में रखा गया था। इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में एग्रीकास में घोषणा की थी कि आयातकों को आयात को प्रभावित करने में किसी भी प्रामाणिक विश्वास के तहत नहीं कहा जा सकता है।

अंतरिम आदेशों की आड़ में; और उन्हें कानून में परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि यह सब

यदि इन मामलों में कोई अंतरिम राहत देने से पहले निहितार्थ को ध्यान में रखा गया था तो इससे बचा जा सकता था। *[पैरा 94] [472-एच; 473-ए-बी]*

सारांश

11. विचाराधीन माल को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन पुनः निर्यात की अनुमति में छूट के साथ,

आवश्यक मोचन जुर्माने का भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले आयातक के अधीन। प्रतिवादी आयातक अनुचित आयात के लिए जिम्मेदार होने के साथ-साथ वर्तमान मुकदमेबाजी के लिए भी, अन्य परिणामों के अलावा, भारी लागत के साथ बोझिल होने के योग्य हैं। प्रत्यर्थी आयातक अपीलार्थियों को इस मुकदमे की लागत का भुगतान करेंगे, जिसकी मात्रा रु। *2,00,000 / - (* दो लाख रुपये*)* प्रत्येक। *[* पारस *96,99] [473-*डी-ई*; 474-*डी*]*

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। अतुल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, *(2019) 3* एस. सी. सी. *539*-लागू नहीं है।

हरगोविंद दास के. जोशी और अन्य। वी. कलेक्टर

सीमा शुल्क और ओआरएस। , *(1987) 2* एससीसी *230* ने समझाया।

सीमा शुल्क आयुक्त *(*आयात*)*, मुंबई बनाम। फिनेस क्रिएशन इंक., *(2009) 248* ईएलटी *122*-प्रतिष्ठित।

भारत संघ और ओआरएस। वी. कृषि एलएलपी और अन्य। , *2020*

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *675*-पर निर्भर था।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रोव इम्पेक्स एलएलपी और

ओआरएस।

गर्ग वूलन मिल्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम एडल्ट। कलेक्टर

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य। *(2006) 10* एससीसी *1: [2006] 8* पूरक। एससीआर *39;* शेख मोहम्मद। उमर वी। सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और अन्यः *(1970) 2* एससीसी *728: [1971] 2* एस. सी. आर. *35;* सीमा शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम ब्रूक्स इंटरनेशनल और ओआरएसः *(2007) 10* एससीसी

396 [2007] 7 एससीआर *791;* ओम प्रकाश भाटिया बनाम।

सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली *(2003) 6* एससीसी *161: [2003] 1* पूरक। एस. सी. आर. *412;* पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स *(*मद्रास*)* प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। *, (1996) 5* एस. सी. सी. *268 [1996] 2* पूरक। एससीआर *662;* एस. बी. इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य। वी. अस्स्टेट। विदेश व्यापार के महानिदेशक और अन्य। *, (1996) 2* एससीसी *439: [1996] 1* एस. सी. आर. *910;* श्री अम्मान धल मिल बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त, *(2021)*

एस. सी. सी. ऑनलाइन केर *362;* यू. पी. राज्य सड़क परिवहन

निगम और एन. आर. वी. मोहम्मद. इस्माइल और ओरस। *, (1991) 3* एससीसी *239: [1991] 2* एस. सी. आर. *274;* सहायक आयुक्त *(*सी. टी.*)* एल. टी. यू., काकीनाडा और अन्य। वी. ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, *2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *440* और दोराब कावासजी वार्डन बनाम। कूमी सोराब वार्डन और अन्य। *, (1990) 2* एससीसी *117: [1990] 1* एससीआर *332 -*

संदर्भित किया गया।

होराइजन फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। , *(2016) 340* ई. एल. टी. *27-*संदर्भित।

रोवर इंटरनेशनल लिमिटेड और ओआरएस। वी. तोप फिल्म बिक्री

लिमिटेड, *[1986] 3* सभी ई. आर. *772-*संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1999) 9 एससीसी *175*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38.2*

[1985] 3 एससीआर *623*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38.2*

[2006] 8 पूरक। एससीआर *39*

संदर्भित किया गया है

पैरा *38.2*

[1971] 2 एससीआर *35*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44.2*

[2007] 7 एससीआर *791*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44.2 [2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2003] 1 पूरक। एससीआर *412*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44.2*

[1996] 2 पूरक। एससीआर *662*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44.3*

[1996] 1 एससीआर *910*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44.3*

(2019) 3 एस. सी. सी. *539*

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा *44.6*

(1987) 2 एससीसी *230*

समझाया।

पैरा *45.6*

[1991] 2 एससीआर *274*

संदर्भित किया गया है

पैरा *47.1*। *2*

[1990] 1 एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

पैरा *92.1*

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। *2217*

18 2021 से।

उच्च न्यायालय के *15.10.2020* दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की रिट याचिका *3502-3503* में बॉम्बे में न्यायपालिका की।

के साथ *2021* की सिविल अपील संख्या *2219*।

एन. वेंकटरमन, एएसजी। , सुश्री बी. सुनीता राव, वी. चंद्र शेखर

भारती, लिज़ मैथ्यू, मुकेश कुमार मारोरिया, बी. कृष्ण प्रसाद, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

रंजीत कुमार, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय बंसल, सुश्री.

एम. जी., वी. सी. शुक्ला, अंबुज दीक्षित, ऋषभ प्रसाद, सुजीत घोष, निशांत कुमार, सुश्री उत्कर्ष शर्मा, नीरज शेखर, अधिवक्ता। के लिए उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

सामग्री *

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा

..... *2*

इस मामले में पक्षकार और उनके संबंधित हित। *10*

प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमि।

... . *14*

एग्रीकास में इस न्यायालय का दिनांकित *26.08.2020* निर्णय।

*सामग्री मूल निर्णय के अनुसार है।

आयन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

आदेश-इन-मूल दिनांक *28.08.2020:* द एडजुडिकेटिंग प्राधिकरण ने मोचन के भुगतान पर माल जारी करने की अनुमति दी

..... *26*

ठीक है। आदेशों के तत्काल सीक्वल-मूल में।

..... *31*

15.10.2020 दिनांकित आदेश और उसका संशोधन दिनांकित

09.12.2020 : उच्च न्यायालय ने रिहाई के लिए आदेश जारी किया

माल की।

..... *39*

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित *24.12.2020* आदेशः आदेश मूल में जुर्माना बढ़ाने के साथ अलग रखा गया.... ..*48*

उच्च न्यायालय में एक और दौरः आदेश के लिए चुनौती-में

अपील दिनांक *24.12.2020* और उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांकित *05.01.2021*।

..... *56*

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ।

..... *59*

निर्धारण के लिए अंक।

..... *77*

उच्च *Court.78* द्वारा पारित आदेशों की वैधता और वैधता क्या विचाराधीन वस्तुएँ 'निषिद्ध वस्तुओं' की हैं

... . *90*

क्या विचाराधीन माल निरपेक्ष के लिए उत्तरदायी है ज़ब्त*?*.....

..... 99

आयातकों द्वारा इक्विटी का आह्वान।

..... 115

वैधानिक अपील के लिए मुद्दों को खुला रखने के लिए प्रार्थना. 116

संयोगवशः अनुदान या अस्वीकृति से संबंधित सिद्धांत अंतरिम राहत।

..... 118

सारांश।

..... 122

निष्कर्ष और निर्देश।

..... 123

प्रारंभिक और संक्षिप्त रूपरेखा

1.छुट्टी दे दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. अपीलों के इस समूह में, भारत संघ और सीमा शुल्क से संबंधित अधिकारियों ने 15.10.2020 दिनांकित आदेशों पर सवाल उठाया है और

05.01.2021 , बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (एल) सं। 3502-3503 2020 की और 2021 की रिट याचिका (एसटी) संख्या 24 क्रमशः 1. अपीलार्थी अनिवार्य रूप से इससे व्यथित हैं -

आदेशों के अनुपालन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश-मूल दिनांक 28.08.2020 में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित सीमा शुल्क, समूह-I, मुंबई और इसके परिणामस्वरूप, निजी उत्तरदाताओं द्वारा आयातित माल को जारी करने के लिए, हालांकि अपीलकर्ताओं के अनुसार, विचाराधीन माल पूरी तरह से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

2.1 . कई मुद्दों और कई पृष्ठभूमि पहलुओं से जुड़ी वर्तमान अपीलों के विषय-वस्तु को देखते हुए, हम कर सकते हैं

लाभप्रद रूप से शुरुआत में मामले की एक संक्षिप्त रूपरेखा और रेखाचित्र बनाएँ।

3. वर्तमान मुकदमे की उत्पत्ति अधिसूचनाओं में निहित है

विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992 2* के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए और साथ ही विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए परिणामी व्यापार नोटिस *3*

कुछ बीन्स, मटर और दालों के आयात को सीमित करना।

3.1 . पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसी अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों को रिट याचिकाओं के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी

जिसमें, विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए और आयातकों ने ऐसे अंतरिम आदेशों के बल पर विभिन्न आयातों को प्रभावित किया। हालाँकि, उक्त रिट याचिकाओं को अंततः उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया और अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली एक याचिका को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। कुछ बीन्स, मटर और दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाद के वर्ष में इसी तरह की अधिसूचनाएं और व्यापार नोटिस जारी किए गए थे।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई और अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अतीत में इसी तरह की चुनौती को अस्वीकार करने के बावजूद, विभिन्न अंतरिम आदेश फिर से पारित किए गए और आयातकों ने फिर से ऐसे अंतरिम आदेशों की आड़ में विभिन्न आयातों को लागू करने के लिए आगे बढ़े। *3.2 .* विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसी चुनौतियों और अंतरिम आदेशों का सामना करते हुए, भारत संघ ने एक ही विषय से संबंधित मामलों को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए विभिन्न स्थानांतरण याचिकाएं दायर कीं। विवाद की प्रकृति और आसपास के कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह

1 आई. ए. में *15.10.2020* दिनांकित आदेश को *09.12.2020* दिनांकित संशोधन आदेश के साथ पढ़ा जाना है। *(*एल*) 2020* की रिट याचिका *(*एल*)* संख्या *3502* में *2020* की संख्या *5735*।

2 इसके बाद इसे 'एफ. टी. डी. आर. अधिनियम' भी कहा जाता है। *3* इसके बाद इसे संक्षेप में 'डी. जी. एफ. टी.' भी कहा जाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित *26.08.2020*। वी. एग्रीकास एलएलपी और *Ors.*[a] केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक *29.03.2019* की अधिसूचनाओं के साथ-साथ डीजीएफटी द्वारा जारी दिनांक *16.04.2019* की परिणामी व्यापार सूचना को भी बरकरार रखते हैं। *3.3 .* आई. डी. *1* दिनांकित उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अन्य निष्कर्षों के अलावा यह अभिनिर्धारित किया कि आयातकों को किसी के अधीन नहीं कहा जा सकता है।

अंतरिम आदेशों की आड़ में आयात को प्रभावी बनाने में प्रामाणिक विश्वास; और उन्हें कानून में परिणामों का सामना करना पड़ेगा। रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अंतरिम आदेशों पर भरोसा करते हुए किया गया आयात एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत जारी उक्त अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिस के विपरीत था और इस तरह से सीमा शुल्क अधिनियम, *19625* के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा। हालाँकि, इस निर्णय ने मुकदमेबाजी को भी शांत नहीं किया है और इस निर्णय के बाद होने वाली घटनाओं ने वर्तमान अपीलों को जन्म दिया है। *4.* इस न्यायालय के दिनांक *26.08.2020* के निर्णय के तुरंत बाद, इन अपीलों के निजी उत्तरदाता, मेसर्स. राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी

और एम/एस। हरिहर संग्रह, जिनके आयातित माल को उक्त अधिसूचनाओं में शामिल नहीं किया गया था, ने संबंधित को संबोधित किया

सीमा शुल्क के अतिरिक्त आयुक्त, समूह-I, मुंबई 6 को निर्णय के दिन ही संचार, यानी 26.08.2020, कारण दर्शाएँ नोटिसों को माफ करने और तत्काल व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करना। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उनके मामलों को प्राथमिकता से लिया और उनके लगभग

समान आदेश-इन-ओरिजिनल डेट 28.08.2020, जब ज़ब्त करने का आदेश देते थे, तो आयातकों को माल को वापस लेने का विकल्प दिया जाता था।

सीमा शुल्क की धारा 125 (1) के तहत जब्ती के बदले जुर्माने का भुगतान एक्ट करें। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों पर कार्रवाई करते हुए, आयातकों ने सीमा शुल्क, मोचन जुर्माना और जुर्माने के लिए कुछ भुगतान किए और शुल्क से प्राप्त किए।

4 चूंकि 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 675 के रूप में रिपोर्ट किया गया है; इसके बाद इसे 'कृषि' के मामले के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 5 इसके बाद इसे 'सीमा शुल्क अधिनियम' भी कहा जाता है। 6 इसके बाद इसे 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' भी कहा जाता है। 7'00 सी 'संक्षेप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. इस तरह के संचार और विचाराधीन माल की रिहाई पर रोक से व्यथित महसूस करते हुए, आयातकों (निजी उत्तरदाताओं) ने अलग-अलग रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अनिवार्य रूप से विचाराधीन माल की मंजूरी के लिए अनिवार्यता की मांग की गई थी। जबकि उक्त रिट याचिकाएं लंबित थीं, सीमा शुल्क आयुक्त (आयात II) ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 डी (2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया, जिसमें न्यायनिर्णयन आदेशों में कथित कमियों की ओर इशारा किया गया और इसके समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया गया।
आयुक्त (अपील) 3. इस प्रकार दायर की गई अपीलों को अंततः अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 24.12.2020 पर अनुमति दी गई। लेकिन इस तरह के फैसले से पहले

अपीलों में, उच्च न्यायालय ने 06.10.2020 पर आयातकों की उक्त रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और 15.10.2020 दिनांकित सामान्य आदेश द्वारा उसी पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा।

5.1 . अपने दिनांकित 15.10.2020 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि, प्रथम दृष्टया, दिनांकित 01.10.2020 के आदेश में बताए गए आधार ने ऐसा किया है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 डी (2) के तहत आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञानात्मक पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अवैधता या अनुचितता का कोई मामला नहीं बनता है। यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को आयुक्त (अपील) द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया। हालाँकि, इसके बाद, उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत माल को जारी नहीं करने के औचित्य या अन्यथा के रूप में प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़े। इस संबंध में, उच्च न्यायालय का विचार था कि जब मूल आदेश क्षेत्र में थे और आयातकों ने शर्तों का पालन किया था

और उसकी शर्तें; और जहां आयातकों को खर्च करना पड़ रहा था

भंडारण के कारण होने वाला खर्च, आगे कोई रोक आयातित माल उचित नहीं था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए

इस बात को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों में तीन प्रमुख घटनाएं हुईं। आयातक मेसर्स द्वारा किए गए आवेदन से संबंधित ऐसी पहली घटना। राज ग्रो इम्पेक्स ने दिनांकित आदेश में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया *8* इसके बाद इसे 'अपीलीय प्राधिकरण' भी कहा जाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

यह एक उचित उपलब्धि है। तीसरी बड़ी घटना में, उक्त आयातक मेसर्स। राज ग्रो इम्पेक्स ने उच्च न्यायालय में एक अन्य रिट याचिका के माध्यम से आदेश-इन-अपील दिनांक *24.12.2020* को चुनौती दी। *05.01.2021* पर इस नई रिट याचिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों के खिलाफ आपत्ति जताई जो, उच्च न्यायालय के अनुसार, अपने दिनांकित *15.10.2020* निर्णय के विपरीत चल रहा था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने आदेश-इन-अपील के संचालन पर रोक लगा दी और संबंधित अधिकारियों को दिनांक *15.10.2020* और *09.12.2020* के आदेशों के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। तीसरी घटना का एक सहायक भाग यह था कि उक्त आयातक ने दिनांकित उपरोक्त आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए एक अवमानना याचिका भी दायर की थी।

09.12.2020 जिसके बाद, *05.01.2021* दिनांकित एक अलग आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताएँ नोटिस जारी किया और उन्हें *21.01.2021* पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। पुनः व्यथित, भारत संघ और उसके संबंधित अधिकारियों ने इन आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः नई रिट याचिका और अवमानना याचिका में पारित किया गया था।

7. उपरोक्त एसएलपी द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों के खिलाफ

उच्च न्यायालय पर *20.01.2021* पर समान रूप से विचार किया गया और नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। बाद में, इन मामलों को विवाद की प्रकृति और इसमें शामिल वस्तुओं को देखते हुए प्राथमिकता से सुनवाई के लिए लिया गया। सुनवाई के दौरान, *18.03.2021* पर, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय में अवमानना कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं पाया और उसे बंद कर दिया। *18.03.2021* पर, इस न्यायालय द्वारा एक और अवलोकन किया गया था

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. का प्रस्तुतिकरण, कि यह खुला था

निजी उत्तरदाताओं को सीमा शुल्क गोदाम में पड़े खराब होने वाले आयातित सामानों को भारत के बाहर फिर से निर्यात करने का विकल्प चुनने के लिए।

8. पूर्वगामी रूपरेखा यह स्पष्ट करती है कि कृषि *(*उपरोक्त*)* के मामले में अधिसूचनाओं और व्यापार *(2021) 12* एस. सी. आर. की वैधता पर निर्णय लेते समय।

नोटिस, इस न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर या उनकी आड़ में किए गए प्रश्नगत आयात को प्रामाणिक माना जा सकता है; लेकिन, दी गई परिस्थितियों और उठाए गए मुद्दों में, इस न्यायालय ने उन वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निपटाने के लिए छोड़ दिया। अब, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विचाराधीन वस्तुओं के लेन-देन ने इस मुकदमे को जन्म दिया है। एक ओर, अपीलकर्ताओं का कहना है कि विषय वस्तुओं को पूरी तरह से जब्त करने की आवश्यकता है अन्यथा, उक्त अधिसूचनाओं और व्यापार सूचना का पूरा उद्देश्य होगा

निराश हों; और इसलिए, वे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हैं, जिसके तहत और जिसके तहत, संबंधित माल को जब्त करने के बदले जुर्माने के भुगतान के साथ जारी किया जाना आवश्यक है। दूसरी ओर, आयातकों का कहना है कि विचाराधीन माल की श्रेणी में नहीं आ रहा है प्रतिबंधित या पूरी तरह से प्रतिबंधित सामान और इसलिए, उन्हें जब्त करने और अन्य आरोपों के बदले जुर्माने के भुगतान के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार वे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों का समर्थन करते हैं।

8.1 . उक्त दो आयातकों के अलावा जिन्होंने अपना दाखिल किया था

उच्च न्यायालय में संबंधित रिट याचिकाएं और जो हमारे समक्ष विचाराधीन आदेशों से सीधे संबंधित हैं, दो और आयातकों ने अभियोग/हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं और कहा है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों की आड़ में भी आयात किया है और उनके मामले अधिकारियों के साथ विभिन्न चरणों में लंबित थे, लेकिन अपीलों के इस सेट में निर्णय से उनके प्रभावित होने की भी संभावना है। वे इस रुख का भी समर्थन करते हैं कि विचाराधीन सामान जारी करने के लिए उपलब्ध हैं और पूर्ण ज़ब्ती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

इस मामले में पक्षकार और उनके संबंधित हित

9. इस मामले की मुख्य विशेषताओं और इसमें शामिल मुद्दों का संकेत देते हुए एक संक्षिप्त रेखाचित्र तैयार करने के बाद, हम इन अपीलों में अपने सामने पक्षकारों के प्रासंगिक विवरणों का संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं

10. सचिव, मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ

वाणिज्य और सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय हमारे समक्ष अपीलकर्ता हैं और उनके साथ वित्त मंत्रालय के आयुक्त भी शामिल हैं।

9 व्यक्तियों/संस्थाओं का यह परिचय निर्णय के लिए उठाए जाने वाले बिंदुओं के साथ पक्षों को व्यापक रूप से सह-संबंधित करने के लिए है और इसमें शामिल पक्षों की एक विस्तृत सूची होने का इरादा नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

सीमा शुल्क *(*आयात-*I)*, मुंबई और सीमा शुल्क से संबंधित अन्य प्राधिकरण। सीमा शुल्क आयुक्त *(*अपील*)*, मुंबई *(*जोन-*I)*, जिन्होंने अपीलीय प्राधिकरण के रूप में *24.12.2020* दिनांकित आदेश पारित किया था, केवल *05.01.2021*[10] दिनांकित आदेश के खिलाफ अपील में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। ये अपीलकर्ता संबंधित रिट याचिकाओं में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संबंधित आदेशों से व्यथित हैं; और यह बनाए रखते हैं कि विचाराधीन माल को जारी नहीं किया जा सकता था और वे पूर्ण रूप से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाता

11. जिन दो आयातकों के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा विवादित आदेश पारित किए गए हैं और उच्च न्यायालय इन अपीलों के प्रतिवादी हैं। उनके प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं:

11.1 . एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी

कहा जाता है कि यह आयातक एक साझेदारी फर्म है जिसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर में है। इस फर्म ने दस बिल दाखिल किए थे

24, 815 मीट्रिक टन पीली मटर की निकासी के लिए दिनांक *01.11.2019* की प्रविष्टि, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दिनांक *20.07.2019* के अंतरिम आदेश की आड़ में आयात किया गया था, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ ने डब्ल्यू. पी. नं.

11974 2019 से। जुर्माने के भुगतान के साथ माल को छोड़ने के इसके प्रयास

आदेश-इन-मूल दिनांक *28.08.2020* की ओर ले गया। इस आयातक ने प्रवेश के तीन बिलों के लिए ओ. ओ. सी. प्राप्त किया था और *7,500* एम. टी. माल जारी किया था, लेकिन शेष को जारी नहीं किया गया था। इस आयातक ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष *2020* का डब्ल्यू. पी. *(*एल*)* संख्या *3502* दायर किया था, जिसमें आदेश की मांग की गई थी, जिसे दिनांकित सामान्य आदेश द्वारा तय किया गया था।

15.10.2020 . इस आयातक ने *2021* का डब्ल्यू. पी. *(*एस. टी.*)* संख्या *24* भी दायर किया है, जिसमें दिनांकित *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील पर सवाल उठाया गया है, जिसमें बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने दिनांकित *05.01.2021* का अंतरिम आदेश पारित किया है।

11.2 . एम/एस। हरिहर संग्रह

इस आयातक को एक स्वामित्व वाली संस्था कहा जाता है जिसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर में है। इस आयातक ने *38,500* मीट्रिक टन पीली मटर की निकासी के लिए दिनांक आई. डी. *2* के आठ बिल दाखिल किए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दिनांक आई. डी. *1* के अंतरिम आदेश के तहत आयात किया गया था, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। *10* विदेश व्यापार महानिदेशक, विदेशी व्यापार के क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट उच्च न्यायालय द्वारा *15.10.2020* पर पारित सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलों में प्रतिवादी हैं।

जब्ती के कारण एक और आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक *28.08.2020* आया। इस आयातक ने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष *2020* का डब्ल्यू. पी. *(एल)* संख्या *3503* दायर किया था, जिसमें आदेश की मांग की गई थी, जिसका निर्णय दिनांक *15.10.2020* के सामान्य आदेश द्वारा किया गया था। इस आयातक के संबंध में, अपीलीय प्राधिकरण ने *24.12.2020* दिनांकित एक और आदेश-इन-अपील पारित किया, जिसे चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन आयातक ने ऐसा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। बेशक।

हस्तक्षेप करने वाले

12. उपरोक्त के अलावा, दो अन्य आयातकों ने इन प्रस्तुतियों के साथ अभियोग आवेदन दायर किए हैं कि उनके पास भी हैं

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उनकी संबंधित रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का आयात किया गया; और यह कि वर्तमान कार्यवाही में उनकी पर्याप्त रुचि है क्योंकि इसमें किसी भी अंतिम निर्णय का उनके हितों पर प्रभाव पड़ेगा। उनके प्रासंगिक विवरण इस प्रकार हैं:

निखिल पल्स प्राइवेट लिमिटेड लि.

12.1 . कहा जाता है कि यह आयातक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर में है। यह कंपनी है

कहा जाता है कि उन्होंने *2019* के डब्ल्यू. पी. संख्या *12283* में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश की आड़ में *02.08.2019* एम. टी. पीले मटर का आयात किया था। इस कंपनी को सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त, मुंद्रा से दिनांक *20.11.2020* का एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें कारण दिखाने की आवश्यकता थी कि विचाराधीन सामान जब्त करने के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं हैं।

एग्रीकास एलएलपी

12.2 . कहा जाता है कि यह आयातक एक साझेदारी फर्म है जिसका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के जयपुर में है। कहा जाता है कि इस फर्म ने अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित *14.08.2019* के अंतरिम आदेश की आड़ में *27,775* मीट्रिक टन काले मैपट का आयात किया था।

न्यायालय, *2019* के डब्ल्यू. पी. सं. *13392* में जयपुर की पीठ; और आयातित मात्रा में से *14,366* मीट्रिक टन माल जारी किया गया लेकिन शेष नहीं। इस आयातक द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक *05.10.2020* के कारण बताए जाने के नोटिस के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा ने माल को निषिद्ध और ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी पाया, जिसके बाद उन्होंने माल की निकासी न करने के खिलाफ बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष *2021* की संख्या *525* वाली एक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन इस बीच, इन अपीलों में इस न्यायालय द्वारा मुख्य मुद्दे को उठाया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलू और पृष्ठभूमि

13. मामले की मुख्य विशेषताओं, अपने-अपने हितों के साथ हमारे सामने आने वाले पक्षों के प्रासंगिक विवरणों पर ध्यान देने के बाद, हम अब आवश्यक विवरणों में प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं और पृष्ठभूमि में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन तथ्यों से बचते हुए जो शामिल वास्तविक मुद्दों के निर्धारण पर असर नहीं डाल सकते हैं।

14. इस मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह हैं कि केंद्र सरकार ने *05.08.2017* दिनांकित अधिसूचनाएं जारी की थीं और

21.08.2017 , वार्षिक कोटा और डी. जी. एफ. टी. से पूर्व लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में एक शर्त के साथ उड़द/मूंग और अरहर/तुअर दाल के आयात के लिए नीति को "मुफ्त" से "प्रतिबंधित" करने के लिए संशोधित करना। फिर, दिनांक *25.04.2018* की अधिसूचना द्वारा, उक्त बीन्स/दालों का आयात प्रतिबंधित रहना था, जिसके लिए एक पूर्व लाइसेंस की आवश्यकता होती थी और वित्तीय वर्ष *2018-2019* के लिए वार्षिक कोटा के रूप में एक शर्त के साथ। आयातकों में से एक, मेसर्स। हीरा ट्रेडर्स ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें क्रमशः *9,16* और *18* मई, *2018* को जारी की गई अधिसूचना और व्यापार नोटिस को चुनौती दी गई। उक्त याचिकाकर्ता ने अनुबंधों के अनुसार मटर के आयात की अनुमति के लिए भी अंतरिम राहत का अनुरोध किया। अंतरिम आदेश से

दिनांक *28.06.2018*, उक्त उच्च न्यायालय ने इसके संचालन पर रोक लगा दी

14.2 . उक्त और समान अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों को चुनौती देते हुए दायर की गई रिट याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया था। मेसर्स द्वारा रिट याचिका। हीरा ट्रेडर्स को मद्रास उच्च न्यायालय ने *04.04.2019* पर खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने *03.07.2018* पर इसी तरह की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसी तरह, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने *25.10.2018* पर ऐसी याचिकाओं को खारिज कर दिया था; और गुजरात उच्च न्यायालय ने भी *19.12.2018* पर इसी तरह की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस न्यायालय में *[2021] 12* एस. सी. आर. में चुनौती देने की मांग की गई थी।

2019 की विशेष अनुमति याचिका *(सी)* संख्या *1922*, लेकिन इसे दिनांक *28.01.2019* के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

14.3 . इस प्रकार, संक्षेप में, यह स्पष्ट है कि हालांकि

उच्च न्यायालयों ने शुरू में उक्त अधिसूचनाओं को चुनौती दी और व्यापार नोटिस दिए गए और अंतरिम आदेश दिए गए, लेकिन अंततः रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के फैसलों में से एक को चुनौती देने का प्रयास भी विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के साथ विफल रहा।

15. इसके बाद मार्च, *2019* के महीने में केंद्रीय

सरकार ने विदेश व्यापार नीति *2015 2020* के अनुच्छेद *1* और *2* के साथ पठित एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय व्यापार वर्गीकरण *(*सामंजस्यपूर्ण प्रणाली*) 2017* के अध्याय *7* की विभिन्न वस्तुओं से संबंधित आयात नीति शर्तों में संशोधन किया।

एस. ओ. संख्या के माध्यम से अनुसूची *I*। *1478 (*ई*), 1479 (*ई*), 1480 (*ई*)* और *1481 (*ई*)* दिनांक *29.03.2019*। इनके बाद दिनांकित व्यापार सूचना जारी की गई

16.04.2019 डी. जी. एफ. टी. ये अधिसूचनाएँ इन मामलों में शामिल विवाद के मूल में हैं और इसलिए, इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित और उचित होगाः

"एस. ओ. *1478 (*ई*)*। — धारा *3* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992 (22)*

1992 का*)*, विदेश व्यापार के अनुच्छेद *1* और *2* के साथ पढ़ा गया नीति, *2015-2020*, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है, केंद्रीय

7 भारतीय व्यापार वर्गीकरण *(*सामंजस्यपूर्ण प्रणाली*), 2017,* अनुसूची-*1 (*आयात नीति*)*, निम्नानुसार

मौजूदा नीति में संशोधन किया गया

वस्तु विवरण

एक्जिम कोड

नीति

स्थिति

स्थिति

मूंग का आयात होगा

0713 31 10

बीन्स ऑफ द

प्रतिबंधित।

विगना

वार्षिक विषय बनें

एसपीपी

(एल.*)*

मुंगो

(वित्तीय वर्ष*)* का कोटा

1.5 लाख मीट्रिक टन के अनुसार

हेपर।

अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया

विभाजन करें।

0713 90 10

महानिदेशालय द्वारा

0713 90 90

अन्य

विदेशी व्यापारः

प्रदान किया गया

कि यह

प्रतिबंध नहीं लगेगा।

सरकार के लिए आवेदन करें

आयात प्रतिबद्धताएँ

किसी भी द्वैपाक्षिक या

क्षेत्रीय समझौता या

में से

ज्ञापन

समझते हैं।

आयन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

XXX XXX XXX

एस. ओ. *1479 (*ई*)*। - विदेश व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992 (1992* का *22)* की धारा *3* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद *1* और *2* के साथ पढ़ा जाता है,

केंद्र सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण *(*सामंजस्यपूर्ण प्रणाली*), 2017,* अनुसूची*-1 (*आयात नीति*)* के अध्याय *7* की वस्तुओं की आयात नीति शर्तों में संशोधन करती है, जैसा कि नीचे दिया गया है -

संशोधित नीति

मौजूद है।

एक्जिम कोड आइटम

मौजूद है।

वर्णन नीति

स्थिति

नीति

स्थिति

मूंगफली *(*पीसम प्रतिबंधित*)*

के लिए प्रतिबंधित

इस अवधि के दौरान

0713 1000

अवधि

1 अप्रैल से,

सतीवम*)*

12019 से *31* तारीख तक

सहित

से

पीले मटर,

जनवरी,

मार्च, *2020,*

2019 31 तारीख तक

कुल मात्रा

हरा।

मटर,

मार्च, *2019*

डन मटर और

1.5 लाख मीट्रिक टन

मटर होगा

कास्पा मटर

0713 90 10

इसके खिलाफ अनुमति दी गई

विभाजन करें।

अनुज्ञप्ति के अनुसार

अन्य

0713 90 90

होने वाली प्रक्रिया

अधिसूचित किया गया

द्वारा

निदेशालय

जनरल

में से

विदेशी व्यापार।

2. यह अधिसूचना *1* अप्रैल, *2019* से लागू होगी।

XXX XXX XXX

एस. ओ. *1480 (*ई*)*। - विदेश व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992 (1992* का *22)* की धारा *3* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद *1* और *2* के साथ पढ़ा जाता है, केंद्र सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण *(*सामंजस्यपूर्ण प्रणाली*), 2017* के अध्याय *7* की वस्तुओं की आयात नीति को अधिसूचित करती है।

अनुसूची-*1 (*आयात नीति*)*, जैसा कि *[2021] 12* एस. सी. आर. के तहत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौजूदा नीति में संशोधन किया गया

एक्जिम कोड

वस्तु

नीति

वर्णन

स्थिति

स्थिति

उड़द का आयात होगा

प्रतिबंधित।

बीन्स ऑफ द

0713 31 90

एसपीपी

विगना

वार्षिक आधार पर

रेडिएटा

(1. 5 का वित्तीय वर्ष*)* कोटा

(एल.)

विलेज़ेक

लाख मीट्रिक टन के अनुसार

अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया

विभाजन करें।

0713 90 10

महानिदेशालय द्वारा

अन्य

0713 90 90

प्रतिबंध नहीं लगेगा।

सरकार के लिए आवेदन करें

आयात प्रतिबद्धताएँ

क्षेत्रीय समझौता या

ज्ञापन

से

समझते हैं।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

XXX XXX XXX

एस. ओ. *1481 (*ई*)*। - विदेश व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992 (1992* का *22)* की धारा *3* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद *1* और *2* के साथ पढ़ा जाता है, केंद्र सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण *(*सामंजस्यपूर्ण प्रणाली*), 2017,* अनुसूची*-1 (*आयात नीति*)* के अध्याय *7* की वस्तुओं की आयात नीति को अधिसूचित करती है, जो निम्नानुसार हैः

वस्तु विवरण

संशोधित किया गया

एक्जिम कोड

मौजूद है।

नीति

स्थिति

नीति

स्थिति

मटर प्रतिबंधित। अरहर मटर का आयात

0713 60 00

कबूतर

काजान*) /*

(काजानस काजान*)/*तूर

(कैजानस

डल एक के अधीन होगा

तूर दाल।

वार्षिक *(*वित्तीय वर्ष*)* कोटा

0713 90 10

विभाजन करें।

2 लाख एम. टी. के अनुसार

अन्य

0713 90 90

अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया

महानिदेशालय द्वारा

विदेशी व्यापारः

बशर्ते कि यह

प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सरकार के आयात पर

किसी के अधीन प्रतिबद्धताएँ

द्वैपाक्षिक या क्षेत्रीय

समझौता

या

ज्ञापन

से

समझते हैं।

2. यह अधिसूचना *1* अप्रैल, *2019* से लागू होगी। "

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

15.1 . डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी दिनांक *16.04.2019* के व्यापार नोटिस में आयात के लिए आवेदन करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित किए गए हैं। विचाराधीन और अन्य वस्तुओं के बीच निम्नलिखित वस्तुएँ

शर्तें: -

"ए। दलहन/मटर के इच्छुक मिलरों/रिफाइनरों (जिनकी अपनी शोधन/प्रसंस्करण क्षमता है) से नीति *2* पर ए. एन. एफ.-*2* एम. एफ. टी. पी. *2015-20* के अनुसार इसके आयात के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

dgft@nic। संबंधित क्षेत्राधिकार के अलावा क्षेत्रीय
अधिकारी "।

16. दिनांकित *29.03.2019* की उक्त अधिसूचनाओं को चुनौती देने की कोशिश

और *16.04.2019* दिनांकित व्यापार नोटिस, लगभग *90* रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ के समक्ष दायर की गई थीं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों में इसी तरह की विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं। इस तरह की कई रिट याचिकाओं में, अंतरिम आदेश पारित किए गए, जिसमें आयातकों को उक्त मटर/दालों के आयात की अनुमति दी गई, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, और यह भी कि इस तरह के अंतरिम आदेशों के साथ कुल आयात विवादित द्वारा निर्धारित अधिकतम मात्रा से अधिक होगा।

अधिसूचनाएँ।

17. दी गई परिस्थितियों में, भारत संघ ने कई स्थानांतरण याचिकाओं के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों और प्रस्तुत करने की मांग की गई, विचाराधीन अधिसूचनाओं से संबंधित ऐसी रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में वापस ले लिया गया और अंततः कृषि *(*उपरोक्त*)* के मामले में उक्त निर्णय दिनांक *26.08.2020* द्वारा खारिज कर दिया गया।

कृषि में इस न्यायालय का दिनांकित *26.08.2020* निर्णय

18. कृषि *(*उपरोक्त*)* के मामले में, विभिन्न प्रकार के मुद्दे, अनिवार्य रूप से अधिसूचनाओं की वैधता और संबंधित व्यापार सूचनाओं से संबंधित हैं।

मटर और दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर इस न्यायालय द्वारा एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, विशेष रूप से इसकी धारा *3* और *9* ए के तहत कार्रवाई की गई थी। हमें कृषि में इस न्यायालय द्वारा जांचे गए और निपटाए गए सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन अपीलों में शामिल मुद्दों के उद्देश्य के लिए उक्त निर्णय की कुछ मुख्य विशेषताओं पर जोर देने की आवश्यकता है।

18.1 . कृषि *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से भारत संघ के रुख पर ध्यान दिया, जहां तक कृषि के उद्देश्य और उद्देश्य का संबंध है।

विचाराधीन अधिसूचनाएँ, जिन्हें उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 53. भारत संघ ने *26* जून *2020* को दायर अपने हलफनामे में कहा है कि उन्हें किसानों और आयातकों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर आयात से हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

स्थानीय बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण किसान। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर मूंग, उड़द और तूर दाल और चना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य *(*एम. एस. पी.*)* का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों में एम. एस. पी. का भुगतान करके *53* लाख किसानों से सीधे *85* लाख एम. टी. दालों की खरीद की गई। दालों का उत्पादन भी *25.42* मिलियन मीट्रिक टन से *2017-18* में *26.66* मिलियन मीट्रिक टन से *2020-21* में बढ़ गया। आयातित पीले मटर बेसन बनाने में चना के लिए एकदम सही विकल्प हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों की तैयारी में किया जाता है। चूंकि भारत में आयातित पीले मटर की कीमत चने की घरेलू कीमत से सस्ती है, इसलिए उद्योग के उपयोग में चना से पीले मटर की ओर एक बड़ा बदलाव आया है। इन परिस्थितियों में जो सरकार ने थोपी है

अनुमति प्राप्त आयात के लिए वार्षिक कोटे की एक छोटी सी खिड़की के साथ अप्रैल, *2018* से प्रतिबंध। हालांकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को देखते हुए, मटर का वास्तविक आयात *8,51,408* मीट्रिक टन था और

6,52,607 एम. टी. क्रमशः *2018-2019* और *2019-2020* में,

हालाँकि इन दो वर्षों के लिए वार्षिक कोटा *1.5* लाख मीट्रिक टन था। सरकार के पास वर्तमान में *3* लाख मीट्रिक टन की लक्षित मात्रा के मुकाबले *1* लाख मीट्रिक टन चना का बफर स्टॉक है। चना *4,000-4,200* रुपये प्रति क्विंटाल के हिसाब से बेचा जा रहा है, जो एम. एस. पी. *4,875* रुपये प्रति क्विंटाल से कम है। पीले मटर का आयातित सी. आई. एफ. मूल्य *2,028/-* रुपये प्रति क्विंटाल है। महामारी के कारण, किसानों को बहुत कम कीमतों पर घबराहट को दूर करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। *1* जुलाई *2020* को दायर किए गए आगे के हलफनामे में, भारत ने कहा है कि उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण वित्तीय वर्षों में मटर के लिए *1* लाख मीट्रिक टन और मटर के लिए डेढ़ लाख मीट्रिक टन के सीमित कोटे के बावजूद मटर, पीले मटर आदि के लिए कोई कोटा जारी नहीं किया था।

क्रमशः। नतीजतन, यह निर्णय लिया गया है कि भारत के आई. ओ. एन. और ओ. आर. एस. का आयात नहीं किया जाएगा।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

एफ. टी. डी. आर. की धारा *9* ए के संदर्भ में *6* जुलाई *2020* को दायर किया गया अधिनियम, भारत संघ ने कहा है कि उक्त धारा आकर्षित है

और ऐसी परिस्थितियों में जो गंभीर स्थिति का कारण बनती है या धमकी देती है घरेलू उद्योग को नुकसान। धारा *9* ए को एक सुरक्षा के रूप में अधिनियमित किया गया है

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की स्पष्ट शर्तों के भीतर जो केंद्र सरकार को बिना प्रतिबंध लगाए प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है

धारा *9* ए में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई भी योग्यता। की शक्ति

केंद्र सरकार आयात को सीमित मात्रा में प्रतिबंधित करेगी।

धारा *3* के तहत और धारा *9* ए के तहत मात्रात्मक प्रतिबंध

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम पूरी तरह से अलग है और इसका कोई संबंध या संबंध नहीं है।

इंटरप्ले करें। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3 (2)* के तहत शक्ति है -

व्यापक आयाम। दावा करने के लिए नियम *5 (2)* का भी संदर्भ दिया गया है।

कि इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि आयात में वृद्धि हुई थी

आवश्यकता के अलावा "अप्रत्याशित विकास" के परिणामस्वरूप

गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे का खुलासा करने वाले साक्ष्य के लिए

घरेलू उद्योग और आयात और गंभीर के बीच एक कारण संबंध

आयात की मात्रा में वृद्धि लेकिन घबराहट निपटान को रोकने के लिए किसानों द्वारा चने की कीमतें कम हो जाएंगी। यह है।

प्रस्तुत किया कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के *9* ए जैसे विशेष प्रावधान

सामान्य प्रावधान को छोड़कर इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहें।

अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वतंत्र।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

18.2 . अति महत्वाकांक्षी लेकिन गलत धारणा की एक और पंक्ति

विवादित अधिसूचना की व्याख्या पर विचार किया गया थाआयातकों की ओर से ऐसा माना जाता है जैसे कि प्रत्येक लाइसेंसधारी आयात कर सकता है

अधिसूचना में इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह के एक आधारहीन तर्क में,

इस न्यायालय द्वारा शुरुआत में खारिज कर दिया गया था। में प्रासंगिक निष्कर्ष

एगार्ड को निम्नलिखित रूप में भी उपयोगी रूप से देखा जा सकता है:

"17. हम भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस तर्क को खारिज कर देंगे।

कुछ आयातकों द्वारा उठाया गया कि विवादित अधिसूचना है अस्पष्टता के कारण अवैध या *1/1.5* की सीमित मात्रा की अनुमति देता है

मटर, हरा मटर *(2021)* और *12* एस. सी. आर. सहित एक लाख मीट्रिक टन मटर *(*पीसम सैटिवम*)*।

मटर, डन मटर और कास्पा मटर एक लाइसेंस के विपरीत, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा का आयात करने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना में निर्दिष्ट कुल मात्रा प्रति लाइसेंसधारी है और अधिसूचना में निर्दिष्ट वस्तु के कुल आयात के लिए नहीं है। प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है

निर्दिष्ट वस्तु की 'कुल मात्रा' जिसे आयात किया जा सकता है। इसमें कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है

अधिसूचनाएँ, जिनके प्रासंगिक भाग ऊपर उद्धृत किए गए हैं। अन्यथा भी 'कुल मात्रा' अभिव्यक्ति को जारी किए गए लाइसेंस की संख्या के रूप में जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार मात्रा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

*(*भारत संघ के अनुसार तुअर, मूंग और उड़द के आयात के लिए क्रमशः *4* लाख मीट्रिक टन, *1.5* लाख मीट्रिक टन और *4* लाख मीट्रिक टन के सीमित कोटे के बदले *2248,1016* और *2915* लाइसेंस जारी किए गए थे*)*। यदि प्रत्येक लाइसेंस धारक को डेढ़ लाख मीट्रिक टन मटर का आयात करने की अनुमति दी जाती है, तो कुल आयात भारत के भीतर उत्पादन के लिए हमारे खाते के बाद कुल वार्षिक खपत से अधिक होगा। हमारी राय में, आयातकों की याचिका और व्याख्या यदि स्वीकार कर ली जाती है, तो यह न केवल अधिसूचना की स्पष्ट भाषा के विपरीत होगी, बल्कि
एक कोटा निर्धारित करके उल्लिखित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने का इरादा और उद्देश्य। हम मना करते हैं और इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

सरल और सीधे शब्दों की दूरगामी और कुछ हद तक सरल व्याख्या। "

18.3 . एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *9* ए की व्याख्या और जी. ए. टी. टी. के अनुच्छेद *11* और अनुच्छेद *19* के साथ इसके सह-संबंध पर विचार करने के बाद

1994 एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* के साथ-साथ, इस न्यायालय ने विचाराधीन अधिसूचनाओं को वैध माना, क्योंकि ये एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* के संदर्भ में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जारी की गई थीं। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता हैः -

" 61. यह स्थिति होने के कारण, धारा *9* ए की व्याख्या एक पलायन प्रावधान के रूप में की जानी चाहिए जब केंद्र सरकार यानी केंद्र

भारत सरकार जी. ए. टी. टी.-*1994* के अनुच्छेद *XIX* के पैराग्राफ *(1)* की कठोरता से बच सकती है। धारा *9* ए एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद *11* के पैराग्राफ *(1)* को घरेलू कानून में शामिल या स्थानांतरित करता है।

या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। इसके विपरीत, हम यह मानेंगे कि केंद्र सरकार को भारत और ओआरएस के संघ का कोई अधिकार नहीं है।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

और निम्न को छोड़कर 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लागू करने की शक्ति

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *9* ए। यह इसके विपरीत होगा

विधायी उद्देश्य और उद्देश्य। एफ. टी. डी. आर. की धारा *9* ए
अधिनियम केंद्र की शक्ति को कम या अस्वीकार नहीं करता है।

सरकार उपखंड के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाएगी

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की धारा *(2)*।
62. दूसरे शब्दों में, आक्षेपित अधिसूचनाएँ होंगी

वैध है क्योंकि वे शक्ति के अनुसार जारी किए गए हैं

उप के संदर्भ में केंद्र सरकार में प्रदान किया गया

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की धारा *(2)*। की शक्तियाँ

केंद्र सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया

इसलिए, धारा *3* की उप-धारा *(2)* के तहत पूरी तरह से कटौती नहीं की गई है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *9* ए द्वारा "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

18.4. जैसा कि देखा गया है, उक्त रिट याचिकाओं को वापस लेने से पहले

इस न्यायालय को उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।

इस न्यायालय के समक्ष यह कहा गया था कि ऐसे अंतरिम आदेशों पर भरोसा करते हुए,

आयातकों ने विभिन्न मात्रा में मटर और दालों का आयात किया था।

आयातकों की ओर से तर्क दिया गया कि वे ईमानदार थे

न्यायालयों के अंतरिम आदेशों के तहत आयात। यह न्यायालय विशेष रूप से

इस तरह की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि मद्रास के उच्च न्यायालयों के बावजूद,

अधिसूचनाओं और व्यापार सूचनाओं को बरकरार रखते हुए समान प्रकृति का, आयातकों ने अपना
मौका लिया, जाहिर तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए और वे करेंगे,

तदनुसार, कानूनी परिणामों का सामना करें। यह न्यायालय, अनिश्चित नहीं है

शर्तों, प्रस्तुतियों को खारिज कर दिया कि आयातकों ने ईमानदारी से काम किया था

दृढ़ विश्वास। इस संबंध में कृषि *(*उपर्युक्त*)* में इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों और निष्कर्षों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

"घ. प्रामाणिक आयातक सभक विषय-वस्तु

अंतरिम आदेश और आंशिक राहत के लिए प्रार्थना।

*65.*कुछ आयातकों के विद्वान वकील ने निर्भरता रखी थी
राज प्रकाश केमिकल बनाम। भारत संघ, जो निर्णय देता है,

हमारी राय में, इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। राज प्रकाश में

रसायन *(ऊपर)*, याचिकाकर्ता ने एक प्रामाणिक विश्वास के तहत काम किया था

उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए और

अधिकारियों द्वारा दी गई व्याख्या। इस पृष्ठभूमि में,

[2021] 12 एस. सी. आर. के बावजूद आयातकों को लाभ देने के लिए टिप्पणियां की गईं।

विपरीत कानूनी व्याख्या। तत्काल मामले में, आयातक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों पर भरोसा करते हैं, जबकि जिस तारीख को उन्होंने रिट याचिका दायर की थी और अंतरिम आदेश प्राप्त किए थे, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया था। इसी तरह, बंबई उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था उन्हें और
अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों को बरकरार रखा।

बर्खास्तगी के बावजूद, आयातकों ने अपना मौका लिया, जाहिर तौर पर व्यक्तिगत लाभ और लाभ के लिए। तदनुसार उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि आयातकों को अधिकार में सच्चा विश्वास था।

गुहार लगाई "।

18.5 . मामले के केवल एक पहलू पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था और वह निलंबन या निलंबन के आदेशों के खिलाफ लंबित अपीलों से संबंधित था।

कुछ पक्षों के आयात-निर्यात कोड *1 1* को समाप्त करना। इस न्यायालय ने उस संबंध में वैधानिक अपीलों को कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया।

19. अधिसूचनाओं और व्यापार सूचना की वैधता को बरकरार रखते हुए और यह भी माना कि आयातकों ने आयात को प्रभावित करते हुए

अंतरिम आदेशों पर भरोसा करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं पर इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन आयात को एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों के विपरीत माना जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस तरह से निपटा जाएगा। इस न्यायालय ने उन सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जो स्थानांतरण याचिकाओं के विषय थे और साथ ही हस्तक्षेप करने वालों

द्वारा दायर रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। कृषि *(उपर्युक्त)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय का समापन भाग इस प्रकार हैः -

"एफ. निष्कर्ष

67. तदनुसार, हम विवादित अधिसूचनाओं को बरकरार रखते हैं और

व्यापार नोटिस दें और आयातकों द्वारा दी गई चुनौती को अस्वीकार करें। अंतरिम आदेशों के आधार पर किया गया आयात, यदि कोई हो, अधिसूचनाओं और इसके तहत जारी किए गए व्यापार नोटिसों के विपरीत माना जाएगा।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम *1962* के प्रावधानों के तहत इस तरह से निपटा जाएगा। स्थानांतरण याचिकाओं की रिट याचिकाओं की विषय वस्तु, उपरोक्त ई के अधीन *(जो तय नहीं किया गया है)* हैं

11 'संक्षेप में आई. ई. सी.।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

बर्खास्त कर दिया। संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर रिट याचिकाएं इस संदर्भ में खारिज हो जाएंगी।

निर्णय लें। लंबित आवेदन *(ओं)*, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(ऊपर*)*, इस न्यायालय ने इस कारण पर ध्यान दिया कि अधिसूचनाएं मूल रूप से घरेलू कृषि बाजार की रक्षा करने के लिए थीं और इन अधिसूचनाओं के सही अर्थ और महत्व पर भी घोषित की गईं; और आयातकों की ओर से सुझाए गए दूरगामी व्याख्या को खारिज करते हुए कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित मात्रा का आयात करने का हकदार था, इस न्यायालय ने न केवल संबंधित अधिसूचनाओं और व्यापार सूचना को बरकरार रखा, बल्कि यह भी माना कि अंतरिम आदेश की आड़ में किए गए किसी भी आयात को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है और लागू अधिसूचनाओं और व्यापार सूचना के विपरीत होने के कारण, सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस तरह से निपटा जाएगा। हालाँकि, कृषि में इस न्यायालय के दिनांकित *26.08.2020* के उपरोक्त निर्णय के बाद जो हुआ है, उसने वर्तमान को जन्म दिया है।

मुकदमेबाजी का दौर।

आदेश-इन-मूल दिनांक *28.08.2020:* द एडजुडिकेटिंग

प्राधिकरण ने मोचन जुर्माने के भुगतान पर माल जारी करने की अनुमति दी

21. जैसा कि देखा गया है, कृषि *(ऊपर)* में इस न्यायालय के दिनांक *26.08.2020* के निर्णय के कुछ ही समय के भीतर, इन अपीलों के निजी उत्तरदाता, मेसर्स. राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी और मेसर्स। हरिहर संग्रह, जिन्होंने उक्त अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले सामानों का कुछ आयात किया था, लेकिन उनके आयातित सामान

को जारी नहीं किया गया था, ने इस तरह से कार्यवाही शुरू की कि पूरी तरह से ज़ब्त होने की संभावना हो सकती है।

उनके मामलों को प्राथमिकता से उठाया और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* के तहत जब्ती का आदेश देते हुए अपने लगभग समान आदेशों द्वारा आयातकों को धारा *125 (1)* के तहत जब्ती के बदले जुर्माने के भुगतान पर माल को भुनाने का विकल्प दिया। वहाँ से। संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत आयातक के संबंध में उक्त आदेश-मूल दिनांक *28.08.2020* की प्रासंगिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी

22. 01.11.2019 पर, आयातक मेसर्स राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी ने *24,815* मीट्रिक टन पीले मटर की मंजूरी के लिए प्रवेश संख्या *5520536,5520537,5520538,5520539,5520540,5520732,5520871,5520872* और *5521191* के दस बिल दायर किए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा *2019* के डब्ल्यूपी संख्या *11974* में *20.07.2019* पर पारित अंतरिम आदेश की आड़ में आयात किए गए थे। हालांकि, विशेष रूप से अधिकारियों द्वारा उनकी रिहाई के खिलाफ आपत्तियों के लिए माल जारी नहीं किया गया था।

डी जी एफ टी से। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *49* के तहत सामान को गोदाम में रखा गया था।

22.1 . 26.08.2020 पर एग्रीकास *(*सुप्रा*)* के मामले में इस अदालत के फैसले के दिन ही, इस आयातक ने

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *124* के तहत कारण बताओ नोटिस को माफ करने और व्यक्तिगत सुनवाई को तेजी से प्रदान करने के अनुरोध के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माल की खराब होने वाली प्रकृति के कारण त्वरित सुनवाई की अनुमति दी;

और *28.08.2020 (*जो *03.09.2020* पर जारी किया गया था*)* पर मूल आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े।

22.2 . न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश में कहा कि माल का आयात आयातक द्वारा किया गया था।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के संरक्षण के तहत नवंबर *2019* का महीना, लेकिन जब लागू अधिसूचनाओं के उल्लंघन में आयात किया गया माना गया, तो वे निषिद्ध सामान बन गए।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत; और इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* के तहत माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, आयातक को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *112 (*ए*) (*आई*)* के तहत दंड के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के प्रासंगिक निष्कर्षों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

1481 (ई) दिनांकित *29.03.2019* और बाद में व्यापार सूचना संख्या *06/2019-2020* दिनांकित *16.04.2019*। इस प्रकार, विवादित माल
सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *11* के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया

विदेशी व्यापार *(*विकास*)* की धारा *3* के साथ पढ़ें

विनियमन*)* अधिनियम, *1992*। इसलिए, मेरा मानना है कि माल यू/एस द्वारा ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। *111 ((*घ*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* के लिए।
10. उपरोक्त चूक और कमीशन के कार्यों के लिए जो विवादित माल को यू/एस के तहत ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।

111 (घ*)* भारत और ओ. आर. एस. संघ का। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962*, मेरा मानना है कि आयातक जुर्माना के लिए उत्तरदायी है।

एस. *112 (* क*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* का *(i)*।

22.3 . हालाँकि, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि माल उत्तरदायी था

जब्ती और आयातक जुर्माना के लिए उत्तरदायी था, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आयातक पर लगाए जाने वाले मोचन जुर्माना और जुर्माना की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा। इस संबंध में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आयातक के लाभ के कथित अंतर, माल के बाजार मूल्य और भंडारण और परिवहन आदि पर किए गए व्यय को ध्यान में रखा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने विभिन्न अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जिनके लिए माल की गुणवत्ता खराब होने योग्य है।

प्रकृति, गोदामों की खराब स्थिति, अत्यधिक वर्षा, आर्द्रता, संपर्क और कीटों के हमलों की तरह बिगड़ गई थी। हालांकि, यह देखा गया था न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा कि मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के प्रमाण पत्र के अनुसार, विचाराधीन माल, हालांकि अपने बाजार मूल्य का अधिकांश हिस्सा खो चुके थे, फिर भी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त थे। इन विचारों पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने लाभ के मार्जिन @रे की गणना करते समय जुर्माना और जुर्माना लगाना उचित समझा। *1* प्रति किलोग्राम; और निम्नलिखित आदेश के साथ मामले पर निष्कर्ष निकालाः -

" 12. उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं पारित करता हूं

निम्नलिखित आदेशः

आदेश दें

आई. मैं विवादित माल यू/एस को जब्त कर लेता हूं। *111 ((*घ*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962*। जबकि मैं आयातक को छूट के जुर्माने के भुगतान पर विवादित माल को भुनाने का विकल्प देता हूं।

रु. *1.0* इसके बदले में करोड़ *(*केवल एक करोड़ रुपये*)*
सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *125 (1)* के तहत ज़ब्ती।

ii. मैं रुपये का जुर्माना भी लगाता हूं। *1.485* मेसर्स पर करोड़ *(*केवल एक करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार रुपये*)*। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी, जयपुर यू/एस। *112 (* क*)* सीमा शुल्क

अधिनियम, *1962*।

13. यह आदेश किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पारित किया जाता है जो

आयातक या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ विचार किया जा सकता है
सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* और/या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान की शर्तें।

एम/एस। हरिहर संग्रह *[2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.1 . 26.08.2020 पर एग्रीकास *(*सुप्रा*)* के मामले में इस अदालत के फैसले के तुरंत बाद, इस आयातक ने भी इसी तरह का संदेश भेजा। उसी दिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *124* के तहत कारणदर्शक नोटिस से छूट और त्वरित व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया। इस मामले पर भी शीघ्रता से विचार किया गया और इसी तरह का एक अन्य आदेश-मूल-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा *28.08.2020 (03.09.2020* पर जारी*)* पर पारित किया गया।

23.2 . लगभग समान विचारों पर, जैसा कि एम/एस के मामले में ऊपर देखा गया है। राज ग्रो इम्पेक्स, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन माल एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत निषिद्ध माल बन गया; और इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी था; और आयातक सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *112 (*ए*) (*आई*)* के तहत दंड के लिए भी उत्तरदायी था। फिर से, इसी तरह से, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

मोचन जुर्माना और दंड की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े

आयातक पर लगाया जाना; और, उपरोक्त समान विचारों पर, लाभ के मार्जिन की गणना करते समय जुर्माना और जुर्माना लगाने के लिए आगे बढ़े। *1* प्रति किलोग्राम और निम्नलिखित आदेश के साथ मामले पर निष्कर्ष निकालाः -

"13. उपरोक्त चर्चाओं और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं पारित करता हूं
निम्नलिखित आदेशः -

आदेश दें

आई. मैं विवादित माल यू/एस को जब्त कर लेता हूं। *111 ((*घ*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962*। जबकि मैं आयातक को रुपये के मोचन जुर्माने के भुगतान पर विवादित सामान को भुनाने का विकल्प देता हूं। *1.5* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *125 (1)* के तहत जब्ती के बदले में करोड़ रुपये *(*केवल एक करोड़ पचास लाख रुपये*)*।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

ii. मैं रुपये का जुर्माना भी लगाता हूं। *2.35* मेसर्स पर करोड़ *(*केवल दो करोड़ पैंतीस लाख रुपये*)*। हरिहर संग्रह, जयपुर यू/एस। *112 (*क*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* का *(i)*।

14. यह आदेश सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में आयातक या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ विचार की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर पूर्वाग्रह के बिना पारित किया जाता है।

और/या उस समय लागू कोई अन्य कानून।

आदेशों की तत्काल अगली कड़ी-मूल में -

24. उपरोक्त मूल दिनांकित *28.08.2020* आदेशों ने तुरंत कई कार्यों और प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। मूल आदेशों पर तेजी से कार्य करना,

प्रत्यर्थी-आयातकों ने मोचन जुर्माना और जुर्माने के भुगतान के लिए तत्काल कदम उठाए। *29.08.2020* पर, प्रत्यर्थी मेसर्स। राज ग्रो इम्पेक्स ने प्रवेश संख्या वाले तीन बिलों के संबंध में इस तरह का भुगतान किया। *5520732 , 5520871 & 5520536* और ओओसी प्राप्त किया। दूसरी ओर,

प्रतिवादी एम/एस। हरिहर संग्रह ने *29.08.2020* पर अपने सभी आठ प्रवेश पत्रों के संबंध में मोचन जुर्माना और जुर्माना का भुगतान किया और *OOC* प्राप्त किया। जब प्रतिवादी एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स प्रवेश के शेष सात बिलों के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया में था और जब वे सामान जिनके लिए ओ. ओ. सी. जारी किए गए थे

डी. जी. एफ. टी. ने आयात नीति और मटर के आयात पर प्रतिबंधों के साथ-साथ कृषि *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को दिनांकित अपने पत्र को संबोधित किया। डी. जी. एफ. टी. ने कहा कि आयातित मटर का कोई भी विमोचन आयात नीति के विपरीत होगा; कि वे ए. एस. जी. से कानूनी राय प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे; और तब तक, सीमा शुल्क के तहत क्षेत्र संरचनाओं को मटर की खेप जारी नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता है और, यदि ऐसी कोई खेप जारी की गई थी, तो विवरण प्रदान किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि डी. जी. एफ. टी. से इस संचार पर कार्रवाई करते हुए, के क्षेत्रीय अतिरिक्त महानिदेशक

मुंबई में विदेश व्यापार ने आवश्यक निर्देश जारी किए और इसके बाद, सीमा शुल्क उपायुक्त, आयात दस्तावेज *(*आयात-*I)*, मुंबई ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को निर्देश देते हुए दिनांक *02.09.2020* पर एक पत्र जारी किया।

(आयात-*I)*, मुंबई *03.09.2020* पर माल को छोड़ने के लिए जब आवश्यक जुर्माना और जुर्माना पहले ही भुगतान किया जा चुका था। हालांकि, प्रतिवादी आयातकों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अधिकारियों *[2021] 12* एस. सी. आर. से संचार प्राप्त हुआ।

कि बंदरगाह न्यास परिसर में संग्रहीत माल को सीमा शुल्क अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के कारण जारी नहीं किया जाएगा।

इसके बाद, उन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से *11.09.2020* पर एक और पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट की औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन माल को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, आयातक माल की वांछित रिहाई सुनिश्चित नहीं कर सके।

25. उक्त संचार और इनकार से व्यथित होना

माल को जारी करते हुए, प्रत्यर्थी-आयातकों ने अपने द्वारा आयातित माल की निकासी के लिए आदेश की मांग करते हुए बॉम्बे में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, साथ ही उन संचारों पर भी सवाल उठाया जो उन्हें माल को जारी करने से इनकार कर रहे थे। आयातकों द्वारा इस प्रकार दायर की गई रिट याचिकाएं *2020* की रिट याचिका *(*एल*)* संख्या *3502 (*मेसर्स. राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी बनाम। भारत संघ और अन्य*)* और *2020* की रिट याचिका *(*एल*)* संख्या *3503 (*मेसर्स. हरिहर संग्रह *v.* भारत संघ और अन्य*)*, का निर्णय विवादित सामान्य आदेश दिनांक *15.10.2020* द्वारा किया गया था। हम कुछ समय बाद दिनांकित आदेश की प्रासंगिक विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हम संबंधित रिट याचिकाओं में दावा की गई राहतों पर ध्यान दे सकते हैं जो निम्नानुसार हैं: -

मेसर्स द्वारा *2020* की रिट याचिका *(*एल*)* संख्या *3502* में। राज ग्रो इम्पेक्स

"36. इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि:

*(*क*)* यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के अभिलेखों को बुलाने के लिए प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा और इसकी वैधता और वैधता को देखने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा जारी पत्रों को रद्द करने और अलग करने के लिए प्रसन्न होगा।

और *6* पर *02.09.2020 ("O & P* प्रदर्शित करता है*");*

*(*ख*)* यह माननीय न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत अनिवार्य या अनिवार्य की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा, जिसमें प्रत्यर्थियों और विशेष रूप से प्रत्यर्थी नंबर *4*, इसके अधिकारियों, अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित माल को मंजूरी देने का आदेश और निर्देश दिया जाएगा। *5520732 , 5520871* और

5520536 सभी दिनांकित *01.11.2019;*

*(*ग*)* यह माननीय न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत अनिवार्य लिखित आदेश या अनिवार्य लिखित आदेश या कोई अन्य उपयुक्त लिखित आदेश या निर्देश जारी करता है।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

मोचन जुर्माना और दंड; *(घ)* कि इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित है, कि इस माननीय न्यायालय को प्रसन्न किया जाए

आई. प्रत्यर्थी *Nos.3* और स्वयं *4*, उसके अधिकारियों, अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को याचिकाकर्ता द्वारा आयातित माल की निकासी को रोकने के लिए कोई और कार्रवाई करने से रोकें। *5520732 , 5520871* और *5520536* सभी

दिनांकित *01.11.2019; ii.* प्रत्यर्थी संख्या *4*, स्वयं, उसके अधिकारियों, अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को आयातित वस्तुओं को हटाने का निर्देश दें।

याचिकाकर्ता ने प्रवेश संख्या के बिलों को देखा। *5520732 , 5520871* और

5520536 सभी दिनांकित *01.11.2019;*

iii. प्रत्यर्थी संख्या *7* और स्वयं प्रत्यर्थी संख्या *4*, उसके अधिकारियों, अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को आयातित माल को जारी करने का निर्देश दें। *5520537 , 5520538 , 5520539 , 5520540,5520541 , 5520872* और भुगतान पर *5521191* मोचन जुर्माना और दंड;

(च) इस याचिका की लागत और उस पर किए गए आदेशों के लिए, और *(छ)* ऐसी आगे और अन्य राहतों के लिए जो यह माननीय न्यायालय दे सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझते हैं।

" 33. इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है किः *(क)* यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के अभिलेखों को बुलाने के लिए प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न होगा।

और इसकी वैधता और वैधता को देखने के बाद प्रत्यर्थी संख्या *5* और *6* द्वारा *02.09.2020 ("*के एंड एल प्रदर्शित करें*")* पर जारी किए गए निर्देशों/पत्र को रद्द करने और अलग करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए;

(ख) यह माननीय न्यायालय मैंडमस या मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त राइटर *[2021] 12* एस. सी. आर. की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रसन्न होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत आदेश या निर्देश

उत्तरदाताओं को आदेश देना और निर्देशित करना और विशेष रूप से

प्रत्यर्थी सं. *7* और स्वयं प्रत्यर्थी सं. *4*, इसके अधिकारी,

याचिकाकर्ता द्वारा आयातित वस्तुओं को हटाने के लिए अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को प्रवेश पत्र संख्या। *5720040 , 5720192 , 572069 , 5722458 , 5722730 , 5719772 , 5722243* और *5722456,* सभी

दिनांकित *18.11.2019;* *(ग)* कि इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित है, कि

यह माननीय न्यायालय प्रसन्न होगा कि

आई.

स्वयं प्रत्यर्थी सं. *3* और उसके अधिकारियों को रोकें,

याचिकाकर्ता द्वारा आयातित माल की निकासी को रोकने के लिए अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। *5720040 , 5720192 , 572069 , 5722458 , 5722730 , 5719772 , 5722243* और *5722456*, सभी दिनांकित

18.11.2019 ;

ii.

प्रत्यर्थी संख्या *4*, स्वयं, उसके अधिकारियों को निर्देश दें,

याचिकाकर्ता द्वारा आयातित वस्तुओं को हटाने के लिए अधीनस्थों, सेवकों और एजेंटों को प्रवेश पत्र संख्या। *5720040 ,*

5720192 , 572069 , 5722458 , 5722730 , 5719772 , 5722243 और *5722456*, सभी दिनांकित *18.11.2019;*

(घ) उपरोक्त प्रार्थना खंड *(घ)* के संदर्भ में अंतरिम राहत के लिए;
(ई) इस याचिका और उस पर किए गए आदेशों की लागत के लिए, और

(च) ऐसी आगे और अन्य राहतों के लिए जो यह माननीय न्यायालय दे सकता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझते हैं।

25.1 . आयातकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को *10* के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। *06.10.2020* पर विचार के लिए मामले को तय करते समय दिन।

26. जबकि उपरोक्त रिट याचिकाएँ लंबित रहीं

उच्च न्यायालय, सीमा शुल्क आयुक्त *(आयात-II)*, मुंबई ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी *(2)* के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग-अलग आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़े, जिसमें कहा गया कि जिन आधारों पर उक्त आदेश-मूल-वैधता और औचित्य पर संदिग्ध थे; और संबंधित प्राधिकारी को इस पर आवेदन करने का निर्देश दिया

उक्त आदेशों को निरस्त करने और पारित करने के लिए आयुक्त *(अपील)*

12 मेसर्स के मामले में समीक्षा आदेश संख्या *1/2020-21* होना। मेसर्स के मामले में राज ग्रो इम्पेक्स एंड रिव्यू ऑर्डर नंबर *2/2020-21*। हरिहर संग्रह।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

उपयुक्त समझा गया आदेश। दिनांकित *01.10.2020* के उपरोक्त आदेशों में बताए गए आधारों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए अपनी प्रासंगिकता रखते हैं

इन अपीलों और उन्हीं को आवश्यक विवरणों में भी देखा जा सकता है।

26.1 एम/एस के मामले में। राज ग्रो इम्पेक्स, आयुक्त ने निम्नलिखित कमियों को पायाः -

ए। कारण बताने का नोटिस जारी नहीं किया गया

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *124* के संदर्भ में,

आयुक्त ने राय दी कि मूल आदेश को जब्त करने के सभी प्रासंगिक आधारों को शामिल करते हुए एक विस्तृत कारण दस्सो नोटिस देने की कमी के कारण एक कानूनी दुर्बलता का सामना करना पड़ा। आयुक्त ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

बी। आयातक के आई. ई. सी. के निलंबन के मुद्दे का समाधान नहीं
इस पहलू के संबंध में, आयुक्त ने इस तथ्य का उल्लेख किया

कि विचाराधीन फर्म के अस्तित्व के बारे में एक सवालिया निशान था; और आई. ई. सी. के निलंबन या समाप्ति से संबंधित वैधानिक अपीलों का भी उल्लेख किया। आयुक्त ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

"न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जारी ओ. आई. ओ. विषय में,

प्राप्ति के संबंध में संक्षिप्त तथ्यों में उल्लेख किया गया है

जे. टी. द्वारा शिकायतें डी. जी. एफ. टी. को आयातक की वित्तीय स्थिति पर संदेह था कि यह एक मुखौटा कंपनी हो सकती है और इसे सीमा शुल्क स्तर पर सत्यापित किया जाना था।

इस संबंध में संक्षिप्त तथ्यों में यह उल्लेख किया गया है कि आयातक मेसर्स राज ग्रो इम्पेक्स के *3* खातों का बैंक विवरण जाँच की गई
और वित्तीय प्रमाण पत्रों को जे. टी. को भेज दिया गया। डी. जी. एफ. टी., जयपुर द्वारा दिनांकित *22.11.2019* का पत्र। कि सलाहकार *[2021] 12* एस. सी. आर. के बावजूद।

जेटी से। डी. जी. एफ. टी. ने कहा कि तथ्यों को सत्यापित किया जा सकता है और माननीय के समक्ष रखा जा सकता है

अदालत, ए. डी. सी. ने मामले का फैसला सुनाया।

आई. ई. सी. को रद्द करने के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है या

अन्यथा उक्त आयातक के संबंध में डी. जी. एफ. टी. द्वारा आदेश यह है

इसलिए एक बोलने का आदेश नहीं है और माननीय सर्वोच्च के संदर्भ में

अदालती आदेश, आई. ई. सी. के निलंबन के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए

इस मामले में। इसलिए, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के लिए,

आदेश समीक्षा के योग्य है "।

सी। आदेश इस धारणा पर पारित किया गया है कि माल

मोचन जुर्माने के खिलाफ रिहा किया जाना था

आयुक्त ने आगे कहा कि विचाराधीन आदेश

इस धारणा पर पारित किया गया था कि माल को मोचन जुर्माने के खिलाफ जारी करने की आवश्यकता थी, हालांकि विभिन्न मुद्दों सहित

मात्रात्मक प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाना था। इस संबंध में, आयुक्त ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* के साथ-साथ निषिद्ध वस्तुओं को परिभाषित करने वाली धारा *111* और *113* का भी उल्लेख किया। द. आयुक्त ने विषय अधिसूचनाओं में मात्रात्मक प्रतिबंधों के निहितार्थ और अर्थ पर कृषि *(*उपरोक्त*)* के मामले में इस न्यायालय के निष्कर्षों को आगे दोहराया और निम्नलिखित रूप में देखाः -

अनुमति देने के प्रश्न को संबोधित करते हुए निर्णय प्राधिकरण
जुर्माने के भुगतान पर विवादित माल का मोचन, लागू नहीं हुआ

उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधायी इरादे पर उनका मन

हरी मटर का आयात। मुक्ति की अनुमति दी गई है

यांत्रिक रूप से इसके गुण या दोषों में गए बिना

इस तरह के एक विकल्प की अनुमति देना, इस प्रकार विधायी को दरकिनार करना

प्रतिबंधों के पीछे का इरादा "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

डी। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों पूरी तरह से ज़ब्त किया गया या फिर से

निर्यात पर ध्यान नहीं दिया गया।

आयुक्त ने आगे इस तथ्य का उल्लेख किया कि माल

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत प्रतिबंधित हो गया और न्यायनिर्णयन की ओर से चूक पाई गई। प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखेगाः

- भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

"19. सीमा शुल्क की धारा *11* के तहत माल प्रतिबंधित हो गया।

विदेशी व्यापार *(*विकास*)* की धारा *3* के साथ पठित अधिनियम, *1962*

और विनियमन*)* अधिनियम, *1992*। इस प्रकार, पुनः निर्यात का विकल्प

कहा गया कि मूल आपूर्तिकर्ता को भी सामान ले जाना चाहिए था

और इसे यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। यह न्यायनिर्णायक है
अभ्यास करते समय ठोस कारण देना प्राधिकरण का बाध्य कर्तव्य है।

इस बारे में विवेकाधिकार कि क्यों माल को मोचन जुर्माने पर जारी किया जा रहा है

जो वह करने में पूरी तरह विफल रहे। राजस्व के प्रति उनका दायित्व था।

और राज्य, जितना उसने अपीलार्थी के प्रति किया, जबकि

मुक्ति के प्रश्न पर विचार करना। न्यायनिर्णयन

प्राधिकरण ने इस बात का कारण नहीं बताया कि छूट क्यों दी गई

जब्ती या पुनः निर्यात पर विचार नहीं किया जाता है
ऊपर सूचीबद्ध मामले के तथ्यों का दृष्टिकोण "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

ई. उपरोक्त के अलावा, आयुक्त ने यह भी पाया कि

कमियां जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने, *(i)* मामले को नामित सरकारी एजेंसी को भेजने के बजाय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला प्रमाण पत्र पर भरोसा करने का विकल्प चुना; *(ii)* इसके लिए जांच नहीं की।

बाजार मूल्य और लाभ के मार्जिन का पता लगाना; और *(iii)* खेप पर देय शुल्क का आकलन नहीं किया।

26.2 . मेसर्स के मामले के संबंध में। हरिहर संग्रह, द

इस मुद्दे पर टिप्पणियां की गईं जैसा कि एम/एस के अन्य मामले में की गई थीं। राज ग्रो इम्पेक्स लेकिन, यह देखा गया कि इस आयातक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया था न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा। इसके अलावा, इस आयातक से संबंधित मूल आदेश भी उन्हीं कमियों से ग्रस्त पाया गया जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है।

27. उपरोक्त आदेश दिनांक *01.10.2020* ने अतिरिक्त आदेश का नेतृत्व किया

सीमा शुल्क आयुक्त, समूह-*I*, मुंबई ने आयुक्त *(*अपील*)* को आवेदन करने के लिए और उस आधार पर, अपील में मामलों की जांच की गई; और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक *24.12.2020* में अपने आदेशों में निर्णय लिया गया। हालांकि, इस तरह के निर्णय से पहले

अपीलीय प्राधिकरण, *[2021] 12* एस. सी. आर. द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिकाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयातकों को उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया गया था और दिनांक *15.10.2020* के सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया गया था। एसएलपी *(*सी*)* संख्या से उत्पन्न अपील में इस सामान्य आदेश को चुनौती दी गई है। *14633-34 2020* से। इसलिए, दिनांक *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील पर विस्तार करने से पहले, संबंधित विवरणों के साथ आवश्यक विवरणों में दिनांकित *15.10.2020* के विवादित आदेश की जांच करना आवश्यक है।

15.10.2020 दिनांकित आदेश और उसका संशोधन दिनांकित

09.12.2020 : उच्च न्यायालय माल जारी करने के लिए आदेश जारी करता है।

28. जैसा कि देखा गया है, प्रतिवादी-आयातकों ने उक्त आदेश दिनांक *01.10.2020* को पारित करने से पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

15.09.2020 उनके द्वारा आयातित माल की निकासी के लिए अनिवार्यता की मांग करते हुए, साथ ही उन संचारों पर भी सवाल उठाते हैं जो उन्हें विचाराधीन माल को जारी करने से इनकार करते हैं। इन रिट याचिकाओं में, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया था और प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे मामले को तय करते हुए *10* दिनों के भीतर एक हलफनामा दायर करें, लेकिन बीच में, सीमा शुल्क आयुक्त *(*आयात-*I)*, मुंबई ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी *(2)* के तहत उपरोक्त आदेश पारित किए।

29. जब रिट याचिकाओं की सुनवाई *06.10.2020* पर की गई, तो उत्तरदाताओं की ओर से एक प्रस्तुति दी गई कि उक्त याचिका को पारित करने के बाद

आयुक्त द्वारा दिनांकित *01.10.2020* आदेश, रिट याचिकाएँ थीं

निष्फल बना दिया गया और रिट के लिए खारिज किए जाने के लिए भी उत्तरदायी थे
याचिकाकर्ताओं ने आयुक्त द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती नहीं दी है।

यह भी बताया गया कि दिनांक *1* के उक्त आदेश के अनुसार, मूल आदेशों के खिलाफ आयुक्त *(*अपील*)* के समक्ष अपील पहले ही दायर की जा चुकी थी। इसके विपरीत, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह से लिया गया रुख न केवल अनुचित था, बल्कि असमर्थनीय भी था। यह प्रस्तुत किया गया था कि रिट याचिकाओं के प्रतिवादियों ने अदालत की अनुमति लिए बिना याचिकाओं के विषय को भौतिक रूप से बदलने का प्रयास किया था। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि आयुक्त द्वारा अतिरिक्त आयुक्त को अपील के लिए आवेदन करने का निर्देश देते समय बताए गए आधार पूरी तरह से तुच्छ थे और *01.10.2020*

के आदेश में दिए गए सभी आधारों का भी विरोध किया गया था। यह. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि *03.09.2020* पर जारी किए गए मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश क्षेत्र में थे और न तो किसी अपीलीय प्राधिकरण या उच्च प्राधिकरण द्वारा अलग किए गए थे और न ही रोक लगाई गई थी; कि रिट याचिकाकर्ताओं ने आदेशों की सभी शर्तों का पालन किया था और उनके पास भारत और ओआरएस का संघ था।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

भुगतान किया; कि विचाराधीन माल को जारी नहीं करने का कोई उचित कारण नहीं था; और सीमा शुल्क गोदाम में माल के भंडारण के कारण, रिट याचिकाकर्ताओं को भारी खर्च का सामना करना पड़ रहा था।
30. अपने विवादित सामान्य आदेश दिनांक *15.10.2020* में, उच्च न्यायालय ने मेसर्स की याचिका पर विचार किया। हरिहर संग्रह ने प्रमुख मामले के रूप में और सभी पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, सबसे पहले आयुक्त द्वारा दिनांकित आदेश पारित करने में औचित्य से संबंधित मुद्दों को उठाया, जब उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं लंबित थीं।

अदालत। इस संबंध में एक गंभीर अपवाद लिया गया कि

आयुक्त ने उस समय आदेश पारित करने का फैसला किया जब उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बाद के विकास के कारण रिट याचिकाओं को खारिज करने या रिट याचिकाकर्ताओं को अपीलीय मंच पर भेजने का सुझाव

न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में दृढ़ता से अपने विचार व्यक्त किए: -

"26. जब इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया था और मामले को तय करने के मामले में था *06.10.2020*

विचार के लिए, यह की ओर से अत्यधिक अनुचित था

सीमा शुल्क आयुक्त *(*आयात-*II)* ने न्यायालय को कोई सूचना दिए बिना या अनुमति लिए बिना *01.10.2020* दिनांकित आदेश पारित किया हो। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जब न्यायालय, वह भी उच्च न्यायालय, किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तो एक प्रशासनिक या कार्यकारी प्राधिकरण उसी पर समानांतर कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है।
विषय वस्तु अपने स्वयं के इप्स डिक्सिट पर और एक निष्कर्ष दर्ज करें। यह अदालतों द्वारा न्याय के वितरण में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा। तत्काल मामले में, जब न्यायालय की जाँच करने के लिए निर्धारित किया गया था

मूल आदेश के बावजूद माल को जारी न करने के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत, जो करने की मांग की गई थी, वह इस तरह के बीच में पारित आदेश के साथ न्यायालय को प्रस्तुत करना था।

यह कहते हुए कि मूल आदेश अवैधता या अनुचितता से ग्रस्त है, न्यायालय को पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए जाँच की जाती है कि अधीनस्थ प्राधिकारी को मूल आदेश को दरकिनार करने के लिए आयुक्त *(*अपील*)* को आवेदन करने का निर्देश दिया जाता है और फिर यह तर्क दिया जाता है कि रिट याचिका को बाद के विकास के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

या कि याचिकाकर्ता को बाद के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलीय मंच में भेज दिया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के बराबर है और इस प्रकार यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। एक दृष्टिकोण लिया जा सकता है कि इस तरह के आदेश को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपत्तिजनक है। *"[2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी *(2)* के तहत शक्तियों के दायरे और उद्देश्य की जांच करने के लिए आगे बढ़े और कहा कि वे शक्तियां बहुत संकीर्ण दिशा में थीं।

अनिवार्य रूप से पुनरीक्षण का, न कि समीक्षा का। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आयुक्त के पास उक्त आदेश पारित करने के लिए तीन महीने का समय था जिसे आगे तीस दिनों तक बढ़ाया जा सकता था और फिर भी उन्होंने अदालत की कार्यवाही के बीच सबसे जल्दबाजी में आदेश पारित करने का फैसला किया।

अदालत पूरी तरह से अंधेरे में है। आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दिए गए कारणों का सारांश दिया निम्नलिखित शब्दों में मूल आदेशों के खिलाफ दृष्टिकोण लेनाः -

" 29 ..... मामले के तथ्यों और आदेश का वर्णन करने के बाद-मूल रूप से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित, सीमा शुल्क आयुक्त ने यह विचार लिया कि उक्त आदेश कानूनी और उचित नहीं है। निम्नलिखित कारणों से *(*उल्लिखित आधार*):*

1. न्यायनिर्णायक द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस जारी न करना

अधिकार; *2.*
आयातक के आयात निर्यात संहिता के निलंबन के मुद्दे को संबोधित नहीं करना;

3. न्यायनिर्णयन आदेश इस आधार पर जारी किया गया था कि माल को मोचन जुर्माने के खिलाफ जारी किया जाना आवश्यक था, जबकि कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विचार करने की आवश्यकता थी, जैसे कि आयात का निलंबन।

निर्यात कोडइटीसी। ;
4. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस बात के कारण नहीं बताए कि पूर्ण जब्ती या पुनः निर्यात को एक विकल्प के रूप में क्यों नहीं माना गया था।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस बात पर चर्चा नहीं की कि उन्होंने मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के प्रमाण पत्र पर भरोसा क्यों किया

6. बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए जांच नहीं की गई और
मोचन जुर्माना और जुर्माना लगाने के लिए लाभ का मार्जिन।

32. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दिनांकित *01.10.2020* आदेश के उपरोक्त आधारों पर विचार किया।
32.1 . उच्च न्यायालय ने कारण दर्शाओ नोटिस जारी न करने से संबंधित पहले आधार के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

" *32.2* . तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने का अनुरोध किया, बल्कि उसे व्यक्तिगत सुनवाई देने का अनुरोध किया। यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था जो धारा *124* के पहले परंतुक के तहत स्वीकृत रूप से उसके पास शक्ति है और उसने उसी के लिए कारण दिए हैं, यानी, लंबे समय तक लंबित रहने और माल की खराब होने वाली प्रकृति।

32.2 . जहां तक आयातक के आयात निर्यात संहिता के निलंबन के मुद्दे के गैर-समाधान के दूसरे आधार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने

कृषि *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है कि इस तरह के मुद्दे को लंबित वैधानिक अपील में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया था; और अन्यथा भी, *06.12.2019* दिनांकित निलंबन के आदेश ने वर्जित कर दिया था।

संभावित रूप से आयातक और इस तरह के निलंबन ने किसी भी तरह से विचाराधीन आयात को प्रभावित नहीं किया। उच्च न्यायालय ने कहाः -

" *33.2* . उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणी की थी, उसे ध्यान में रखते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस तरह की कार्रवाई और जांच नहीं कर सकता था

निलंबन का आदेश। इसके अलावा, दिनांक *16.12.2019* के निलंबन के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश ने याचिकाकर्ता को आगे कोई आयात और निर्यात करने से रोक दिया है।
इसका अर्थ यह है कि यह संभावित है और उस तारीख से पहले किए गए आयात को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है जो कि विषय वस्तु थी

मूल क्रम में निर्णय "।

32.3 . उपर्युक्त तीसरे, चौथे और छठे आधारों की एक साथ जांच की गई और उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि

इन आधारों के आधार पर मूल आदेश संदिग्ध प्रतीत हुआ। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

" *34.3* . धारा *125* की उप-धारा *(1)* के तहत संबंधित मालिक या व्यक्ति को जब्ती के बदले जुर्माना देने का विकल्प देने की शक्ति उन वस्तुओं के संबंध में विवेकाधीन है जिनका आयात या निर्यात निषिद्ध है लेकिन अन्य वस्तुओं के संबंध में यह अनिवार्य है। इसलिए, ऐसी शक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए उपलब्ध है और उसने उस शक्ति का प्रयोग किया है। इसके अलावा, जब ज़ब्ती के बदले में जुर्माना लगाया जाता है, तो उप-धारा *(2)* यह स्पष्ट करती है कि मालिक या संबंधित व्यक्ति को जुर्माने, सीमा शुल्क और अन्य के अलावा भुगतान करना होगा।
शुल्क लेते हैं। इसलिए मूल क्रम में देय शुल्क का उल्लेख न करना महत्वहीन है, क्योंकि इसका भुगतान वैधानिक रूप से किया जाता है।

धारा *125* की उप-धारा *(2)* के तहत अधिदेशित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX

XXX

XXX

उपरोक्त आधारों पर मूल संदिग्ध प्रतीत होता है। के रूप में
पहले से ही चर्चा की गई, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास देने की शक्ति थी

संबंधित मालिक या व्यक्ति को इसके बदले जुर्माना देने का विकल्प

ज़ब्त करना कि उसने किस शक्ति का प्रयोग किया और जुर्माने की मात्रा

सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया था

निर्धारण अधिकारी द्वारा सुझाए गए लाभ का मार्जिन।
32.4 . पांचवें आधार के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि

विचाराधीन प्रयोगशाला सीमा शुल्क विभाग को मान्यता प्राप्त थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अपनी रिपोर्ट पर भरोसा करने में कोई गलती नहीं पाई जा सकी।

33. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में जो ध्यान दिया गया है, उसके लिए

ऐसा प्रतीत होगा कि उच्च न्यायालय ने न केवल सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दिनांकित आदेश पारित करने के औचित्य पर सवाल उठाया, बल्कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने के निर्देशों के लिए उसमें बताए गए आधारों की भी जांच की; और आयुक्त द्वारा सुझाए गए आधारों की वैधता के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। हालाँकि, इस तरह की विस्तृत चर्चाओं और टिप्पणियों के बाद भी, उच्च न्यायालय ने जानबूझकर उक्त आधारों पर अंत में फैसला सुनाना बंद कर दिया क्योंकि मामला पहले ही उक्त आदेश दिनांक *01.10.2020* के अनुसार अपील में लिया जा चुका था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि दिनांक *1* के उक्त आदेश को पारित करने का तरीका निश्चित रूप से संदिग्ध था और आगे कहा कि उक्त आदेश की सामग्री और दिए गए आधार, जैसा कि प्रथम दृष्टया जांच की गई है, यह नहीं बताते हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश प्रभावित कर रहा था। ऐसी किसी भी अवैधता और अनुचितता से कि धारा *129* डी *(2)* के तहत स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने दोहराया कि उल्लिखित आधारों की प्रथम दृष्टया जांच करने पर, मूल आदेशों को गैरकानूनी या अनुचित या अन्यायपूर्ण या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की सीमा से परे नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, यह दोहराया गया कि चूंकि आवेदन दायर किया गया था जिसका निर्णय एक अपील के रूप में किया जाएगा, इसलिए उच्च न्यायालय अपनी जांच को सीमित कर रहा था

दिनांकित *01.10.2020* आदेश के बल पर माल को जारी नहीं करने का औचित्य या अन्यथा। विवादित आदेश के पैराग्राफ *36* में आने वाली उच्च न्यायालय की ये टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

"*36.* हमने दिनांकित आदेश में दिए गए आधारों की जांच की है
01.10.2020 भारत और ओ. आर. एस. के आयुक्त संघ पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

लेकिन केवल खुद को संतुष्ट करने के लिए कि क्या ऐसे आधारों पर

वास्तविक संतुष्टि इस बात से मिल सकती है कि मूल क्रम में

अवैधता या अनुचितता से पीड़ित है। उस पहलू पर भी,
हम अपने अंतिम विचार व्यक्त करने से बचते हैं क्योंकि यह कहा गया है

कि आवेदन दिनांकित आदेश के अनुसार दायर किया गया है
01.10.2020 जिसे अब एक अपील के रूप में माना जाएगा, लेकिन

संदिग्ध और दिनांकित *01.10.2020* आदेश की सामग्री
विशेष रूप से दिए गए आधारों की प्रथम दृष्टया जांच की गई है

धारा *129* डी *(2)* का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया,
उपरोक्त आधारों की जांच करने पर हम यह नहीं कह सकते कि

मूल आदेश गैरकानूनी या अनुचित या अन्यायपूर्ण है

या कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने सीमा से परे काम किया

अपने अधिकार से। हालाँकि, जब से आवेदन दायर किया गया है
जिसका फैसला अब आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा किया जाएगा।

एक अपील के रूप में, हम केवल अपनी परीक्षा को सीमित करते हैं

माल को जारी नहीं करने का औचित्य या अन्यथा
दिनांकित *01.10.2020* आदेश के बल पर याचिकाकर्ता।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

34. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उन कारकों को याद किया कि आदेश

इन-ओरिजिनल पहले से ही मैदान पर था; उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि

घोषित मात्रा के अनुपात में मोचन जुर्माना और व्यक्तिगत जुर्माना लगाया गया था; याचिकाकर्ता ने मूल आदेश के नियमों और शर्तों का पालन किया था और आवश्यक भुगतान किए थे; शुल्क से बाहर जारी किया गया था; और याचिकाकर्ता माल के भंडारण के कारण पर्याप्त खर्च कर रहा था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त किए कि याचिकाकर्ता के आयातित सामान को रोकना उचित और उचित नहीं होगा; और दिनांक *1* के आदेश के आधार पर उनकी रिहाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह कहने के बाद, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ *37* से *39* में होने वाले निष्कर्षों और निष्कर्षों के साथ रिट याचिकाओं पर निष्कर्ष निकाला, जो निम्नानुसार हैः -

"*37.* हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और नोट कर चुके हैं कि मूल क्रम में मैदान पकड़ रहा है। इसे न तो अलग किया गया है और न ही रोक दिया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रत्यर्थी अपने हलफनामे के पैरा *16* में *Nos.4* से *6* तक स्वयं स्वीकार किया है कि मोचन जुर्माना और व्यक्तिगत *[2021] 12* एस. सी. आर.

जुर्माना प्रवेश पत्र में घोषित राशि के अनुपात में लगाया जाता था। याचिकाकर्ता ने मूल आदेश के नियमों और शर्तों का पालन किया है और आवश्यक भुगतान किए हैं। आउट ऑफ चार्ज जारी किया गया है। माल के भंडारण के कारण

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *49* के तहत, याचिकाकर्ता को भुगतान करना आवश्यक है

सीमा शुल्क प्राधिकरण को एक बड़ी राशि। उपरोक्त संदर्भ में और मामले के सभी पहलुओं पर गहन विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के आयातित माल को आगे जारी नहीं करना या रोकना उचित और उचित नहीं होगा। कम से कम दिनांकित *01.10.2020* आदेश में दिए गए आधार, जो आदेश स्वयं अत्यधिक अनुचित तरीके से पारित किया गया था, उचित नहीं ठहराते हैं।
कि मूल और अनुपालन आदेश के बावजूद माल को रोक दिया जाना चाहिए या छोड़ने से इनकार कर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

38. नतीजतन, हम उत्तरदाताओं को विशेष रूप से उत्तरदाता *Nos.4* से *7* को माल को तुरंत जारी करने का निर्देश देते हैं।
याचिकाकर्ता को *Nos.5720040,5720192,572069,5722458,5722730,5719772,5722243* और *5722456* वाले प्रवेश पत्रों द्वारा कवर किया गया है, जो सभी दिनांकित *18.11.2019* हैं। इसी तरह का निर्देश *2020* की रिट याचिका *No.3502* में भी *Nos.5520732* वाले प्रवेश पत्रों के संबंध में दिया गया है।

5520871 और *5520536*, सभी *dated01.11.2019*।
39. दोनों रिट याचिकाओं को तदनुसार अनुमति दी जाती है। हमने इस मामले में लागत लगाने के बारे में सोचा लेकिन हमने खुद को इससे दूर रखा है।

ऐसा करने से "।

35. जैसा कि देखा गया है, अपीलकर्ताओं ने एसएलपी *(सी)* के माध्यम से *26.11.2020* पर दिनांकित *15.10.2020* के उपरोक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

नं. *14633-34 2020* का लेकिन एस. एल. पी. विचार के लिए नहीं आया और इस बीच, आयातक मेसर्स। राज ग्रो इम्पेक्स ने दिनांक *15.10.2020* के आदेश में संशोधन करने और बचे हुए प्रवेश पत्रों को शामिल करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो दिनांक *15.10.2020* के मूल आदेश के पैराग्राफ *38* में नहीं था। हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष यह बताया गया था कि दिनांक *1* के आदेश के खिलाफ इस

न्यायालय में एसएलपी पहले ही दायर की जा चुकी थी, लेकिन यह भी एक स्वीकृत स्थिति थी कि तब तक इस न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं दी गई थी। प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में *09.12.2020* पर संशोधन आदेश जारी करना उचित और उचित समझाः -

"*10.* पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उचित विचार करने पर, हम भारत और ओ. आर. एस. के *15* वें संघ के अपने निर्णय और आदेश को संशोधित करते हैं।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

अक्टूबर, *2020* पैराग्राफ *4.1* के साथ-साथ पैराग्राफ *38* में निम्नलिखित वाक्य को सम्मिलित/जोड़कर। पैराग्राफ *38* की अंतिम पंक्ति इस प्रकार होगीः

"इसके अलावा, प्रत्यर्थी *Nos.4* से *7* तक को याचिकाकर्ता के सामान को तुरंत जारी करने का भी निर्देश दिया जाता है, जो सात प्रवेश पत्रों में शामिल हैं। *5520537* , *5520538* , *5520539* , *5520540* , *5520541* , *5520872* और *5521191* मोचन जुर्माना, जुर्माना, सीमा शुल्क और किसी भी भुगतान पर

अन्य देय राशि जो कानून के अनुसार देय हो सकती है।

36. जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय, कई बनाने के बावजूद

टिप्पणियाँ और टिप्पणियां कि आयुक्त ने पूरी तरह से काम किया था दिनांकित *01.10.2020* आदेश जारी करने में अनुचित; और अपने विचारों का संकेत देते हुए भी कि आयुक्त द्वारा बताए गए आधार मान्य नहीं हो सकते हैं, ऐसे आधारों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिए और इस पहलू को बनाया

दिनांकित *15.10.2020* आदेश के पैराग्राफ *36* में बार-बार स्पष्ट करें कि आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा अपील में मामले *(*गुण-दोष पर*)* की जांच की जाएगी।

37. अपीलीय प्राधिकरण अर्थात, के आयुक्त

सीमा शुल्क *(*अपील*)* ने पंजीकृत अलग-अलग अपीलों में मामले को निपटाया निजी उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत मामलों में और दिनांक *24.12.2020* के अलग-अलग आदेश-इन-अपील के माध्यम से इसका फैसला किया गया। ध्यान रखें।

संबंधित प्रश्नों के लिए, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना भी उचित होगा।

24.12.2020 .

अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित *24.12.2020* आदेशः

जुर्माने में वृद्धि के साथ मूल आदेश अलग रखे गए *38.* मेसर्स के मामले के संबंध में दिनांकित *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील में। राज ग्रो इम्पेक्स, अपीलीय प्राधिकरण ने पूरी तरह से जांच की

मूल दिनांक *1* के आदेश की सामग्री और अपील के आधार के साथ-साथ पक्षों की प्रस्तुतियाँ और जवाबी प्रस्तुतियाँ; और उसके बाद, निम्नलिखित रूप में निर्धारण की आवश्यकता वाले मुद्दों को तैयार किया गयाः

" *52.2* . उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित *16.12.2020* प्रस्तुतियों के सादे पठन से, मैंने देखा है कि उनके द्वारा उठाए गए कुछ तकनीकी/परिधीय मुद्दे हैं, जिनमें अतिरिक्त जैसे आधारों पर वर्तमान अपील की स्थिरता शामिल है। आयुक्त सीमा शुल्क आयुक्त के समकक्ष है और इसलिए, अपील, यदि कोई हो, तो आयुक्त *[2021] 12* एस. सी. आर. के पास नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अपील*)* और समीक्षा बनाम संशोधन का मुद्दा जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में निपटा है। इसके अलावा, अपील के आधारों से, जिन प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, वे हैं *(i)* क्या अतिरिक्त सीमा शुल्क आयुक्त कारणदर्शक नोटिस जारी नहीं करने, आई. ई. सी. को रद्द करने आदि के बावजूद निर्णय के साथ आगे बढ़ने में सही थे। *(ii)* क्या विवादित माल अधिनियम की धारा *125 (1)* के तहत पूर्ण जब्ती या मोचन के लिए उत्तरदायी है, इस पर विचार किया जाना चाहिए था या इसके लिए उसे भुनाया जाना चाहिए था।

मूल आपूर्तिकर्ता को पुनः निर्यात करने का उद्देश्य और *(iii)* क्या

अपराध की गंभीरता को देखते हुए लगाया गया मोचन जुर्माना और जुर्माना पर्याप्त है। नीचे दी गई अपनी चर्चाओं में, मैं इस पर चर्चा करूंगा।

इन मुद्दों के साथ "।

38.1 . आयातक द्वारा उठाए गए परिधीय/तकनीकी मुद्दों को अस्वीकार करने के बाद, अपील की रखरखाव और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में

उसी से निपटने के लिए, अपीलीय प्राधिकरण ने मामले में शामिल प्रमुख मुद्दों के निर्धारण में प्रवेश किया। यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि अपील के विरोध में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष आग्रह की गई दलीलों में से एक यह थी कि उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक *1* के अपने आदेश में अपील के सभी आधारों की जांच की गई थी और इसलिए, अपील अस्वीकृति के योग्य थी। अपीलार्थी की ओर से इस तर्क का प्रतिवाद इस दलील के साथ किया गया कि केवल दिनांक *2* के आदेश का कार्यान्वयन उच्च न्यायालय के समक्ष विचार का मुद्दा था और दिनांक *1* के आदेश में बताए गए आधारों पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रथम दृष्टया अवलोकन को उच्च न्यायालय के अंतिम विचार के रूप में नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से जब पूरे मामले को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया था। आयुक्त *(*अपील*)* ने आयातक की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहाः -

" *52.7* . मैं अपीलार्थी की उपरोक्त दलीलों से सहमत हूं और इसने प्रत्यर्थी की इन दलीलों का जोरदार खंडन किया है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय पहले ही अपील के सभी आधारों की जांच कर चुका है, इसलिए यह फिर से जांच के लिए खुला नहीं हो सकता है। मूल रूप से प्रत्यर्थी द्वारा जो अनुरोध किया जाता है वह यह है कि आदेश दिनांकित है

15.10.2020 माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपीलीय तंत्र को बंद कर दिया है और परिणामस्वरूप, राजस्व को आयुक्त *(*अपील*)* के समक्ष वर्तमान अपील को आगे बढ़ाने से रोक देगा। यह याचिका निम्नलिखित के लिए गलत, गलत दिशा में निर्देशित और गलत धारणा दोनों है।

कारणः

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

क*)* वर्तमान अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष जो है वह विशुद्ध रूप से गुण-दोष के आधार पर दिनांकित *28.08.2020* के निर्णय आदेश की समीक्षा है। जबकि बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांकित *15.10.2020* आदेश द्वारा जो निर्णय लिया गया था, वह माल की रिहाई से संबंधित है न कि न्यायनिर्णयन आदेश के गुण-दोष से, जो कि

माननीय न्यायालय के समक्ष हमला किया गया।

ख*)* बम्बई के माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक *28.08.2020* के निर्णय आदेश के आधार पर माल जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन उसी आदेश के पैरा *36* के माध्यम से इस अपील की अनुमति दी गई है।

योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई करने और उचित आदेश पारित करने का अधिकार।

ग*)* बम्बई के माननीय उच्च न्यायालय ने इस अपीलीय प्राधिकरण को अपील पर निर्णय लेने की अनुमति देने के बाद, इस प्राधिकरण ने सुनवाई, लिखित प्रस्तुतिकरण के आदान-प्रदान के पर्याप्त अवसर प्रदान किए थे और

प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ प्राप्त करना और इसलिए अब अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और एक बार अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद, निर्णय का आदेश उसी में विलय हो जाएगा। उक्त प्रक्रिया है

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्जित नहीं किया गया।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैंने इस मामले में अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया है और इसलिए, इस संबंध में प्रतिवादी की दलीलें स्वीकार्य नहीं हैं।

38.2 . कृषि *(*उपर्युक्त*)* मामले में इस न्यायालय के निष्कर्षों पर ध्यान देने के बाद, अपीलीय प्राधिकरण निम्नलिखित तरीके से अपील के आधारों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ाः - ए। जहां तक कारण दर्शाओ नोटिस जारी न करने के संबंध में, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी-आयातक ने स्पष्ट रूप से छूट दे दी थी

कारण बताने का अधिकार और यद्यपि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण न्यायनिर्णयन के साथ आगे बढ़ने का हकदार था, उसके द्वारा पारित आदेश कृषि *(*उपर्युक्त*)* में अनुपात के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111* और *125* के संदर्भ में कानून के अनुरूप होना चाहिए।

बी। आई. ई. सी. के निलंबन के मुद्दे को संबोधित न करने के संबंध में, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि दिनांक *05/*आई. डी. *1* के एक आदेश द्वारा उक्त आयातक के आई. ई. सी. को निलंबित कर दिया गया था और ए. एस.

जी., राजस्थान ने अपने दिनांक आई. डी. *1* के पत्र द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया था कि फर्म अस्तित्व में नहीं थी और विमानन व्यवसाय से निपटने वाली कोई अन्य फर्म पिछले *10* वर्षों से किरायेदार के रूप में अपना कार्यालय चला रही थी। अपीलीय प्राधिकरण ने कहा कि कृषि *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, *[2021] 12* एस. सी. आर. के निलंबन या समाप्ति के खिलाफ वैधानिक अपील, यदि कोई हो, को प्राथमिकता दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. ई. सी. का निर्णय कानून के अनुसार किया जाना था। अपीलीय प्राधिकरण इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कृषि *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद कार्यवाही तेज गति से की गई है और भौतिक पहलुओं को विचार से हटा दिया गया है, लेकिन मामले के इस पहलू को उस पर छोड़ दिया गया है, जबकि निम्नानुसार टिप्पणी की गई हैः -

54.2 . आई. ई. सी. के निलंबन के मुद्दे का गैर-समाधान
आयातक

..... इस संबंध में, मैं देखता हूं कि मामले में निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी की गई है जैसा कि मामले की समय सीमा से पता चलता है। हालाँकि उत्तरदाता जो कहता है उसके गुण भी होते हैं।

डी. जी. एफ. टी. के आदेश से आई. ई. सी. के रद्द होने के कारण

उनके आदेश के पैरा *6* में तर्क दिया गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के मन में चिंताएँ उठानी चाहिए थीं। यदि कोई गलत घोषणा की गई है जिसमें आयातक की प्रामाणिकता रही है

सवाल यह है कि इस पर सही तरीके से विचार किया जाना चाहिए था और कम से कम कहने के लिए, ओ. आई. ओ. को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए एक तरफ कारण दर्शाओ नोटिस को माफ कर दिया गया है और दूसरी तरफ, इस तथ्य के बावजूद कि आयातक की ओर से गलत घोषणा की गई है, जैसा कि डी. जी. एफ. टी. के आदेश में सामने लाया गया है, मामले पर निर्णय लेने में जल्दबाजी की गई है। यदि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एक पूर्ण जांच की जाती

शुरू किया गया हो सकता है कि यह गलत तथ्यों को सामने लाया हो

घोषणा, आदि, लेकिन चूंकि यह इस अपील का विषय नहीं है,

इसलिए इसके बारे में आगे चर्चा करने से बचें।

सी। उपरोक्त के बाद, अपीलीय प्राधिकरण ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के संचालन के संबंध में मुख्य प्रश्नों पर विचार किया और इस मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग। द.

अपीलीय प्राधिकरण ने गर्ग वूलेन मिल्स *(*पी*)* लिमिटेड बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों में अनुपात पर ध्यान दिया। एडल्ट। सीमा शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली *(1999) 9* एस. सी. सी. *175*, संत राज और अन्र। वी. ओ. पी. सिंगला और अन्र. *: (1985) 2* एस. सी. सी. *349* और रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स *(*पी*)*

लिमिटेड बनाम। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य। *: (2006) 10* एस. सी. सी. *1* ने सीमा शुल्क अधिनियम और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ वस्तुओं को जारी करने के प्रस्ताव के खिलाफ और उनकी पूर्ण जब्ती के पक्ष में अपने निष्कर्षों को निम्नलिखित शब्दों में बतायाः -

" *54.3* . अनुमति देने में विभिन्न मुद्दों पर विचार न करना

भारत और ओ. आर. एस. के माल का मोचन। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

XXX

XXX

XXX

आयात मात्राओं पर प्रतिबंध लगाना जबकि दूसरी ओर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक मोचन जुर्माना और दंड के भुगतान पर माल को भारतीय बाजारों में मिलाने की अनुमति देकर संवैधानिक रूप से वैध अधिसूचनाओं के उद्देश्य को विफल कर देता है। अपीलार्थी की उपरोक्त प्रस्तुतियों में, उन्होंने प्रतिवादी की प्रस्तुतियों का विस्तार से और मामले के कानूनों के आधार पर प्रतिवाद किया है। अधिनियम की धारा *125* निषिद्ध वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के बीच स्पष्ट अंतर करती है और मोचन जुर्माने के भुगतान पर अन्य वस्तुओं को छोड़ने के लिए बाध्य करती है। च*)* इसलिए कानून यह तय करता है कि अधिनियम के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं को निषिद्ध वस्तु माना जाता है यदि इन वस्तुओं के अधीन शर्तों का पालन नहीं किया गया है। मैसर्स एग्रीका के एलएलपी और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम *1962* के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं और

एफ. टी. *(*डी. एंड आर.*)* अधिनियम, *1992* के प्रावधानों के तहत विषय वस्तुओं के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। चूंकि डी. जी. एफ. टी. अधिसूचना दिनांक *29.02.2019* एफ. टी. *(*डी. एंड आर.*)* अधिनियम, *1992* की धारा *3 (2)* के तहत जारी की गई है, इसलिए एफ. टी. *(*डी. एंड आर.*)* अधिनियम, *1992* की धारा *3 (3)* के तहत वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *11* के तहत निषिद्ध माना जाता है। हालांकि धारा के तहत

125 आयातित माल के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम, *1962*

सीमा शुल्क अधिकारियों को उन वस्तुओं को जारी करने का विवेकाधिकार दिया जाता है जो ज़ब्त करने के बदले जुर्माने के भुगतान पर भी प्रतिबंधित हैं, वही प्रावधान इसके उचित प्रयोग को अनिवार्य करता है और विवेक के ऐसे अभ्यासों के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए, इन मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग लगन से और स्वतंत्र रूप से करने की आवश्यकता है।

मनमानी और अन्याय।

छ) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद *34* में अपने दिनांकित *26.08.2020* के फैसले में मात्रात्मक विवरण दिया है कि "हालांकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों को देखते हुए जहां वास्तविक आयात *8.51* लाख *[2021] 12* एस. सी. आर. का था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एम. टी. और *6.52* लाख एम. टी. *2018-19* और *2019-20* में, हालांकि

इन दो वर्षों के लिए वार्षिक कोटा केवल *1/1.5MT* था। ग्राम है

रुपये में बेचा जा रहा है। *4000-4200* प्रति क्विंटाल जो नीचे है

एमएसपी जो रु। *4875* प्रति कुंतल, जबकि आयातित

पीली मटर का सी. आई. एफ. मूल्य *2028* प्रति क्विंटाल है। पैरा में आगे

48 माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयात, यदि कोई किया जाता है, अंतरिम आदेशों पर भरोसा करना अधिसूचनाओं के विपरीत होगा।

और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, *1992* के तहत जारी व्यापार नोटिस। और इसमें पैरा *46* में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आयातकों को नहीं कहा जा सकता है।

सच्चा विश्वास रखने के लिए और व्यक्तिगत रूप से अपना मौका लेने के लिए

अंतरिम आदेशों के तहत आयात किए गए लाभ और लाभ और तदनुसार

कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो माननीय सर्वोच्च

अपीलार्थी का कि इन परिस्थितियों में अनुमति देते हुए देश के भीतर कोई भी आयात, भले ही जुर्माना और

के तहत वार्षिक आयात की केवल एक छोटी सी खिड़की देने वाले प्रतिबंध निर्धारित कोटा मूल्य। सरकार. मटर और दालों की भी खरीद की है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न योजनाओं के तहत। नतीजतन, सरकार के साथ बफर स्टॉक। बहुत ऊँचा है। अतः किसी भी

किसानों का हित और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर और के उद्देश्यों को विफल कर देगा

आयात प्रतिबंध। इन निष्कर्षों के आधार पर मैं देखता हूं कि

विवादित माल पूर्ण रूप से ज़ब्त किए जाने योग्य था।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

डी। अपीलीय प्राधिकरण ने मार्जिन का आकलन भी पाया

स्थल विश्लेषण और मूल्यांकन में मूल अभाव के क्रम में दंड की मात्रा; और निम्नानुसार देखा गयाः -

"एच. इसके अलावा, राजस्व ने इस तरीके से आपत्ति जताई है -

लाभ के मार्जिन की मात्रा और उसी तरीके की गणना करना जुर्माना और दंड के बीच विभाजित किया गया है और तर्क दिया है

कि आदेश कमजोर आधारों पर और स्वीकृत से परे है

कानून के सिद्धांत। द रेवेन्यू ने बताया कि कैसे द रिडेम्पशन आयन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

जुर्माना और जुर्माना पारस्परिक रूप से अनन्य उद्देश्यों को पूरा करता है अर्थात जब कि मोचन जुर्माना लाभ के मार्जिन को रद्द कर देता है, जुर्माना एक निवारक के रूप में कार्य करता है। लेकिन जिस तरह से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने लाभ के मार्जिन को राहत जुर्माने और दंड के बीच आसानी से विभाजित किया है, वह संदिग्ध है और कानून की दृष्टि से गलत है। इसके अलावा, राजस्व ने मोचन की मात्रा पर भी आपत्ति जताई है। जुर्माना और जुर्माना और दलील देता है कि यह बहुत कम है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के पैरा *12* को सरलता से पढ़ने पर, औसत बुद्धिमत्ता वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि इस मामले में लाभ का मार्जिन कितना कुशलता से तय किया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आयातक द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर पूरी तरह से भरोसा करता है और उन्हें इस तथ्य को भूलकर सुसमाचार सत्य के रूप में लेता है कि वह राजस्व के हितों को देखने के लिए भी बाध्य है। द.

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को बहुत अधिक मेहनती होना चाहिए था,

सतर्क, सतर्क, सावधानीपूर्वक और अधिक होना चाहिए था

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अक्षर और भावना को समझने में अपने दृष्टिकोण में सावधानी बरतें। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, मेरा मानना है कि सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *112 (ए) (आई)* के तहत ओ. आई. ओ. में लगाए गए जुर्माने की मात्रा बहुत कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है

काफी हद तक "।

38.3 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने सभी को अनुमति दी, प्रवेश के सात बिलों द्वारा कवर किए गए माल को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश दिया, जो जारी नहीं किए गए थे, जबकि यह देखते हुए कि प्रवेश के अन्य तीन बिलों *(*जो पहले ही जारी किए जा चुके थे*)* द्वारा लाल रंग का माल पूरी तरह से जब्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे उचित एन. पी. एल. आई. के रूप में स्वीकार करते हुए भुगतान किए गए मोचन जुर्माने के विनियोग का निर्देश दिया।ईगार्ड। अपीलीय प्राधिकरण ने जुर्माने को भी एक लाख रुपये से बढ़ा दिया। *:* करोड़ रुपये की राशि। *5* ओ. एम. एस. अधिनियम की धारा *112 (ए) (आई)* के तहत करोड़ रुपये और निम्नलिखित शर्तों में अंतिम आदेश पारित कियाः -

तदनुसार, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँः

" 57 .

आदेश

आई. मैं बिल में शामिल माल को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश देता हूं।

विदेशी व्यापार की धारा *3 (3)* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *111 (*डी*)* के तहत प्रविष्टि *Nos.5520537,5521191,5520538,5520539,5520541* और *5520872* सभी दिनांकित *01.11.2019* हैं।

(विकास और विनियम*)* अधिनियम, *1992*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ii. मैं विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियम*)* अधिनियम, *1992* की धारा *3 (3)* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *111 (*डी*)* के तहत प्रवेश पत्र, *5520871* और *5520536* के तहत आने वाले सामानों को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश देता हूं। लेकिन, चूंकि इन *3* प्रवेश पत्रों के तहत आने वाली वस्तुओं में

पहले से ही साफ़ कर दिया गया है और पूर्ण ज़ब्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, मैं

मैं इसे उचित कार्य और रिडेम्पशन फाइन के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश हूं

इस संबंध में पहले से भुगतान, यदि कोई हो, को विनियोजित करने का आदेश दिया जाता है।

iii. मैंने रुपये के जुर्माने को अलग कर दिया। सीमा शुल्क अधिनियम *1962* की धारा *112 (*ए*) (*आई*)* के तहत मेसर्स राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी, *114*, फर्स्ट फ्लोर, जयपुर टावर, एम. आई. रोड, जयपुर पर निचली अथॉरिटी द्वारा लगाए गए करोड़ रुपये का जुर्माना और इस नए बढ़े हुए आदेश के खिलाफ भुगतान किए गए किसी भी जुर्माने, यदि कोई हो, को विनियोजित करने का आदेश दिया जाता है।
दंड "।

39. प्रस्तुतियों और अभिलेख पर रखी गई सामग्री से, यह देखा जाता है कि अन्य आयातक मेसर्स के संबंध में इसी तरह का आदेश अपील करता है। हरिहर संग्रह को भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया था

24.12.20201 3. उस मामले के तथ्यों पर, अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि उक्त आठ प्रवेश पत्रों द्वारा कवर किए गए माल को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और पूर्ण जब्ती के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्देश देते समय उचित परिपूर्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया था। इस संबंध में भुगतान किए गए मोचन जुर्माने का विनियोग लेकिन रुपये का जुर्माना। *2.35* उस मामले में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करोड़ रुपये को बढ़ाकर रुपये कर दिया गया था। *10* सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *112 (*ए*) (*आई*)* के तहत रु। आयातक मेसर्स से संबंधित आदेश-इन-अपील का परिचालन भाग। हरिहर संग्रह इस प्रकार हैः -

" आदेश

प्रविष्टि संख्या। *5720040 , 5720192 , 5720693 , 5722458 , 5722730 , 5719772 , 5722243* और विदेशी व्यापार *(*विकास और विनियमन*)* अधिनियम, *1992* की धारा *3 (3)* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *111 (*डी*)* के तहत सभी दिनांकित *5722456*। लेकिन, चूंकि इन *08* प्रवेश पत्रों के तहत आने वाली वस्तुओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है
और पूर्ण जब्ती के लिए उपलब्ध नहीं, मैं विवश हूँ

13 अनुलग्नक आर*-1 (*पी। *255)* इस आयातक की ओर से जवाबी हलफनामे में।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

इसे उचित पूर्ति और पहले से ही भुगतान किए गए रिडेम्पशन फाइन के रूप में स्वीकार करें, यदि

इस संबंध में, किसी को भी विनियोजित करने का आदेश दिया जाता है।

ii. मैंने रुपये के जुर्माने को अलग कर दिया। *2. 35* करोड़ निम्न द्वारा लगाए गए
प्राधिकरण और *Rs.10,00,00,000/- (*दस रुपये*)* का जुर्माना लागू करें।

केवल करोड़*)* मेसर्स हरिहर कलेक्शन, *47*, हाथी बाबू का पर
बाग, बानी पार्क, जयपुर, राजस्थान*-302016*, धारा के तहत

112 (क*)* सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *(i)* और उसके विरुद्ध दिया गया कोई जुर्माना, यदि कोई हो।

आक्षेपित ऑर्डर-इन-ओरिजिनल को विनियोजित करने का आदेश दिया गया है

इस नए बढ़े हुए दंड की ओर।

iii. निचली प्राधिकरण के दिनांकित *28.08.2020* के आदेश को संशोधित किया गया है।

उपरोक्त सीमा तक और राजस्व द्वारा दायर अपील कायम है
तदनुसार निपटाया गया "।

उच्च न्यायालय में एक और दौरः आदेश के लिए चुनौती-में

अपील दिनांक *24.12.2020* और उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक *05.01.2021*

40. यद्यपि उक्त आदेशों से व्यथित व्यक्ति सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* ए के तहत वैधानिक अपील कर सकता था। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण *1 4* के समक्ष
लेकिन,

प्रत्यर्थी-आयातक मेसर्स। राज ग्रो इम्पेक्स उच्च स्तर पर पहुँच गया

न्यायालय ने *2021* की रिट याचिका *(*एसटी*)* संख्या *24* के माध्यम से आदेश-इन-अपील के खिलाफ और उच्च न्यायालय के दिनांक *09.12.2020* के *(*संशोधन*)* आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करते हुए एक अवमानना याचिका भी दायर की क्योंकि उक्त आदेश द्वारा कवर किए गए सामान को जारी नहीं किया गया था।

41. आयातक द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों दिनांक *15.10.2020* और *09.12.2020* का उल्लेख किया।

और यह देखते हुए कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियां और जारी किए गए निर्देश सही नहीं थे और उसके निर्देशों के विपरीत चल रहे थे, दिनांकित *24.12.2020* के विवादित आदेश-इन-अपील के खिलाफ आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने दिनांक *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील के संचालन पर रोक लगा दी और संबंधित अधिकारियों को दिनांकित *15.10.2020* और *09.12.2020* के आदेशों में निहित निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया; और मामले को *27.01.2021* पर रखते हुए, उच्च न्यायालय ने विभाग के वकील से अनुपालन बताने की आवश्यकता जताई। आयातक मेसर्स द्वारा इस प्रकार दायर की गई नई रिट याचिका में दिनांक *05.01.2021* के आदेश का प्रासंगिक भाग। राज ग्रो इम्पेक्स इस प्रकार हैः -

14 'सी. ई. एस. टी. ए. टी. 'संक्षेप में।

" *6.* प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या *2* के उपरोक्त निर्देश पूरी तरह से हैं
इस न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या *2* द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि माल को छोड़ने का निर्देश देते समय इस अदालत का निर्णय प्रथम दृष्टया सही नहीं है। जब उच्च न्यायालय ने माल को तुरंत जारी करने का निर्देश दिया था, तो यह समझ से परे है कि एक निचला अपीलीय प्राधिकरण ऐसे माल को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश देकर इस तरह के निर्देश को कैसे रद्द कर सकता है। यह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि दूषित भी है कि हम बाद के चरण में किस पहलू से निपट सकते हैं।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अगले आदेश तक *24* दिसंबर, *2020* के आदेश के संचालन पर रोक लगाते हैं। *8.* प्रत्यर्थी *Nos.3* और *4* के निर्देशों का पालन करेंगे

यह न्यायालय दिनांक *15* अक्टूबर, *2020* और *9* दिसंबर, *2020* को।

9. 27 जनवरी, *2021* को सूची दें, जिस तारीख को श्री जेटली सूचित करेंगे

आज के आदेश के अनुपालन के बारे में अदालत।

41.1 . 2021 के एस. एल. पी. *(*सी*)* संख्या *1037* से उत्पन्न अपील में अपीलार्थियों द्वारा दिनांकित इस आदेश को चुनौती दी गई है।

42. उच्च न्यायालय ने भी अवमानना याचिका पर विचार किया

2020 की अवमानना याचिका *(*एल*)* संख्या *9351* दिनांक *05.01.2021* के एक अलग आदेश द्वारा और उसमें नोटिस जारी करते हुए, संबंधित अधिकारियों को *21.01.2021* पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को अपीलार्थियों द्वारा अलग-अलग अपील में चुनौती दी गई थी; और, जैसा कि देखा गया है, *18.03.2021* पर, इस न्यायालय ने

अवमानना कार्यवाही को जारी रखने का कोई कारण नहीं पाया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा इस प्रकार दायर अपील को स्वीकार करते हुए इसे बंद कर दिया।

43. सभी भौतिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं के वर्णन के बाद और विभिन्न चरणों में अलग-अलग आदेश पारित किए गए।

प्राधिकरणों और न्यायालयों, अब हम इन अपीलों में संबंधित पक्षों के रुख को निर्दिष्ट करने के लिए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का उल्लेख कर सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

44. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. ने बलपूर्वक

उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि विचाराधीन सामान पूरी तरह से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

44.1 . उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को स्वीकार करते हुए, विद्वान ए. एस. जी. प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने रिट पर विचार करने में गलती की है

15 2021 का सी. ए. सं. *985* होना जो *2021* के एस. एल. पी. *(*सी*)* सं. *1097* से उत्पन्न होता है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

याचिकाओं को लागू करने के लिए और *15.10.2020* दिनांकित आदेश पारित करने में

मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश और इस प्रकार, विषय वस्तुओं को जारी करने के लिए, हालांकि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेश थे

अंतिम नहीं थे और अपील के अधीन थे; और, वास्तव में, अपील वास्तव में दिनांक *01.10.2020* के समीक्षा आदेशों के अनुसार दायर की गई थी। दिनांक *1* के आदेश में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और निर्देशों के संदर्भ में, विद्वान ए. एस. जी. ने बताया है कि एक ओर, उच्च न्यायालय ने आयुक्त *(*अपील*)* को विभाग द्वारा दायर अपीलों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि माल जारी किया जाए। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, माल को जारी करने के निर्देशों ने आयुक्त *(*अपील*)* के समक्ष इस सवाल पर निर्णय के उद्देश्य को विफल कर दिया कि क्या माल पूरी तरह से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी था या नहीं। इसी तर्ज पर, यह भी तर्क दिया गया है कि जब अपीलीय प्राधिकरण ने आई. डी. *1* पर अपील में आदेश पारित किए और आयातकों में से एक ने एक और रिट याचिका को प्राथमिकता दी, तो उच्च न्यायालय ने उसी पर विचार किया और रोक लगा दी, लेकिन इस बात पर विचार करना छोड़ दिया कि आदेश-इन-अपील को सीमा शुल्क की धारा *129* ए के तहत सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष नियमित वैधानिक अपील में चुनौती दी जा सकती थी।

एक्ट करें।

44.1. 1 . सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी के तहत शक्ति के संबंध में, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया है कि इसके तहत, उच्च प्राधिकारी

केवल वैधता या औचित्य से संबंधित आधारों पर समीक्षा का कार्य करता है और निचले प्राधिकारी को अपील के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश देता है और ठीक यही दिनांकित *01.10.2020* आदेशों में किया गया था।

44.2 . इस सवाल के संबंध में कि क्या विषय वस्तुओं को 'प्रतिबंधित' या 'निषिद्ध' माना जाना है, विद्वान ए. एस. जी. ने एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* और *(3)* और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* और *11* का उल्लेख किया है और प्रस्तुत किया है कि कुछ दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने वाली विचाराधीन अधिसूचनाएं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा कृषि *(*उपरोक्त*)* में *26.08.2020* दिनांकित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया था, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* के तहत जारी की गई थीं; और चूंकि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम द्वारा आयातित माल को एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* के तहत जारी किया गया था।

प्रतिवादी उक्त अधिसूचना के दायरे में आते हैं, उन्हें एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(3)* के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत 'निषिद्ध' माल माना जाता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* पर जोर देते हुए, विद्वान एएसजी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन अधिसूचनाओं के माध्यम से, आयात मात्रा की डेढ़ लाख मीट्रिक टन की ऊपरी सीमा रखी गई थी और इसलिए, डेढ़ लाख मीट्रिक टन की सीमा के भीतर कोई भी आयात प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात होगा, लेकिन *[2021] 12* एस. सी. आर. से अधिक होगा।

डेढ़ लाख मीट्रिक टन की सीमा तक, माल प्रतिबंधित माल के रूप में अपना चरित्र खो देगा और निषिद्ध माल बन जाएगा। विद्वान एएसजी के पास है शेख मोहम्मद के मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* में 'कोई भी निषेध' शब्दों के विस्तार पर विशेष रूप से भरोसा किया गया। उमर वी। सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और

ओआरएसः *(1970) 2* एस. सी. सी. *728* ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि व्यापक शब्द 'कोई भी निषेध' का अर्थ है 'हर निषेध'; और प्रतिबंध भी एक प्रकार का प्रतिबंध है।

44.3 . विद्वान ए. एस. जी. ने अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट सीमा की निगरानी के तरीके से संबंधित मुद्दे को भी संबोधित किया है और प्रस्तुत किया कि प्रत्येक आयातक को प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए आवेदन करना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इस तरह का लाइसेंस प्राप्त करने पर ही बंदरगाह से माल को मंजूरी दी जा सकती है। प्रत्येक आयातक को आयात करने के लिए एक कोटा आवंटित किया जाता है; अनुमोदन प्राधिकरण को अपना दिमाग लगाना होता है और लाइसेंस को मंजूरी देनी होती है; और केवल अनुमोदन प्राधिकरण और लाइसेंस जारी करने की इस तरह की संतुष्टि पर कि एक आयातक को आयात करने का अधिकार मिलता है और अन्यथा, आयात करने का अधिकार एक निहित अधिकार नहीं है, जैसा कि पी. टी. आर. में रखा गया है। निर्यात *(*मद्रास*)* प्रा. लि. लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्यः *(1996) 5* एससीसी *268*। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए पूर्ववर्ती शर्त होने के कारण लाइसेंस प्राप्त करने से इस शर्त का कोई भी उल्लंघन माल को निषिद्ध वस्तु बना देगा। आयात/निर्यात संबंधी लेन-देन के संदर्भ में जहां भी आवश्यक हो, वैध लाइसेंस प्राप्त करने के महत्व पर, विद्वान एएसजी ने एस. बी.

इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य में निर्णय का उल्लेख किया है। वी. अस्स्टेट। विदेश व्यापार और अन्य के महानिदेशकः *(1996) 2* एससीसी *439*।

44.4. विषय वस्तुओं के उपचार के संबंध में प्रश्न पर, विद्वान ए. एस. जी. ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के दायरे पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं और तर्क दिया है कि इसके तहत, 'निषिद्ध वस्तुओं' और 'अन्य वस्तुओं' के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है क्योंकि 'अन्य वस्तुओं' के मामले में, धारा *125* मोचन जुर्माने के खिलाफ इसे जारी करने को बाध्य करती है, जबकि 'निषिद्ध वस्तुओं' के मामले में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। भारत और ओ. आर. एस. के संघ के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

सीमा शुल्क अधिनियम अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करके निषिद्ध वस्तुओं को पूरी तरह से जब्त कर सकता है। विद्वान ए. एस. जी. का तर्क होगा कि सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों और दिए गए निर्णयों के संदर्भ में, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं को प्रतिबंधित माल माना जाता है, यदि प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में है। विद्वान ए. एस. जी. ने गर्ग वूलन मिल्स *(*उपरोक्त*)* के मामले में इस अदालत के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है और तर्क दिया है कि कानून के उल्लंघन, व्यापार उल्लंघन और ईमानदारी की कमी के तत्वों की उपस्थिति के साथ इसी तरह के सीमा शुल्क मामले का फैसला करते हुए, इस अदालत ने पूर्ण जब्ती के निर्देशों को मंजूरी दी। विद्वान ए. एस. जी. ने यह भी प्रस्तुत किया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश,

उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जाने का निर्देश, वास्तव में, विचाराधीन अधिसूचनाओं के उद्देश्य के साथ-साथ इसके निष्कर्षों और प्रयासों को भी विफल करता है।

कृषि *(*उपर्युक्त*)* के मामले में *26.08.2020* दिनांकित निर्णय देने में न्यायालय। *44.5*. न्यायिक विवेक के प्रयोग के सवाल से निपटने के दौरान, विद्वान ए. एस. जी. ने संत राज और रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के फैसलों का उल्लेख किया है। लिमिटेड *(*ऊपर*)* को यह प्रस्तुत करने के लिए कि विचाराधीन आयात, स्पष्ट रूप से अवैध होने और संवैधानिक रूप से वैध अधिसूचनाओं के उद्देश्य के खिलाफ होने के कारण, भारतीय बाजार में आगे की बिक्री के लिए भारत में किसी भी तरह से मंजूरी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

शुल्क और मोचन जुर्माना का अधिरोपण। यह कहते हुए कि विचाराधीन सामान पूरी तरह से जब्त किए जाने के योग्य हैं, विद्वान एएसजी ने प्रस्तुत किया है कि अधिसूचनाओं ने मात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है

देश में जिन दालों का आयात किया जा सकता है और प्रतिबंध के अलावा किसी भी आयात की अनुमति देना प्रतिबंध के उद्देश्य के खिलाफ होगा। विद्वान ए. एस. जी. ने कृषि *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया है, जिसमें अतीत में अंतरिम आदेशों की आड़ में अत्यधिक मात्रा में आयात किए जाने के संबंध में कहा गया है, जो निर्धारित वार्षिक कोटे से बहुत अधिक है और यह भी कहा गया है कि वर्तमान आयातकों ने केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम किया था और ईमानदारी से काम नहीं किया था। इस प्रकार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेक का प्रयोग कानून के अनुरूप नहीं होने के कारण, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

44.6. सीमा शुल्क आयुक्त बनाम के मामले में निर्णय के संबंध में। अतुल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेडः *(2019) 3* एस. सी. सी. *539*, आयातकों द्वारा दृढ़ता से भरोसा करते हुए, विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया है कि इसमें,

इस न्यायालय ने माल को जारी करने के निर्णय को बरकरार रखा है क्योंकि यह निषिद्ध माल नहीं है और अन्य कारणों के साथ, किः *((i)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन सामान एम. एफ. डी. *(*मल्टी-फंक्शन डिवाइस, फोटोकॉपीयर और प्रिंटर*)* थे और उनकी उपयोगिता/शेल्फ लाइफ *5-7* साल थी; और *(ii)* केंद्र सरकार ने उपयोग किए गए एम. एफ. डी. के आयात की अनुमति दी, जिनकी उपयोगिता *5* साल के लिए थी क्योंकि एम. एफ. डी. का निर्माण भारत में स्थानीय रूप से नहीं किया जाता था। यह तर्क दिया गया है कि अतुल ऑटोमेशन *(*उपरोक्त*)* के मामले में तथ्य की स्थिति के विपरीत, वर्तमान मामले में, इस अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त आयात किसानों के हित में नहीं होगा, और अधिसूचनाओं के उल्लंघन में किया गया अतिरिक्त आयात, लेकिन अंतरिम आदेशों की आड़ में, प्रामाणिक नहीं था; और आगे यह कि इस तरह का आयात लाभ और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया था और इसलिए, आयातक

44.7 . विद्वान ए. एस. जी. ने श्री अम्मान धल मिल बनाम के मामले में केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख किया है। सीमा शुल्क आयुक्तः *(2021)* एस. सी. सी. ऑनलाइन केर *362* यह प्रस्तुत करता है कि उक्त उच्च न्यायालय ने, समान आयातों के संबंध में, पूर्ण जब्ती के आदेशों को बरकरार रखा है; और प्रतिवादी द्वारा आयातित माल

एक ही उपचार के लायक है।

आयातकों को *5* प्रतिशत के मोचन जुर्माने के भुगतान पर भारत से बाहर माल का पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है और अपीलकर्ताओं को इसकी अनुमति दी जा सकती है - इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर पुनः निर्यात का विकल्प नहीं चुनने वाले आयातकों के सामान को पूरी तरह से जब्त कर लें।

45. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-आयातक मेसर्स की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील। राज ग्रो इम्पेक्स ने मूल आदेशों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के समर्थन में जोरदार तर्क दिया है, जबकि जोर देकर कहा है कि मोचन जुर्माने के भुगतान के साथ माल जारी करना कानून के अनुसार है।

45.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने भौतिक पृष्ठभूमि पहलुओं का उल्लेख किया है जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है और बताया है कि अंततः, बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांक *1* के आदेश के बाद, अपीलकर्ताओं ने प्रवेश के तीन बिलों द्वारा कवर किए गए सामान को जारी करने की अनुमति दी, जिसके लिए मोचन जुर्माना और जुर्माना का भुगतान किया गया था और ओओसी जारी किया गया था, लेकिन, अन्य सात प्रवेश बिलों द्वारा कवर किए गए सामान, जिसके लिए भारत और ओआरएस के शुल्क, जुर्माना और जुर्माना का भुगतान किया गया था।

बाद में बनाया गया, जारी नहीं किया गया। विद्वान वकील ने आयुक्त *(अपील)* के समक्ष अपील से संबंधित कार्यवाही और उक्त अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्तियों का भी उल्लेख किया है, लेकिन विद्वान वकील के अनुसार, अपीलीय प्राधिकरण ने सुनवाई के तीन दिनों के भीतर जल्दबाजी में आदेश-इन-अपील दिनांक *24.12.2020* पारित करने के लिए आगे बढ़कर आदेश को रद्द कर दिया।

मूल दिनांक *28.08.2020* और जुर्माना बढ़ाते हुए माल की पूर्ण जब्ती का आदेश देना।

45.2 . मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश का समर्थन करते हुए और साथ ही *15.10.2020,09.12.2020* पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी समर्थन करते हुए और

05.01.2021 , विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि सीमा शुल्क अधिनियम और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों के सही संचालन में कृषि *(उपरोक्त)* में इस न्यायालय की घोषणा के साथ पढ़ा गया, विचाराधीन माल पूरी तरह से जब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और उचित रूप से आदेश दिया गया था मोचन जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जाए।

45.3 . कृषि *(उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि एक बार इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि विचाराधीन अधिसूचनाएं प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जारी की गई थीं, हो सकता है कि यह एफ. टी. डी. आर. की धारा *9* ए के तहत न हो।

अधिनियम लेकिन इसकी धारा *3 (3)* के तहत, विषय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध के रूप में व्याख्या करने के लिए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

45.4 . पुनः, विचाराधीन अधिसूचनाओं के संदर्भ में, विद्वान वकील तर्क देंगे कि अपीलार्थियों की दलीलें हैं उक्त अधिसूचना दिनांक *29.03.2019* और व्यापार सूचना की भावना के विपरीत, क्योंकि उक्त अधिसूचनाओं के तहत, विचाराधीन वस्तुओं के लिए नीतिगत शर्तों को संशोधित नहीं किया गया था और उन्हें 'निषिद्ध' श्रेणी में नहीं रखा गया था। अपनी वेबसाइट पर डी. जी. एफ. टी. की व्याख्या का भी उल्लेख किया गया है, जहां 'एक प्रतिबंधित वस्तु क्या है' के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में, डी. जी. एफ. टी. ने कहा कि सभी वस्तुओं का आयात

जिन वस्तुओं की अनुमति केवल प्राधिकरण/अनुमति/लाइसेंस के साथ या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है, वे 'प्रतिबंधित' वस्तुएं हैं। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि जब भी कुछ वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो वह एक 'प्रतिबंधित' वस्तु है न कि 'निषिद्ध' वस्तु; और यह कि अपीलकर्ता अपनी दलीलों में सही नहीं हैं कि मटर एक 'निषिद्ध' वस्तु थी।

45.5 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* और *[2021] 12* एस. सी. आर. के संदर्भ में 'निषिद्ध' और 'प्रतिबंधित' शब्दों के अर्थ के संदर्भ में अपनी प्रस्तुतियों पर विस्तार से बताया है।

व्यापार नीति का खंड *9.47* और उसकी अनुसूची *I* भी। इसके अलावा, अतुल मामले में इस अदालत के फैसले पर मजबूत भरोसा रखते हुए

स्वचालन *(ऊपर)*, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से 'निषिद्ध' और 'प्रतिबंधित' के बीच के अंतर को रेखांकित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतुल ऑटोमेशन में,

सामान

बिना प्राधिकरण के आयातित वस्तुओं को प्रतिबंधित माल पाया गया और जुर्माने के साथ पुनर्निर्धारित बाजार मूल्य के भुगतान पर खेप के मोचन को बरकरार रखा गया। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिबंधित वस्तुओं को भुनाने का विकल्प है और वे पूर्ण रूप से जब्त किए जाने के लायक नहीं हैं, जो केवल पूरी तरह से प्रतिबंधित वस्तुओं पर लागू किया जा सकता है।

45.6. प्रस्तुतियों की वैकल्पिक पंक्ति में, यह तर्क दिया गया है

कि भले ही विचाराधीन माल को 'निषिद्ध' माना जाता है, लेकिन जुर्माने पर उनके मोचन/रिहाई की अनुमति देने का विवेकाधिकार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास था और ऐसा विवेकाधिकार, जैसा कि वर्तमान मामले में प्रयोग किया गया है, किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* में निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में 'मई' अभिव्यक्ति के उपयोग के संदर्भ में तर्कों को विस्तृत किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि यह अभिव्यक्ति नहीं है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण जब्त करने के बदले जुर्माना देने का विकल्प नहीं देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत उसे प्रदान किए गए विवेकाधिकार का निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना है और इस विवेकाधिकार को न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से नहीं लिया जा सकता है। इस तर्क के संबंध में, इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई है।

संत राज *(उपरोक्त)* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर तर्क दिया गया है कि जब भी कुछ करना हो उसके विवेक के भीतर

प्राधिकरण तब, वह काम कारणों और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए न कि निजी राय के अनुसार। दूसरे शब्दों में, विवेक का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित सही विवेक।

45.7. यह भी तर्क दिया गया है कि केवल *17,000* मीट्रिक टन पीला

इस प्रतिवादी द्वारा आयातित मटर को कुल में से जारी किया जाना है।

24, 815 एम. टी. की आयातित मात्रा। यह प्रतिवादी इस न्यायालय द्वारा उचित और उचित समझे जाने पर शुल्क और मोचन जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार और इच्छुक है, लेकिन इस स्तर पर पुनः निर्यात का विकल्प एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि यह रसद और परिवहन के मुद्दों के साथ एक समय लेने वाली प्रक्रिया है और विशेष रूप से, वर्तमान महामारी की स्थिति में; और भारत और ओआरएस का प्रतिवादी संघ।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

हिरासत, अवमूल्यन, किराया, ब्याज, बीमा और अन्य संबंधित लागतों के रूप में पहले ही भारी नुकसान झेल चुका है। इन प्रस्तुतियों के साथ, इस प्रतिवादी-आयातक की ओर से उत्साही याचिका शेष वस्तुओं के मोचन की अनुमति देने की रही है।

46. दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

आयातक एम/एस। हरिहर संग्रह ने वरिष्ठ वकील की उपरोक्त दलीलों के साथ मिलकर बहस करते हुए, पूर्ण जब्ती के प्रस्ताव के खिलाफ अभी तक और प्रस्तुतियाँ दी हैं।

46.1 . एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* और *(3)* और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी जिन वस्तुओं पर धारा *3* की उप-धारा *(2)* के तहत कोई आदेश लागू होता है, उन्हें वह माल माना जाएगा जिसका आयात सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत 'निषिद्ध' किया गया है, लेकिन वर्तमान मामले में, उप-धारा *(2)* के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है जो विषय वस्तुओं को जारी करने पर प्रतिबंध लगाता है, धारा *3* की उप-धारा *(3)*, वर्तमान मामले में काल्पनिक प्रतीत होता है। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाले आदेश द्वारा वस्तुओं के निर्दिष्ट वर्गों को प्रतिबंधित करने की विशिष्ट शक्ति है, लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई राजपत्र नहीं रखा गया है। समान रूप से, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत ऐसी कोई अधिसूचना नहीं दी गई है जो विषय वस्तुओं को प्रतिबंधित करती है, या तो पूरी तरह से या किसी भी शर्त के अधीन, और कोई अधिसूचना नहीं दी गई है।

विषय वस्तुएँ दिखाई गई हैं। इसके अलावा, कृषि *(उपरोक्त)* मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि विचाराधीन अधिसूचनाओं द्वारा मटर के आयात को 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में संशोधित किया गया था और माल का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया थाः ' प्रतिबंधित '। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि इस तरह का प्रतिबंध किसी भी संधि, समझौते या समझौता ज्ञापन के तहत भारत सरकार की आयात प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं था। इन कारकों के संदर्भ में,

प्रस्तुतियों के दौरान, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* की उप-धारा *(3)* के संदर्भ में एक तर्क को अपनाने की मांग की गई थी कि किसी अन्य कानून में प्रदान किए गए माल के आयात से संबंधित कोई भी निषेध या प्रतिबंध या दायित्व केवल तभी निष्पादित किया जाएगा जब ऐसा निषेध या प्रतिबंध या दायित्व इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया हो और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं की गई हो, अपीलार्थियों की दलीलों को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, विद्वान ए. एस. जी. ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* की उक्त उप-धारा *(3)*, जैसा कि वित्त अधिनियम, *2018* द्वारा प्रस्तावित किया जाना है, अधिसूचित होने की तारीख से लागू होनी थी, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी की ओर से उक्त तर्क को माफी के साथ वापस ले लिया गया है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम मामले के इस पहलू को केवल उस पर छोड़ देंगे।

विवाद यह रहा है कि मानव उपभोग के लिए विचाराधीन माल, विशेष रूप से अधिसूचित निषिद्ध वस्तुओं के विपरीत, आयात के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं थे। सीधे शब्दों में कहें तो विद्वान वकील के अनुसार, विचाराधीन सामान किसी भी दृष्टिकोण से "पूरी तरह से निषिद्ध" श्रेणी के नहीं थे।

46.2 . यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आयात विचाराधीन है

वर्तमान मामले में किया गया अवलोकन अपील के ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। *46.3* . आगे यह तर्क दिया गया है कि इस प्रतिवादी-आयातक द्वारा आयातित *38,500* मीट्रिक टन की पूरी मात्रा को अंततः बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक *1* के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी गई थी और इसलिए, जब माल जब्त करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तो कोई मोचन जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। सीमा शुल्क आयुक्त *(*आयात*)*, मुंबई बनाम के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय। फिनेस क्रिएशन इंक*.: (2009) 248* ई. एल. टी. *122* को संदर्भित किया गया है और यह भी बताया गया है कि उक्त निर्णय के खिलाफ एक एस. एल. पी. को इस न्यायालय द्वारा *12.05.2010* पर खारिज कर दिया गया था।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

46.4 . एफ. टी. डी. आर. अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ हरगोविंद दास के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में।

जोशी और अतुल ऑटोमेशन *(*ऊपर*)* और पंजाब और हरियाणा का

होराइजन फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड में उच्च न्यायालय। लिमिटेड और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। *: (2016) 340* ई. एल. टी. *27*, यह तर्क दिया गया है कि विषय वस्तुएं पूरी तरह से प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती हैं, क्योंकि उनमें नकली मुद्रा जैसे दूषित चरित्र नहीं होते हैं।

अश्लील सामग्री आदि। *;* और केवल मात्रा प्रतिबंधों का उल्लंघन होने पर, उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध माने जाने का टैग प्राप्त करने के रूप में उचित रूप से लिया गया था*;* और इसलिए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* में दिए गए 'मई' के विवेकाधिकार को सही ढंग से लागू किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ओम प्रकाश भाटिया *(*ऊपर*)* के मामले में अंततः पारित आदेश भी अपीलार्थियों के रुख के खिलाफ काम करता है।

47. जैसा कि देखा गया है, दो अन्य आयातकों ने हस्तक्षेप के लिए आवेदन भेजे हैं। कहा जाता है कि इन आयातकों को इन अपीलों के निजी उत्तरदाताओं के समान ही रखा गया है क्योंकि उन्होंने भी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनी-अपनी रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेशों के अनुसार विभिन्न मात्रा में मटर/दालों का आयात किया है, लेकिन माल की मंजूरी विशेष रूप से वर्तमान मुकदमेबाजी के कारण रुकी हुई है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम उनकी ओर से की गई दलीलों पर भी ध्यान दे सकते हैं।

47.1 . यह मध्यस्थ निखिल पल्स प्राइवेट की ओर से प्रस्तुत किया गया है। लिमिटेड ने कहा कि उसने इसी तरह *2019* का डब्ल्यूपी नंबर *12283* दायर किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपने पक्ष में *02.08.2019* दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया था*;* और अंतरिम आदेश के अनुसार, इसने अडानी एस. ई. जेड., मुंद्रा, गुजरात में सितंबर *2019* के महीने के पचास-नौ बिलों के तहत पीली मटर का आयात किया था और घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश के बिल दायर किए थे, लेकिन ऐसे बिलों का आकलन नहीं किया गया है।

47.1. 1 . 'प्रतिबंधित' वस्तुओं और 'निषिद्ध' वस्तुओं के बीच अंतर और सीमा शुल्क अधिनियम, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत उनके उपचार के संबंध में इस आयातक की ओर से इसी तरह के तर्क दिए गए हैं।

व्यापार नीति; और यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन माल केवल 'प्रतिबंधित' वस्तुएं हैं और 'निषिद्ध' नहीं हैं। एक बार फिर, अतुल ऑटोमेशन *(*उपरोक्त*)* मामले में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 'प्रतिबंधित' वस्तुओं के पास बाजार मूल्य के भुगतान पर भुनाने का विकल्प है और वे 'निषिद्ध' वस्तुओं के उपचार के योग्य नहीं हैं

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत। *[2021] 12* एस. सी. आर. की प्रस्तुतियों का विरोध करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एएसजी, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिबंधित या निषिद्ध की परिभाषा एक विशिष्ट मात्रा पर लागू नहीं होती है, बल्कि एक उत्पाद पर लागू होती है और तदनुसार, पूरी मात्रा को प्रतिबंधित माना जाना चाहिए और जुर्माना और जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जुर्माने पर मोचन/रिहाई की अनुमति देता है। हरगोविंद दास के. जोशी में निर्णय और संत राज *(*ऊपर*)* को संदर्भित किया गया है। इसके अलावा, यह यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम और ए. एन. आर. के मामले में निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। वी. मोहम्मद. इस्माइल और ओरस। *: (1991) 3* एस. सी. सी. *239* कि न्यायालय वैधानिक प्राधिकारी को प्रयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता है

काकीनाडा और ओआरएस। वी. ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेडः *2020* एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. *440* कि अनुच्छेद *142* के तहत भी संविधान के अनुसार, न्यायालय वैधानिक प्रावधान को अनुचित नहीं बना सकता है।

47.1. 3 . इक्विटी का आह्वान करते हुए, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अप्रैल *2019* से नवंबर *2019* के दौरान, लगभग *8* लाख एम. टी.

अंतरिम आदेशों के तहत वस्तुओं का आयात किया गया था, जिसमें से लगभग *6* लाख मीट्रिक टन सीमा शुल्क द्वारा जारी किए गए थे; और कृषि *(*उपरोक्त*)* में निर्णय के बाद भी, सीमा शुल्क ने सितंबर-अक्टूबर *2020* के दौरान लगभग *50,000* मीट्रिक टन मटर/दालों को जारी करने की अनुमति दी है और लगभग *2* लाख मीट्रिक टन की शेष मात्रा बची हुई है। यह तर्क दिया गया है कि इन दालों की मांग और आपूर्ति गतिशील है और प्रकृति में स्थिर नहीं है और *18* महीने पहले जो बहुतायत में था वह अब इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है।

आवेदक के अनुसार, दालों की आपूर्ति कम है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत संघ ने हाल ही में आयात जारी किया है

9 लाख मीट्रिक टन की मात्रा के लिए लाइसेंस। आवेदक यह प्रस्तुत करेगा कि जब्त किए गए माल को जारी करने से अतिरिक्त मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और माल को जारी करने का प्रभाव प्रतिकूल नहीं होगा। *47.1. 4* . आवेदक आगे यह प्रस्तुत करेगा कि माल खराब होने वाली वस्तुएं हैं और लंबे समय से बंदरगाह पर पड़ी हुई हैं और

अब, उनका पुनः निर्यात महामारी के वर्तमान समय सहित विभिन्न कारकों के लिए संभव नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि विचाराधीन माल को घरेलू माल के लिए जारी करने की अनुमति दी जाए।

मोचन जुर्माना और जुर्माने के भुगतान पर बाजार।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

47.2 . यह दूसरे मध्यस्थ की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

इस आयातक ने कहा कि दिनांक *05.10.2020* के कारण बताए जाने के नोटिस के अनुसार, सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा ने माल को प्रतिबंधित और ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी पाया, जिसके बाद, उन्होंने बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष *2021* का *WP* नंबर *525* दायर किया था। माल की निकासी न होना लेकिन इस बीच, इन अपीलों में मुख्य मुद्दा उठाया गया है।

47.2. 1 . इस आयातक की ओर से लगभग समान तर्क दिए गए हैं कि विचाराधीन माल निषिद्ध नहीं हैं और किसी भी मामले में

मामले में, उन्हें एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *11 (9)* और/या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के संदर्भ में मोचन शुल्क के भुगतान पर रिहा किया जा सकता है। समानता के समान आधारों का भी आग्रह किया गया है, जैसा कि अन्य आवेदक के मामले में देखा गया है जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

48. आगे बढ़ने से पहले, हम पक्षों की प्रमुख दलीलों को उपयोगी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।
48.1 . संक्षेप में कहें तो अपीलार्थियों की ओर से मुख्य प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं: कि उच्च न्यायालय ने रिट पर विचार करने में गलती की है

माल जारी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाएं और निर्देश अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय के उद्देश्य के साथ संगत नहीं थे; कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3 (2)* के तहत आने वाले और बिना लाइसेंस के आयात किए गए और डेढ़ लाख एम. टी. की सीमा से अधिक होने के कारण, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3 (3)* में काल्पनिक धारणा के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत निषिद्ध माल बन गए; कि अधिसूचनाओं के उद्देश्य और कृषि में इस अदालत की टिप्पणियों को देखते हुए, ऐसे निषिद्ध सामान को पूरी तरह से जब्त किया जा सकता था और भारतीय बाजार में मिलाने के लिए जारी नहीं किया जा सकता था; और यह कि अतुल स्वचालन के मामले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

48.2 . दूसरी ओर, आयातकों की ओर से मुख्य प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं: कि विचाराधीन अधिसूचनाओं ने मात्रात्मक रखा प्रतिबंध और निषेध करने वाला कोई आदेश या अधिसूचना नहीं थी

विषय वस्तुएँ और इसलिए, उन्हें पूरी तरह से निषिद्ध वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता था, लेकिन वे केवल प्रतिबंधित वस्तुएँ थीं; कि अतुल ऑटोमेशन में, बिना प्राधिकरण के आयातित वस्तुओं को इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएँ माना गया था और वही सिद्धांत विषय वस्तुओं पर लागू होता है जब उन्हें आयात लाइसेंस के बिना आयात किया गया हो; कि भले ही विषय वस्तुओं को निषिद्ध माना जाना है, फिर भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास जुर्माना के भुगतान पर उनके मोचन की अनुमति देने के लिए विवेकाधिकार उपलब्ध था और ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग मूल आदेशों में सही ढंग से किया गया है; कि विवेकाधिकार का उपयोग किसी विशेष मामले में करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जिस तरह से; कि विषय वस्तुओं का पुनः निर्यात एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है और विचाराधीन दालों की मांग और आपूर्ति प्रकृति में गतिशील होने के कारण, विषय वस्तुओं को जारी करना अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल नहीं होगा; कि अपील के आदेशों को आगे की वैधानिक अपील में चुनौती दी जा सकती है।

49. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर चिंता से विचार किया है और इसके संदर्भ में रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है

लागू होने वाला कानून।

निर्धारण के लिए बिंदु

50. पूर्वगामी वर्णन और पुनर्कथन से यह स्पष्ट होता है कि इन मामलों में मूल प्रश्न यह है कि क्या विचाराधीन माल पूरी तरह से जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं या उन्हें भुगतान के साथ जारी किया जा सकता है। ज़ब्त करने के बदले जुर्माना*?*

50.1 . रिट अधिकारिता में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के साथ और दिनांक *15.10.2020 (*दिनांक *09.12.2020* के संशोधन आदेश के साथ पढ़ा गया*)* और *05.01.2021* के विवादित आदेशों के माध्यम से, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह से पारित आदेशों की वैधता और वैधता से संबंधित मुद्दे, जाहिर है, मुख्य मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, जहां तक विचाराधीन माल के उपचार का संबंध है। दी गई परिस्थितियों में, और मामले में शामिल आदेशों की प्रकृति को देखते हुए, अन्य मुद्दों से निपटने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों की वैधता की जांच करना उचित होगा।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की वैधता और वैधता

51. जैसा कि देखा गया, प्रत्यर्थी-आयातकों ने इस शिकायत के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि माल जारी नहीं किया जा रहा था उनके पक्ष में पारित किए गए मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेश; भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

और उन्होंने भुगतान कर दिया है *(*एम/एस के मामले में पूरी तरह से। हरिहर संग्रह और आंशिक रूप से मेसर्स के मामले में। राज ग्रो इम्पेक्स*)* और ओ. ओ. सी. प्राप्त किया है। उच्च न्यायालय में मामलों के लंबित रहने के दौरान, आयुक्त ने धारा *129* डी *(2)* के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक *1* के आदेश पारित किए और फिर, विभाग की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह सुझाव दिया गया कि दिनांक *1* के उक्त आदेशों के कारण रिट याचिकाओं को निष्फल कर दिया गया था।

सीमा शुल्क अधिनियम; *(ii)* आयुक्त द्वारा दिनांकित *01.10.2020* आदेशों को पारित करने में औचित्य और आधारों की वैधता के संबंध में। उसमें कहा गया है; और *(iii)* माल की रिहाई के लिए प्रार्थना के संबंध में।

53. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी *(2)* के तहत आयुक्त द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में इन मामलों में बहुत कुछ कहा गया है। उच्च न्यायालय ने दिनांक *2* के विवादित आदेश में कहा कि आयुक्त के दिनांक *1* के आदेशों को समीक्षा आदेश कहा गया था, लेकिन धारा *129* डी *(2)* द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र स्वतः संज्ञान संशोधन का था न कि समीक्षा का और इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से प्रावधान में आने वाली अभिव्यक्तियों "वैधता या औचित्य" का उल्लेख किया।

53.1 . सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी निम्नानुसार हैः -

" *129* डी. प्रधान प्रमुख की समिति की शक्ति

सीमा शुल्क आयुक्त या मुख्य आयुक्त
सीमा शुल्क या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या

सीमा शुल्क आयुक्त को कुछ आदेश पारित करने के लिए। — *(1)* सीमा शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्तों या सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकती है जिसमें एक प्रिंसिपल

सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के रूप में

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय या आदेश को ऐसे किसी निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पारित किया है और आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को निर्देश दे सकता है कि वे अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करें।

समिति द्वारा निर्दिष्ट निर्णय या आदेश

सीमा शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रमुख

सीमा शुल्क आयुक्त अपने आदेश में:

बशर्ते कि जहां प्रधान प्रमुख की समिति सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपनी राय में भिन्न हैं।

सीमा शुल्क आयुक्त, यह उस बिंदु या बिंदुओं को बताएगा जिस पर वह भिन्न है और बोर्ड को एक संदर्भ देगा, जो सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के बाद, यदि यह राय है कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पारित निर्णय या आदेश नहीं है।

अन्य आयुक्त को निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन करना, जैसा कि उसके आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। *(2)* सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकते हैं।

ऐसी किसी कार्यवाही में जिसमें उसके अधीनस्थ किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने किसी ऐसे निर्णय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत कोई निर्णय या आदेश पारित किया है और आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी को या

निर्णय या आदेश से उत्पन्न होने वाले ऐसे बिंदुओं के निर्धारण के लिए आयुक्त *(*अपील*)* को आवेदन करने के लिए उसके अधीनस्थ सीमा शुल्क का कोई भी अधिकारी जो सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(3) यथास्थिति, उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(2)* के तहत प्रत्येक आदेश तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के संचार की तारीखः

बशर्ते कि बोर्ड, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, उक्त अवधि को और तीस दिनों तक बढ़ा सकता है।

(4) जहां उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(2)* के तहत किसी आदेश के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में अधिकृत सीमा शुल्क का कोई अधिकारी अपीलीय को आवेदन करता है।

न्यायाधिकरण या आयुक्त *(*अपील*)* उप-धारा *(1)* या उप-धारा *(2)* के तहत आदेश के संचार की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, भारत और ओ. आर. एस. के ऐसे संघ को।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

आयुक्त *(*अपील*)*, जैसा भी मामला हो, मानो ऐसे आवेदन आयोग के निर्णय या आदेश के खिलाफ की गई अपील हों।
न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अपीलों के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान, धारा *129* क की उप-धारा *(4)* के प्रावधानों सहित, जहां तक हो सके, ऐसे आवेदन पर लागू होंगे।

53.2 . स्पष्टीकरण के लिए, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि ऐसे अधिनियम वाणिज्य और राजकोषीय के कई क्षेत्रों से संबंधित हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, *1944 1 7* जैसे निहितार्थ, विभागीय अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण की अपीलीय शक्तियों के अलावा और केंद्र सरकार के संशोधन की शक्तियों के अलावा, विभाग के सर्वोच्च नियंत्रण प्राधिकरण में एक अवशिष्ट शक्ति को आरक्षित करने वाले समान प्रावधान करते हैं। इस तरह

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* ई द्वारा प्रदत्त अवशिष्ट शक्ति अनिवार्य रूप से उद्देश्य को पूरा करने के लिए है।

कि विभाग का सर्वोच्च नियंत्रक प्राधिकारी *(*या ऐसे सर्वोच्च प्राधिकरणों की समिति*)* अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय की वैधता और औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करता है और, यदि उसे प्रश्नगत निर्णय से कोई बिंदु उत्पन्न होता है, तो ऐसा आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को ऐसे बिंदुओं/प्रश्नों के निर्धारण के लिए अपीलीय मंच पर आवेदन करने का निर्देश देता है। सीमा शुल्क अधिनियम की योजना में, उसकी धारा *129* डीडी के अनुसार, संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार में संशोधन की इसी तरह की शक्ति केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा *35* ईई में देखी जा सकती है। इस प्रकार, योजना में और इन अधिनियमों के उद्देश्य पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले को अपीलीय मंच के समक्ष उठाए जाने की आवश्यकता की ऐसी अवशिष्ट शक्ति, पुनरीक्षण की है। हालाँकि, इस निर्णय में इस पहलू पर आगे विस्तार करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि, जैसा कि देखा गया है, यह विवाद में नहीं है कि आयुक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *129* डी के तहत इस तरह की शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। वास्तव में, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि धारा *129* डी *(2)* के तहत शक्ति की प्रकृति के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा की गई विस्तृत चर्चा का सटीक परिणाम क्या था क्योंकि यह निष्कर्ष नहीं निकला था कि दिनांकित आदेश किसी भी अधिकार क्षेत्र की कमी से पीड़ित थे या यदि आयुक्त ने उक्त आदेश पारित करते समय अपने अधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया था।

54. उच्च न्यायालय द्वारा जिस अन्य पहलू पर टिप्पणी की गई थी, वह उक्त आदेश को पारित करने के तरीके और समय के बारे में था, जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था।

17 इसके बाद इसे 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम' भी कहा जाता है।

54.1 . उक्त आयुक्त द्वारा दिनांकित *01.10.2020* आदेशों को पारित करने में औचित्य के सवाल पर आते हुए, इसके बारे में पता होने के बावजूद

उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं की लंबितता, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की टिप्पणियां, भले ही सामान्य अनुप्रयोग में गलत न हों, तथ्यों और उच्च न्यायालय की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और उपयुक्त नहीं लगती हैं।

वर्तमान मामला। दूसरे शब्दों में, हालांकि हम उच्च न्यायालय के साथ एक हैं कि, आम तौर पर, जब मामला उच्च मंच में और वह भी संवैधानिक न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होता है, तो कार्यकारी अधिकारियों को अनुमति लिए बिना एक नई स्थिति लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

न्यायालय से और/या सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में लाना। हालाँकि, इस संबंध में भी, एक कार्यकारी प्राधिकारी की ओर से अनुचितता पर घोषणा करने से पहले जिसने बिना कुछ किए कुछ भी किया था

न्यायालय को पूर्व सूचना या न्यायालय की अनुमति लिए बिना, आसपास के सभी प्रासंगिक कारकों की भी जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी कार्रवाई की गणना न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए की गई थी या दी गई परिस्थितियों में शक्ति का प्रामाणिक प्रयोग था।

54.2 . वर्तमान मामले में, हालांकि उच्च न्यायालय ने *25.09.2020* पर रिट याचिकाओं में नोटिस जारी किया था और याचिकाओं को *06.10.2020* पर रखा था

लेकिन, रिकॉर्ड के सामने यह स्पष्ट था कि डी. जी. एफ. टी. मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेशों पर गंभीर आपत्ति ले रहा था और यह दावा किया जा रहा था कि उक्त आदेश की घोषणा के अधिकार में थे।

कृषि *(*उपर्युक्त*)* के मामले में यह न्यायालय। निर्विवाद रूप से, आयुक्त के पास धारा *129* डी *(2)* के तहत आदेश पारित करने के लिए तीन महीने का समय था और इस तरह अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मूल दिनांक आई. डी. *1* में आदेशों के खिलाफ मामले को उठाना सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन आयातकों ने डी. जी. एफ. टी. के संचार पर सवाल उठाने वाली रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

और माल की रिहाई से इनकार; और इस तरह की रिहाई के लिए आदेश की मांग की। मैंडमस के लिए ऐसी प्रार्थना प्रभावी रूप से निष्पादन के लिए एक प्रार्थना थी

दिनांकित *01.10.2020* आदेशों के कारण निष्फल बना दिया गया; और इस हद तक, हम फिर से उच्च न्यायालय के साथ एक हैं क्योंकि, विचाराधीनता के दौरान आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश के बल पर रिट याचिकाओं में से, यह दावा नहीं किया जा सकता था कि विभाग ने अपने स्वयं के कार्यों से रिट याचिकाओं को अर्थहीन बना दिया था। हालाँकि, रिट याचिका के उत्तरदाताओं की ओर से इस तरह की प्रस्तुति, भले ही अनुचित हो, भारत और ओआरएस के संघ के आदेशों से मूल्य और मूल्य नहीं ले सकती थी।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

दिनांक *01.10.2020;* और, साथ ही, उच्च न्यायालय अन्य भौतिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था।

54.3 . मौलिक और भौतिक परिस्थितियों में से एक, जिस पर उच्च न्यायालय ने विचार करना पूरी तरह से छोड़ दिया, वह यह थी कि रिट याचिकाएं

दायर किए गए थे जैसे कि मूल आदेशों के निष्पादन की मांग की गई थी और यह कि यदि रिट, जैसा कि अनुरोध किया गया था, जारी किया जाना था और सामान जारी किया जाना था, तो योग्यता के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जांच के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाना था; और यदि, किसी भी कारण से, मूल आदेशों को अपीलीय मंच में बाद के चरण में हस्तक्षेप किया जाना था, तो अपूरणीय क्षति हुई।

ऐसा इसलिए किया गया होगा क्योंकि माल घरेलू बाजार के लिए जारी किया गया होगा। *(*जैसा कि देखा गया है, यह वास्तव में वर्तमान मामलों में काफी हद तक हुआ है, जिसमें प्रतिवादी-आयातकों के सामान की पर्याप्त मात्रा जारी की गई है*)*। *54.4* . हमारी पूर्वगामी टिप्पणियों का उद्देश्य यह है कि भले ही उच्च न्यायालय इस तथ्य पर सवाल उठाने में सही था कि

जब मामला विचाराधीन था तो आदेश पारित करने का फैसला किया, उच्च न्यायालय ने उस प्रासंगिक विशेषता को छोड़ दिया जिसे आयातकों ने पसंद किया था

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत संबंधित वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी आगे की कार्यवाही को अनिवार्य रूप से पूर्व-खाली करने के लिए रिट याचिकाएं। दूसरे शब्दों में,

आयातकों द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान अपने आप में संदिग्ध था।

55. यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय, कुछ बनाने के बाद भी

आयुक्त के खिलाफ औचित्य के सवाल पर तीखी टिप्पणियों ने एक-एक करके दिनांकित आदेशों में बताए गए बिंदुओं को उठाया और इसके विचारों को इंगित किया कि इस तरह से उठाए गए बिंदु आधारहीन और/या असमर्थनीय थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत था कि उक्त

दिनांकित *01.10.2020* आदेश इसके समक्ष चुनौती में नहीं थे और उन आदेशों के अनुसार वरीयता प्राप्त अपीलों की जांच द्वारा की जानी चाहिए अपीलीय प्राधिकरण। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के पैराग्राफ *36* में अपने सभी निष्कर्षों को अपनी प्रथम दृष्टया धारणा के रूप में योग्य ठहराया और विशेष रूप से मामले को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ दिया।

55.1 . हालाँकि, जब अपीलीय प्राधिकरण अंततः पारित हो गया

आगे की अपील उपलब्ध होने के उपाय के बारे में जागरूक होने के बावजूद, आयातकों में से एक, मूल आदेशों को रद्द करने के आदेश,

उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को फिर से लागू करने का फैसला किया। इस बार उच्च न्यायालय ने अपने विवादित अंतरिम आदेश दिनांक *05.01.2021* में यह टिप्पणी की कि अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय *[2021] 12* एस. सी. आर. पर था।

अंतिम निर्धारण; और मामले को खुला छोड़ दिया गया था, जिसका निर्णय आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा किया जाना था। महत्वपूर्ण रूप से, यदि दिनांक *1* के आदेश का उद्देश्य यह था कि भले ही आयुक्त *(*अपील*)* अपील में मामले का निर्णय ले रहे हों, वह माल की पूर्ण जब्ती का आदेश नहीं दे सकते थे क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था, तो यह तुरंत इस स्थिति की ओर ले जाएगा कि उच्च न्यायालय के *1* के आदेश में अंतर्निहित विरोधाभास थे। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तुओं को छोड़ना ही अधिकारियों के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प था, तो अपीलीय प्राधिकरण के विचार के सामग्री भाग को पहले ही अनावश्यक बना दिया गया था। *57.* ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, वह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि जब मामले को आयुक्त *(*अपील*)* द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था,

उच्च न्यायालय के लिए माल को जारी करने का आदेश पारित करने का न तो कोई अवसर था और न ही कोई औचित्य था क्योंकि सामान को जारी करने का कोई भी आदेश मामले के भौतिक हिस्से को एक उचित पूर्ति प्रदान करना था। यह, बस, नहीं किया जा सकता था। इसे अलग तरीके से कहें तो विवादित आदेश के अनुच्छेद *36* के बाद और अगले अनुच्छेद में दिए गए निर्देशों से पहले थोड़ा विराम लगाने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि विवादित आदेश के उक्त अनुच्छेद *36* में जो देखा गया था *(*मामले को निर्णय के लिए छोड़ने के संबंध में*)*

अपीलीय प्राधिकरण*)*, मूल आदेश के अनुसार माल जारी करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था। इसे दूसरे शब्दों में कहने के लिए, कई टिप्पणियों के बावजूद ताकि यह संकेत दिया जा सके कि समीक्षा

01.10.2020 दिनांकित आदेश अन्यायपूर्ण थे और उनमें बताए गए बिंदु आधारहीन या असमर्थनीय थे, उच्च न्यायालय ने *01.10.2020* दिनांकित आदेशों को रद्द करना बंद कर दिया और अंत में यह भी नहीं कहा कि

मूल दिनांकित आदेशों की वैधता क्योंकि उक्त आदेश मूल रूप से अपील का विषय थे।

भारत और ओ. आर. एस. के संघ को सही छोड़ दिया। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

अपील में निर्णय के मामले में, उच्च न्यायालय ने अभी तक ऐसी रिट जारी करने में एक गंभीर त्रुटि की जैसे कि मूल दिनांकित आदेश न्यायालय का नियम बन गया हो और जैसे कि न्यायालय अपना देय सुनिश्चित कर रहा हो।

निष्पादन। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि यदि मूल दिनांकित आदेशों को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत निष्पादित किया जाना था, तो अपीलों को जारी करने के बाद व्यावहारिक रूप से निरर्थक होने जा रहा था।

अपील के मुख्य विषय पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय के लिए माल और कुछ भी सामग्री नहीं बची थी।

58. ऊपर विभिन्न कोणों से जो संकेत दिया गया है, वह केवल एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश अंतर्निहित विरोधाभासों और विसंगतियों से ग्रस्त है और इसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। *59.* अंतर्विरोधों की मूलभूत खामियों के अलावा, *15.10.2020* पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश आगे से पीड़ित है

इस बात की कमियां कि माल को जारी करने के लिए आदेश जारी करते समय, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों के साथ-साथ विचाराधीन आयात से संबंधित भौतिक कारकों को भी ध्यान में रखना छोड़ दिया, जिसमें उन अधिसूचनाओं को जारी करने के कारण भी शामिल थे जो वे सुरक्षा के लिए थे।

भारत की कृषि बाजार अर्थव्यवस्था; और कृषि *(*उपर्युक्त*)* के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ और निष्कर्ष। दिनांक *15.10.2020* के विवादित आदेश की पूरी तरह से जांच से यह स्पष्ट होता है कि आयातकों के पक्ष में माल जारी करने का निर्देश देने के कारण केवल उसके पैराग्राफ *37* में पाए जाते हैं। इसमें, उच्च न्यायालय ने आयातकों के पक्ष में खड़े कुछ कारकों को ध्यान में रखा है जैसे कि मूल रूप से क्षेत्र को धारण करने के आदेश; आयातकों ने आवश्यक भुगतान कर दिया है; और आयातकों को भंडारण के कारण खर्च करना पड़ता है। एक अतिरिक्त कारक उच्च न्यायालय का असंतोष था कि दिनांकित आदेश अनुचित तरीके से पारित किए गए थे और उसमें दिए गए आधार माल को रोकने को उचित नहीं ठहरा रहे थे। इन कारणों और विचारों पर आगे बढ़ते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य प्रमुख कारक जैसे घरेलू कृषि बाजार अर्थव्यवस्था का हित और निष्कर्ष और

कृषि *(*ऊपर*)* में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ पूरी तरह से उच्च न्यायालय के ध्यान से बाहर हो गईं। इस प्रकार, संबंधित विचारों को नजरअंदाज करते हुए पारित किए गए दिनांकित *15.10.2020* के विवादित आदेश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। *60.* ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी रिट याचिका *[2021] 12* एस. सी. आर. में *05.01.2021* का दूसरा आदेश पारित किया गया है।

आयातक मेसर्स द्वारा दाखिल किया गया। राज ग्रो इम्पेक्स भी अस्वीकृत होने का हकदार है। *60.1* . जैसा कि देखा गया है, दिनांक *05.01.2021* के उक्त आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलीय प्राधिकरण ने गलत अर्थ लगाया

कि माल को जारी करने का उसका पहले का निर्णय प्रथम दृष्टया रहा है; और आगे सवाल किया गया कि एक निचला अपीलीय प्राधिकरण जब्त करने का आदेश देकर माल को जारी करने के अपने निर्देशों को कैसे रद्द कर सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने बाद के आदेश दिनांक *05.01.2021* में दिए गए अपने स्वयं के आदेश दिनांक *15.10.2020* का निर्माण, केवल उन विसंगतियों को मजबूत करता है जिनका हमने ऊपर संकेत दिया है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के दिनांक *1* के आदेश के संबंध में 'प्रथम दृष्टया' अभिव्यक्ति अपीलीय प्राधिकरण की रचना नहीं थी, बल्कि दिनांक *1* के आदेश के पैराग्राफ *36* में दो बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया था, जहां उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि अंतिम विचार व्यक्त नहीं किए जा रहे थे क्योंकि मामले की अपील में जांच की जानी थी। *60.2* . उपरोक्त के अलावा, उक्त दूसरी रिट याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार करना छोड़ दिया है कि उक्त रिट याचिका अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश-इन-अपील के खिलाफ दायर की गई थी और सी. ई. एस. टी. ए. टी. को नियमित वैधानिक अपील का वैकल्पिक उपाय आयातक के लिए उपलब्ध था। हमारे विचार में, प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर उनके सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने इन मामलों में दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया होगा।

विषय हैं।

और *05.01.2021* अस्थिर रहते हैं और उन्हें अलग रखने की आवश्यकता होती है। *62.* हालांकि, केवल उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने से इन अपीलों को अंतिम रूप नहीं मिलता है क्योंकि, जैसा कि देखा गया है,

मुख्य मुद्दे अभी भी बने हुए हैं कि क्या विचाराधीन सामान पूर्ण रूप से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं या ज़ब्त किए जाने के बदले जुर्माने की वसूली द्वारा जारी किए जा सकते हैं या नहीं?

62.1 . मुख्य मुद्दों से निपटने के लिए, हमें सबसे पहले इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या विचाराधीन वस्तुएं किस श्रेणी में आती हैं

निषिद्ध माल, जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से या प्रतिबंधित माल की श्रेणी में तर्क दिया गया है, जैसा कि आयातकों की ओर से तर्क दिया गया है।

क्या विचाराधीन वस्तुएँ 'निषिद्ध वस्तुओं' की हैं

श्रेणी? *63.* विचाराधीन माल के उपचार से संबंधित प्रश्नों से निपटने के लिए, भारत संघ और ओ. आर. एस. के मामले में इसका पुनर्कथन करना उचित होगा।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

कृषि *(*ऊपर*)*, यह न्यायालय, दिनांकित अधिसूचनाओं की वैधता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद और दिनांकित संबंधित व्यापार सूचना, विशेष रूप से पीछे के उद्देश्य के लिए संदर्भित

स्थानीय बाजार में कीमतें। अतीत में अंतरिम आदेशों की आड़ में अत्यधिक आयात के नतीजों पर ध्यान दिया गया था और यह भी देखा गया था कि घबराहट को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे स्थानीय बाजारों में निपटान। जैसा कि अधिसूचनाओं में लाइसेंस के खिलाफ *1.5-2* लाख मीट्रिक टन की सीमा में विभिन्न मटर और दालों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के लिए प्रदान किया गया था, इस न्यायालय के समक्ष आयातकों द्वारा तर्कों की एक बेतुकी पंक्ति को अपनाया गया था कि कुल मात्रा

प्रत्येक अधिसूचना में निर्दिष्ट 'प्रति लाइसेंस' था न कि 'कुल आयात' के लिए। इस अदालत ने अधिसूचनाओं में कोई अस्पष्टता नहीं पाए जाने के बाद इस तरह की दलीलों को खारिज कर दिया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि 'कुल मात्रा' अभिव्यक्ति 'प्रति लाइसेंस मात्रा' को संदर्भित नहीं करती है। इस न्यायालय ने आगे अनिश्चित शब्दों में कहा कि विवादित अधिसूचनाएँ एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(2)* के संदर्भ में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्ति के अनुसार जारी की गई थीं। इसके अलावा, इस अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया कि आयातकों ने विचाराधीन वस्तुओं के आयात में ईमानदारी से काम किया था और अंतरिम आदेशों की आड़ में किए गए आयात को एफ. टी. डी. आर. के तहत जारी अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिस के विपरीत माना गया था।

लेकिन, अधिनियम को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटाने के लिए छोड़ दिया गया था। *64.* उपर्युक्त निष्कर्षों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अंतरिम आदेशों की आड़ में आयातित वस्तुओं के उपचार से संबंधित संबंधित पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, विशेष रूप से निहित प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33), 11 (1)* और *111 (*डी*)* में। ये प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"*3.* आयात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियाँ और
निर्यात करते हैं। - *(1)* केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, विकास और *[2021] 12* एस. सी. आर. के लिए प्रावधान कर सकती है।

आयात को सुविधाजनक बनाकर और बढ़ाकर विदेशी व्यापार का विनियमन

निर्यात करते हैं। *(2)* केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, सभी मामलों में या मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा विनियमित करने का प्रावधान कर सकती है और ऐसे अपवादों, यदि कोई हों, के अधीन, जो आदेश द्वारा या उसके तहत किए जा सकते हैं:

बशर्ते कि सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में इस उप-धारा के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ उठा रहा हो या निर्दिष्ट सेवाओं या निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ काम कर रहा हो।

(3) जिन सभी वस्तुओं पर उप-धारा *(2)* के तहत कोई आदेश लागू होता है, उन्हें वह माल माना जाएगा जिसका आयात या निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, *1962 (1962* का *52)* की धारा *11* के तहत प्रतिबंधित किया गया है और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।

(4) किसी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई परमिट या लाइसेंस नहीं होगा। किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात के लिए आवश्यक, न ही किसी भी वस्तु को आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत आवश्यकता हो।

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *2 (33):*

" (33) " निषिद्ध वस्तुओं का अर्थ है कोई भी वस्तु जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी निषेध के अधीन है, लेकिन इसमें ऐसी कोई वस्तु शामिल नहीं है जिसके संबंध में उन शर्तों का पालन किया गया है जिनके अधीन वस्तुओं को आयात या निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *11 (1):*

उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य के लिए, यह, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो पूरी तरह से या अधिसूचना में निर्दिष्ट ऐसी शर्तों *(*मंजूरी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली*)* के अधीन, किसी भी निर्दिष्ट विवरण के माल का आयात या निर्यात।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

XXX "

XXX

XXX

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *111 (*डी*)*
" 111. अनुचित रूप से आयातित वस्तुओं आदि की जब्ती। द.

भारत के बाहर से लाई गई निम्नलिखित वस्तुएँ उत्तरदायी होंगी।
ज़ब्त करनाः

XXX

XXX

XXX

((घ) कोई भी माल जो आयात किया जाता है या आयात करने का प्रयास किया जाता है या के उद्देश्य से भारतीय सीमा शुल्क जल के भीतर लाया जाता है

आयात किया जा रहा है, द्वारा या उसके तहत लगाए गए किसी भी निषेध के विपरीत इस अधिनियम या उस समय लागू कोई अन्य कानून;

XXX ""

XXX

XXX

65. कृषि *(*उपर्युक्त*)* के मामले में इस प्रकार के स्पष्ट निष्कर्ष

न्यायालय, उपरोक्त-उद्धृत प्रावधानों के साथ पढ़कर, इस बात पर संदेह करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3* की उप-धारा *(3)* विचाराधीन वस्तुओं पर लागू होती है और अंतरिम आदेशों की आड़ में आयात की गई है, लेकिन एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं और व्यापार सूचना के विपरीत और आवश्यक लाइसेंस के बिना, इन वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *11* के तहत निषिद्ध वस्तु माना जाएगा और सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधान इन वस्तुओं और उनके आयात पर तदनुसार प्रभावी होंगे। हालाँकि, इन श्रेणियों के संबंध में हमारे सामने लंबे समय से तर्क दिए गए हैं।

वस्तुओं को रखा जाना चाहिए, यानी, चाहे वे 'प्रतिबंधित' श्रेणी के हों या 'निषिद्ध' श्रेणी के।

66. आयातकों की ओर से विवादों की गंभीरता,

कि विषय वस्तु 'प्रतिबंधित' श्रेणी में आती है और 'निषिद्ध' श्रेणी में नहीं आती है, यह है कि विचाराधीन अधिसूचनाओं में मात्रात्मक रखा गया है

प्रतिबंध और कोई अन्य आदेश या अधिसूचना नहीं थी इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाना। दलीलें निराधार बनी हुई हैं।

और अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।

66.1 . विचाराधीन अधिसूचनाओं और निष्कर्षों पर एक नंगी नज़र

इस न्यायालय ने कृषि *(*उपर्युक्त*)* मामले में यह स्पष्ट किया है कि उक्त अधिसूचनाओं में शामिल वस्तुओं की केवल विशेष सीमित मात्रा का ही आयात किया जा सकता था, जैसे कि डेढ़ लाख मीट्रिक टन तक; और वह भी लाइसेंस के तहत। विद्वान ए. एस. जी. ने पी. टी. आर. निर्यात *(*उपरोक्त*)* में निर्णय के संदर्भ में ठीक ही बताया है कि एक आवेदक को निर्यात या आयात लाइसेंस रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है और लाइसेंस देना *[2021] 12* एस. सी. आर. पर निर्भर करता है।

एस. बी. इंटरनेशनल *(ऊपर)* में निर्णय के संदर्भ में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि आयात के लिए लाइसेंस देना औपचारिकता का विषय नहीं है। और अधिकारियों को खुद को संतुष्ट करना होगा कि आवेदन योजना और लागू कानूनों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एस. बी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की: -

"9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लाइसेंस देना न तो एक यांत्रिक अभ्यास है और न ही एक औपचारिकता है। आवेदन प्राप्त होने पर,

अधिकारियों को आवेदन की सामग्री की शुद्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। उन्हें यह भी संतुष्ट करना होगा कि आवेदन सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है

योजना और कानून के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों।

67.1 . शेख मोहम्मद के मामले में। उमर *(ऊपर)*, एक विशेष घोड़े को 'पालतू जानवर' नहीं पाया गया और इसलिए, इसका आयात आयात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने वाला पाया गया। हालाँकि, यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि घोड़ों या घोड़ों के आयात पर प्रतिबंध नहीं था। सवाल यह था कि क्या इस तरह का आयात करके, अपीलार्थी ने धारा *125* के साथ पठित धारा *111 (*डी*)* का उल्लंघन किया है। सीमा शुल्क अधिनियम। सवाल का जवाब देते हुए, इस अदालत ने कहा कि आयात या निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध एक हद तक निषेध है; और

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* में "कोई भी निषेध" अभिव्यक्ति में प्रतिबंध शामिल हैं। इस न्यायालय ने आगे रेखांकित किया कि "किसी भी निषेध" का अर्थ है

प्रत्येक निषेध; और प्रतिबंध भी एक प्रकार का निषेध है। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ कहा -

"11 ..... अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए विद्वान वकील ने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जबकि अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* में "निषेध" शब्द का उपयोग किया गया है। भारत और ओ. आर. एस. के आयात और निर्यात संघ की धारा *3*।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

(नियंत्रण*)* अधिनियम, *1947*, न केवल आयात पर प्रतिबंध लगाता है और निर्यात, इसमें सभी "प्रतिबंध या अन्यथा नियंत्रण" भी शामिल हैं

विशेष रूप से आयात के तहत निषेध माना जाता है और निर्यात *(*नियंत्रण*)* अधिनियम, *1947*, क्योंकि वह क़ानून "प्रतिबंधों" से संबंधित है।

या अन्यथा "प्रतिबंधों से अलग" को नियंत्रित करना। हम हैं।

इस तर्क से प्रभावित नहीं। धारा *111* का कौन सा खंड *(*घ*)* है*?*

कहते हैं कि कोई भी माल जो आयात किया जाता है या होने का प्रयास किया जाता है के लिए किसी भी कानून द्वारा लगाए गए किसी भी निषेध के विपरीत आयात किया गया

इस देश में लागू समय को जब्त किया जा सकता है।

"उस धारा में निर्दिष्ट कोई भी निषेध लागू होता है -

हर प्रकार का "निषेध"। वह प्रतिबंध हो सकता है

पूर्ण या आंशिक। आयात या निर्यात पर कोई प्रतिबंध है

एक हद तक निषेध। अभिव्यक्ति "कोई भी"

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *111 (*डी*)* में "निषेध"

इसमें प्रतिबंध शामिल हैं। केवल इसलिए कि आयात की धारा *3*

और निर्यात *(*नियंत्रण*)* अधिनियम, *1947* में तीन अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है

" "", "" "प्रतिबंधित" "या" "" "अन्यथा नियंत्रित" "" "को प्रतिबंधित करते हुए, हम ऐसा नहीं कर सकते।"

खंड में "किसी भी निषेध" शब्द के आयाम में कटौती करें।

*111 ((*घ*)* अधिनियम "। "किसी भी निषेध" का अर्थ है हर निषेध।

दूसरे शब्दों में सभी प्रकार के प्रतिबंध। प्रतिबंध एक है

निषेध का प्रकार "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

67.2 . ओम प्रकाश भाटिया *(*ऊपर*)* के मामले में, ओवर-चालान

और निर्यातक द्वारा कमी के कपटपूर्ण दावे को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, *1973* की आवश्यकताओं के संदर्भ में निषिद्ध वस्तुओं के निर्यात का दावा माना गया था, जबकि

निर्यातक ने कहा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *113 (*डी*)* लागू नहीं थी क्योंकि माल प्रतिबंधित नहीं था। उत्तरदाताओं में से एक की ओर से तर्क दिया गया है कि ओम प्रकाश भाटिया के मामले में अंततः पारित आदेश अपीलार्थियों के रुख के खिलाफ है। यह सच है कि उस मामले में, मोचन जुर्माना और जुर्माना लगाया गया था, लेकिन उस मामले के तथ्यों से संबंधित एक विशेष तरीके से विवेक का प्रयोग किया गया था। अभ्यास से संबंधित ये पहलू

प्रश्न पर विचार करते समय विवेक पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा। इस बारे में कि क्या विचाराधीन माल पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी है या मोचन जुर्माने पर जारी किया जा सकता है। वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्यात का प्रयास किया गया था

माल को 'निषिद्ध' माल की श्रेणी में लेना।

67.3 . ब्रूक्स इंटरनेशनल *(ऊपर)* के मामले में, बाजार

निर्यात के तहत माल का मूल्य दावा की गई कमी की राशि से कम पाया गया। सवाल यह था कि क्या सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इस तरह के सामान को जब्त किया जा सकता है? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* और धारा *11* में "निषिद्ध वस्तुओं" की परिभाषा के आयात पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने ओम प्रकाश भाटिया *(उपरोक्त)* के मामले में निम्नलिखित व्याख्या का उल्लेख किया: -

" *10.* उपरोक्त परिभाषा से यह कहा जा सकता है कि: *((क)* यदि
अधिनियम के तहत वस्तुओं के आयात या निर्यात पर कोई प्रतिबंध है।

या उस समय लागू किसी अन्य कानून पर विचार किया जाएगा।

निषिद्ध वस्तु होना; और *(ख)* इसमें ऐसी कोई वस्तु शामिल नहीं होगी।

माल का अनुपालन नहीं किया जाता है, यह माना जाएगा
निषिद्ध वस्तुएँ। यह धारा *11* से भी स्पष्ट होगा कि

निकासी, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, आयात या
किसी भी निर्दिष्ट विवरण के माल का निर्यात। अधिसूचना

उप-धारा *(2)* में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सकता है। इसलिए,

माल की निकासी के बाद। यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो
यह प्रतिबंधित वस्तुओं के बराबर हो सकता है। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

67.4 . आयातकों के लिए विद्वान परामर्श ने दृढ़ता से भरोसा किया है

3-अतुल ऑटोमेशन *(उपर्युक्त)* मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ का निर्णय यह प्रस्तुत करने के लिए कि उसमें, बिना प्राधिकरण के आयातित माल को 'प्रतिबंधित' माल माना गया था; और वही सिद्धांत विषय वस्तुओं पर लागू होता है जब उन्हें आयात लाइसेंस के बिना आयात किया गया हो और इसलिए, उन्हें निषिद्ध माल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। एएसजी द्वारा प्रस्तुतियों का विरोध किया गया है कि एफटीडीआर अधिनियम के तहत मामले से संबंधित उक्त निर्णय और माल से संबंधित विभिन्न तथ्य और विभिन्न नियम इसमें शामिल थे।

67.4. 1 . अतुल ऑटोमेशन *(ऊपर)* के मामले में, माल

बिना प्राधिकरण के आयात 'निषिद्ध' नहीं बल्कि भारत और ओ. आर. एस. का संघ पाया गया।

'आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुएँ और भुगतान के साथ उन्हें जारी करने के आदेश

ज़ब्त करने के बदले जुर्माने को मंजूरी दी गई। हालाँकि, तथ्यात्मक पहलुओं पर बारीकी से नज़र डालने से यह संदेह से परे हो जाता है कि इसमें, इस न्यायालय ने न तो यह कानून निर्धारित किया है कि बिना प्राधिकरण के आयात के प्रत्येक मामले में, माल को प्रतिबंधित और निषिद्ध नहीं माना जाना चाहिए और न ही बिना प्राधिकरण के इस तरह से आयातित माल को हमेशा मोचन जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जाना चाहिए। *67.4. 2* . अतुल ऑटोमेशन *(*उपरोक्त*)* के तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट होता है कि उस मामले में शामिल आयातित बहु-कार्य उपकरण, फोटोकॉपीर और प्रिंटर *(*एम. एफ. डी.*)* प्रतिबंधित वस्तुएं थीं, जो विदेश व्यापार नीति के खंड *2.31* के तहत प्राधिकरण के खिलाफ आयात योग्य थीं। इस प्रकार, एम. एफ. डी. आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुएँ पाई गईं, न कि निषिद्ध वस्तुएँ। ऐसा नहीं था कि आयात को मात्रा के संदर्भ में इस तरह से प्रतिबंधित किया गया था कि माल केवल एक विशेष मात्रा तक आयात योग्य था और वह भी एक लाइसेंस के खिलाफ। इसमें यह भी पाया गया कि केंद्र सरकार ने आयात की अनुमति दी थी

कम से कम पाँच वर्षों के लिए उपयोगिता वाले एम. एफ. डी. का उपयोग किया गया, यह ध्यान में रखते हुए कि उनका निर्माण देश में नहीं किया जा रहा था।

67.4. 3 . वर्तमान मामला एक पूरी तरह से अलग प्रतिबंध का है जहां संदर्भित मटर/दालों का आयात एक विशेष मात्रा तक सीमित किया गया है और केवल एक लाइसेंस के खिलाफ किया जा सकता है। इस प्रतिबंध का अक्षर और भावना, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले स्पष्ट किया गया है, यह है कि निर्दिष्ट मात्रा से परे कोई भी आयात स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और निषिद्ध है। इस न्यायालय ने कृषि बाजार अर्थव्यवस्था पर कृषि बाजार अर्थव्यवस्था पर इन वस्तुओं के आयात की अत्यधिक मात्रा के प्रतिकूल प्रभाव पर प्रकाश डाला है, जबकि अतुल ऑटोमेशन *(*उपरोक्त*)* में यह मामला नहीं था कि आयात अन्यथा घरेलू बाजार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना थी। अतुल ऑटोमेशन के मामले के विपरीत, जहां माल को आयात करने की अनुमति दी गई थी *(*यद्यपि प्राधिकरण के साथ*)* क्योंकि उनका देश में निर्माण नहीं किया गया था, वर्तमान मामले में, मात्रा के आधार पर आयात को प्रतिबंधित करने की अंतर्निहित विशेषता अत्यधिक स्टॉक की उपलब्धता और देश के किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव रहा है। अतुल ऑटोमेशन *(*उपरोक्त*)* में निर्णय को, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग माना जा सकता है।

68. इस प्रकार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विचाराधीन माल, दिनांकित *29.03.2019* अधिसूचनाओं और दिनांकित *16.04.2019* व्यापार सूचना के उल्लंघन में आयात किया गया है; और *[2021] 12* एस. सी. आर. से परे आयात का है।

अनुमेय मात्रा और लाइसेंस के बिना, सीमा शुल्क अधिनियम *1 8* के उद्देश्य के लिए 'निषिद्ध वस्तु' हैं।

68.1 . उनकी ओर से उठाए गए अनावश्यक और आधारहीन तर्क

आयातकों के लिए कि विचाराधीन माल 'प्रतिबंधित' श्रेणी के हैं, 'प्रतिबंधित' अभिव्यक्ति के संदर्भ में जिसका उपयोग विचाराधीन अधिसूचनाओं के उद्देश्य से या डी. जी. एफ. टी. या एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के अन्य

प्रावधानों द्वारा दिए गए सामान्य उत्तरों के संदर्भ में किया गया है, इसलिए अस्वीकार कर दिए जाते हैं। विचाराधीन वस्तुएँ 'निषिद्ध वस्तुओं' की श्रेणी में आती हैं।

क्या विचाराधीन माल निरपेक्ष के लिए उत्तरदायी है

ज़ब्त?

69. एक बार जब यह स्पष्ट हो जाए कि विचाराधीन वस्तुएँ अनुचित हैं

आयातित और 'निषिद्ध वस्तुओं' की श्रेणी में आने वाले, सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* के अध्याय *XIV* में निहित प्रावधान लागू होते हैं और विषय वस्तुएं अन्य वस्तुओं के अलावा जब्त करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

परिणाम। आग्रह किए गए विवादों को ध्यान में रखते हुए और

इन अपीलों की पृष्ठभूमि की विशेषताओं, मूल प्रश्न यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत विचाराधीन वस्तुओं से कैसे निपटा जाए? सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

सीमा शुल्क अधिनियम, *1962* की धारा *125 (1)*

" 125. ज़ब्ती के बदले में जुर्माना देने का विकल्प। *(1)*

जब भी किसी माल की जब्ती इस अधिनियम द्वारा अधिकृत की जाती है,
इसका निर्णय करने वाला अधिकारी, किसी भी वस्तु के मामले में, आयात कर सकता है।

या निर्यात जिसका इस अधिनियम के तहत या किसी के तहत निषेध है

तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि, और, किसी भी मामले में

अन्य सामान, माल के मालिक को दें या, जहां ऐसे मालिक

ज्ञात नहीं है, वह व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा से ऐसा है
सामान जब्त कर लिया गया है, जब्त करने के बदले भुगतान करने का एक विकल्प

ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी उचित समझता है:

XXX "

XXX

XXX

69.1 . उपरोक्त प्रावधान को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है

कि 'निषिद्ध वस्तुओं' और 'अन्य वस्तुओं' के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है। जैसा कि ठीक ही बताया गया है, धारा *125* का अंतिम भाग *18* पारित होने में, हम देख सकते हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेशों में भी, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि विचाराधीन माल थे

निषिद्ध वस्तुएँ *(*पैराग्राफ *22.2* में पहले पुनः प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों के अनुसार*)*।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

ज़ब्त की गई वस्तुओं *(*यानी, निषिद्ध वस्तुओं के अलावा*)* को मोचन जुर्माने के खिलाफ जारी करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन इस प्रावधान के पूर्व भाग में निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है; और यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह इसके लिए एक विकल्प दे सकता है ज़ब्ती के बदले जुर्माने का भुगतान। इस प्रावधान में यह सहज है कि यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसा विकल्प नहीं चुनता है, तो परिणाम पूर्ण रूप से ज़ब्त किया जाएगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण

वर्तमान मामलों में जुर्माना लगाने के साथ-साथ जब्त करने के बदले में जुर्माने के भुगतान का ऐसा विकल्प दिया गया था, जबकि अपीलीय प्राधिकरण ने विवेकाधिकार के इस तरह के प्रयोग में खामियां पाई हैं और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ पूर्ण रूप से जब्त करने का आदेश दिया है। यह हमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125 (1)* के पहले भाग में उपलब्ध विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए लागू किए जाने वाले सिद्धांतों पर ले जाता है।

70. विवेकाधिकार के प्रयोग से संबंधित सिद्धांत

पक्षों द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों में प्राधिकार की व्याख्या की जाती है। हम निम्नलिखित प्रासंगिक विवरणों पर ध्यान दे सकते हैं:

70.1 . संत राज *(*ऊपर*)* के मामले में, संदर्भित और उस पर निर्भर

दोनों पक्षों द्वारा, इस न्यायालय ने बहाली के बदले मुआवजा देने के लिए श्रम न्यायालय के विवेकाधिकार के संबंध में मामले पर विचार किया और

निम्नलिखित रूप में देखा गया: -

प्राधिकरण के विवेक के भीतर तब कि कुछ
तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए

और निजी राय के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार और

हास्य नहीं। यह मनमाना, अस्पष्ट और काल्पनिक नहीं बल्कि कानूनी होना चाहिए।

और नियमित और इसका प्रयोग उस सीमा के भीतर किया जाना चाहिए जिसके लिए

अपने पद के निर्वहन के लिए ईमानदार व्यक्ति को खुद को ढूंढना चाहिए।
विवेक का अर्थ है कानून द्वारा निर्देशित सही विवेक। होना ही चाहिए।

नियम द्वारा शासित, हास्य द्वारा नहीं, यह मनमाना, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए

और कल्पनाशील "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

70.2 . रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स *(*ऊपर*)* के मामले में, यह

न्यायालय, विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए 'विवेकाधिकार' और शासी सिद्धांतों के कानूनी अर्थों से संबंधित विभिन्न घोषणाओं के संदर्भ में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार देखा गयाः -

" 30. विवेक, सामान्य रूप से, इस बात की समझ है कि क्या सही है और
उचित है। यह ज्ञान और विवेक को दर्शाता है, वह विवेक *[2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो एक व्यक्ति को सावधानी के साथ संयुक्त रूप से सही और उचित के बारे में आलोचनात्मक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है; अच्छी समझ, और सावधानी से निर्देशित निर्णयः जानबूझकर निर्णय; निर्णय की दृढ़ता; झूठ और सत्य के बीच अंतर करने के लिए एक विज्ञान या समझ,

गलत और सही के बीच, छाया और पदार्थ के बीच,

समानता और रंगीन चमक और ढोंग के बीच, और नहीं

व्यक्तियों की इच्छा और निजी स्नेह के अनुसार करें।

70.3 . यू. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम के मामले में

(ऊपर*)*, प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग न करने के मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने विवेकाधिकार की रूपरेखा के साथ-साथ इस पर भी स्पष्टीकरण दिया

न्यायालयों की शक्तियों पर सीमाएँ जब मामला सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार का हो, निम्नलिखित शब्दों में: -

" 12. उच्च न्यायालय ने निगम को उन चालकों को वैकल्पिक नौकरी देने का निर्देश देने में भी समान रूप से गलती की थी जो चिकित्सकीय रूप से बीमार पाए जाते हैं।

अपनी सेवाओं के वितरण से पहले अयोग्य। अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

सांविधिक प्राधिकारी के निर्णय को निर्देशित करें जिसे

किसी दिए गए मामले में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाए। द.

न्यायालय सांविधिक प्राधिकारी को प्रयोग करने का निर्देश नहीं दे सकता है

एक विशेष तरीके से विवेकाधिकार जो स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं है

कानून। न्यायालय केवल एक द्वारा वैधानिक प्राधिकरण को आदेश दे सकता था

कानून के अनुसार विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश का लिखित आदेश। वैकल्पिक नौकरी की पेशकश की जानी है या नहीं, यह निगम के सक्षम प्राधिकारी के विवेक

पर छोड़ दिया गया है और निगम को अलग-अलग मामलों में विवेक का प्रयोग करना होगा। अदालत निगम को आदेश नहीं दे सकती है कि

एक विशेष तरीके से और एक के पक्ष में विवेक का प्रयोग करें

विशेष व्यक्ति। वह अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा

अदालत।

13. तत्काल मामले में, निगम ने खुद को अस्वीकार कर दिया है

एक वैकल्पिक नौकरी की पेशकश करने का विवेकाधिकार जिसे विनियमन के लिए छंटनी के व्यक्तिगत मामलों में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। .... यह हो सकता है

कहा कि वैधानिक विवेकाधिकार को स्वयं से बाधित नहीं किया जा सकता है

नियम या नीति बनाए। यद्यपि यह एक ऐसे प्राधिकरण के लिए खुला है जिसे विवेकाधिकार के प्रयोग को विनियमित करने के लिए मानदंडों या नियमों को निर्धारित करने के लिए विवेकाधिकार सौंपा गया है, फिर भी, यह खुद को इनकार नहीं कर सकता है

विवेकाधिकार जिसका कानून इसे व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने के लिए कहता है
मामले। .....

XXX

XXX

भारत और ओआरएस का *XXX* संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

" 15 ..... किसी धारक को कानून द्वारा प्रदत्त प्रत्येक विवेकाधिकार

सार्वजनिक पद का प्रयोग आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए

विनियमन *17 (3)* के तहत विवेकाधीन निर्णय लेने का इरादा था
जहां तक संभव हो सके विकलांग चालकों का पुनर्वास करना।

ऊपर बताई गई बाधाएँ। इसलिए निगम कार्रवाई नहीं कर सकता है।

यांत्रिक रूप से। विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए
सनक, सनक या अनुष्ठान के अनुसार। विवेक होना चाहिए

उचित और तर्कसंगत रूप से प्रयोग किया गया। इसका ईमानदारी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

और निष्पक्ष रूप से। उचित मूल्य निर्णय होना चाहिए
निष्पक्षता और समता '।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

70.4 . ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन *(*ऊपर*)* के मामले में, यह न्यायालय

इन सिद्धांतों पर व्याख्या की गई है कि संवैधानिक न्यायालय, अपने व्यापक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अवलोकन करते हुए क़ानून के मूल प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं: -

" 12. निस्संदेह, अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ
संविधान के व्यापक हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण से व्यापक नहीं हैं

संविधान के अनुच्छेद *142* के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां

संविधान। अनुच्छेद *142* का एक समूह और भंडार है
संविधान के तहत संपूर्ण न्यायिक शक्तियां, पूर्ण न्याय करने के लिए

पार्टियों के लिए।

विधायी इरादे को ध्यान में रखें और वैधानिक प्रावधान को प्रस्तुत करने के लिए नहीं
ऑटियोस "।

71. इस प्रकार, जब विवेकाधिकार की बात आती है, तो इसका अभ्यास करना पड़ता है

कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। विवेकाधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से इस बात की समझ है कि क्या सही और उचित है और इस तरह की समझ छाया और पदार्थ के बीच अंतर करके सही और उचित क्या है, इसका महत्वपूर्ण और सतर्क निर्णय है।

समता और ढोंग के बीच। सार्वजनिक पद के धारक को, कानून द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसी कवायद ऐसी शक्ति प्रदान करने के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए है। विवेकशीलता, तर्कसंगतता, निष्पक्षता, निष्पक्षता और समानता की आवश्यकताएं विवेक के किसी भी अभ्यास में निहित हैं; ऐसा अभ्यास कभी भी निजी राय के अनुसार नहीं हो सकता है।

71.1 . यह शायद ही किसी बहस का विषय है कि विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और उस मामले के लिए, सभी तथ्यों और आसपास के सभी प्रासंगिक कारकों के साथ-साथ विवेकाधिकार के प्रयोग के निहितार्थ भी हैं।

ठीक से तौलने और एक संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

72. यह सच है कि सांविधिक प्राधिकारी को किसी विशेष तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जैसा कि वर्तमान में देखा गया है।

मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग पर विभिन्न आधारों पर सवाल उठाए गए हैं और वास्तव में, अपीलीय प्राधिकरण ने मूल आदेशों को दरकिनार कर दिया है, जिसके तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माल को मोचन जुर्माने और जुर्माने के साथ जारी करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया था। यह पता लगाने के बाद कि विचाराधीन माल 'निषिद्ध वस्तुओं' की श्रेणी में आता है और संबंधित पृष्ठभूमि पहलुओं के साथ आता है, जिसमें विचाराधीन अधिसूचना जारी करने के पीछे के कारण और कृषि *(उपरोक्त)* में इस न्यायालय के निष्कर्ष शामिल हैं, सवाल यह है कि क्या इन मामलों में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग, जब्ती के बदले जुर्माने के भुगतान का विकल्प देते हुए, अनुमोदित किया जा सकता है? *73.* जहाँ तक प्रश्न का संबंध है, हम पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत प्रासंगिक निर्णयों पर उपयोगी रूप से ध्यान दे सकते हैं। हालांकि,

यह देखा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के होराइजन फेरो अलॉयज *(उपरोक्त)* मामले में एक विशेष श्रेणी के माल से संबंधित निर्णय, जो 'प्रतिबंधित' था और 'निषिद्ध' नहीं था, को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। *74.* अपीलार्थियों की ओर से, विद्वान एएसजी ने विवाद का समर्थन करने के लिए गर्ग वूलन मिल्स के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है

कि विषय वस्तु पूरी तरह से जब्त किए जाने के योग्य है। उस मामले में, सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर ने माल को जब्त करने का निर्देश दिया था जब यह पाया गया कि गैर-अस्तित्व के नाम पर बड़ी मात्रा में कच्चे माल का धोखाधड़ी से आयात करने का प्रयास किया गया था

कपड़े पहने। कि एक मामला है जहाँ धोखाधड़ी शामिल थी, का आदेश पूर्ण जब्ती में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता हैः -

"*5.* एक और तर्क जिसका श्री महाबीर सिंह ने आग्रह किया था

माल अधिनियम द्वारा अधिकृत है, इसका निर्णय करने वाला अधिकारी, किसी भी माल के मामले में, आयात या निर्यात कर सकता है जिसका
अधिनियम के तहत या किसी अन्य कानून के तहत कुछ समय के लिए भारत और ओ. आर. एस. संघ के तहत निषिद्ध।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

ज़ब्ती के बदले में भुगतान करने का एक विकल्प जैसे कि उक्त अधिकारी
उचित सोचता है। हम श्री महाबीर के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

सिंह। धारा *125* के तहत एक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है

अधिकारी को ज़ब्त करने के बदले जुर्माना देने का विकल्प देना
जिन वस्तुओं का आयात या निर्यात निषिद्ध है, उनके मामले

अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत
लेकिन अन्य वस्तुओं के संबंध में अधिकारी ऐसा देने के लिए बाध्य है

विकल्प। वर्तमान मामले में तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और

कलेक्टर ने पाया है कि माल का आयात उल्लंघन में किया गया था
आयात *(*नियंत्रण*)* आदेश, *1955* के प्रावधानों के बारे में

आयात और निर्यात *(*नियंत्रण*)* अधिनियम, *1947* की धारा *3 (1)*। में

माल की जब्ती जो इंगित करती है कि उसने विचार नहीं किया
यह भुगतान करने का विकल्प देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है

अधिनियम की धारा *125* के तहत मोचन जुर्माना। न्यायाधिकरण
यह भी महसूस किया कि चूंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें धोखाधड़ी की गई थी

शामिल, अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निर्देश

माल की पूर्ण जब्ती के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी

हस्तक्षेप। हमें अलग लेने का कोई कारण नहीं मिलता है।
देखें "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

75. विद्वान एएसजी ने मामले में निर्णय का भी उल्लेख किया है

श्री अम्मान ढल्ल मिल्स *(*उपरोक्त*)* के संबंध में जहां केरल उच्च न्यायालय ने उन वस्तुओं के संबंध में बाद की अधिसूचनाओं का उल्लंघन करते हुए किए गए आयात पर विचार किया है जो वर्तमान मामले में शामिल हैं। इसमें, आई. डी. *2* पर, आयातक ने *200* एम. टी. हरी मटर के आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया, लेकिन आयात के लिए लाइसेंस के वास्तविक अनुदान से पहले, कनाडाई हरी मटर घोषित माल की मंजूरी के लिए आई. डी. *1* दिनांकित एक प्रविष्टि बिल दायर किया। प्रविष्टि बिल में घोषणा के अनुसार, घोषित मात्रा *210* मीट्रिक टन थी जिसका घोषित मूल्यांकन मूल्य रु। *79,28,444 / -* . सीमा शुल्क आयुक्त, कोच्चि ने माल जारी करने के लिए आयातक के अनुरोध पर अपने दिनांक *16.10.2020* के आदेश द्वारा उल्लेख किया कि दिनांक *18.12.2019* की *DGFT* अधिसूचना ने *[2021] 12 S. C. R.* को संशोधित किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मटर के आयात के लिए नीति; न्यूनतम आयात मूल्य और रुपये के वार्षिक वित्तीय कोटे के संबंध में आगे की नीतिगत शर्तें। *1.5* लाख मीट्रिक टन थे इसे शामिल किया गया और आयात की अनुमति कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से दी गई। आयातक, जिसने दिनांकित *18.12.2019* और *28.03.2020* अधिसूचना जारी होने के बाद विषय वस्तुओं का आयात किया था, ने एक रिट याचिका दायर की

उच्च न्यायालय ने विषय वस्तुओं को अस्थायी रूप से जारी करने की मांग की लेकिन अस्थायी रूप से जारी करने के लिए इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। आयातक ने एक अंतर-अदालत अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की कि सीमा शुल्क अधिकारी निर्णय की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाएं। सीमा शुल्क आयुक्त ने अपने दिनांक *3* के आदेश में, अस्थायी रिहाई के लिए आयातक के अनुरोध पर विचार करते हुए, दिनांक *1* की अधिसूचना में संशोधित अधिसूचना में तीन शर्तों का उल्लेख किया; और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा *3 (3)* के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *111 (*डी*)* के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए माल को पूरी तरह से जब्त करने का आदेश दिया; और *5* लाख रुपये का जुर्माना लगाया। *4* एक लाख। आयातक ने आयुक्त के आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी। अपीलीय न्यायाधिकरण

यह पाया गया कि वस्तु का आयात एक्जिम नीति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया था, जिसमें निषिद्ध वस्तुओं की प्रकृति का अधिग्रहण किया गया था। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *2 (33)* की शर्तें और धारा *111 (*डी*)* के संदर्भ में जब्ती के लिए उत्तरदायी थीं। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने यह प्रश्न तैयार किया कि क्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास जब्ती के बदले जुर्माने के भुगतान पर ऐसी वस्तुओं को भुनाने की अनुमति देने का विकल्प था। अतुल के मामले में इस अदालत के फैसले को संदर्भित करने के बाद

स्वचालन *(*उपर्युक्त*)* और मैसर्स के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। हरिहर संग्रह *(*इसमें विवादित*)*, न्यायाधिकरण ने रुपये के भुगतान पर विवादित माल के मोचन का निर्देश दिया। *12* एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और एक लाख रुपये के जुर्माने की पुष्टि की। *4* द्वारा लगाए गए लाखों

कमिश्नर।

75.1 . आयातक और राजस्व द्वारा की गई अपीलों में केरल उच्च न्यायालय ने जानबूझकर इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दिया।

कृषि *(*ऊपर*)* और यह भी तथ्य कि मैसर्स के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह से आदेश पारित किया गया था। वर्तमान अपीलों में इस न्यायालय द्वारा हरिहर संग्रह पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने माल जारी करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को अन्य निष्कर्षों और टिप्पणियों के साथ अस्वीकार कर दिया:

"*25.* हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि अगर हर मामले में माल है
भारत और ओ. आर. एस. के प्राथमिक या आई. ओ. एन. द्वारा मोचन जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जाता है।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

अपीलीय न्यायाधिकरण, तो ऐसे निर्णय अस्थिर हैं

कानून और न्यायिक समीक्षा में। हमारे सुविचारित विचार में, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत शक्ति और विवेक का प्रयोग

1962 , विशिष्ट हैं और आम तौर पर लागू द्वारा शासित हैं

नीति, अधिसूचना आदि। दिनांकित *18.4.2019* अधिसूचना में केवल डेढ़ लाख मीट्रिक टन की मात्रा के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है;

न्यूनतम आयात मूल्य रु। *200 / -* और सी. आई. एफ. प्रति किलोग्राम से ऊपर और केवल कलकत्ता सी पोर्ट के माध्यम से आयात की अनुमति है। ये हैं।

ऐसी शर्तें जो माल के आयात के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित हैं पालन करने के लिए। प्राथमिक प्राधिकरण ने नोट किया है कि कृषि एलएलपी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए; हरे रंग की उपलब्ध स्टॉक स्थिति

मटर को अधिशेष माना जाता है, और छोड़ने से इनकार कर दिया जाता है और आदेश दिया जाता है

आयुक्त की आवश्यकता नहीं है या वैकल्पिक रूप से इसके लिए हानिकारक नहीं है किसानों का हित। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि अपने दिनांकित आदेश में

16.10.2020 कि आयातक इनमें से किसी के अनुरूप नहीं है

हरी मटर के आयात के लिए लागू शर्तें। हमारे विचार में

सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा उपरोक्त विवेकाधिकार का प्रयोग अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचार के लिए प्रश्न है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उन मामलों पर विचार किया जाता है जो सराहना करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हैं

आयुक्त द्वारा अधिकार के प्रयोग का तरीका और तरीका सीमा शुल्क, लेकिन, हालांकि, दर्ज किया गया है कि विषय माल हो सकता है

प्रतिबंधित माल के रूप में माना जाता है और मोचन जुर्माने के भुगतान पर जारी किया जा सकता है। ..... न्यायाधिकरण कानून की स्पष्ट त्रुटि में पड़ गया। यह अभिनिर्धारित करके कि माल को छोड़ना सीमा शुल्क आयुक्त के लिए एकमात्र विकल्प है, मामले में धारा *125* की भाषा सीमा शुल्क अधिनियम को पूरी तरह से उदार बनाया गया है। न्यायाधिकरण के तर्क को अन्य प्राथमिक प्राधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों द्वारा अपनाया जाता है, फिर

एक्ज़िम नीति, अधिसूचनाएँ विफल हो जाती हैं और बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं

आयातित हरी मटर, और ऐसी आकस्मिकताओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृषि मामले में टिप्पणी की गई है। हमारा विचार है कि मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण का विचार अवैध है, प्रासंगिक अधिसूचनाओं की अनदेखी की गई है, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम का अधिदेश और

सीमा शुल्क अधिनियम *1962*। "

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

76. दूसरी ओर, आयातकों ने भारी निर्भरता रखी है।

हरगोविंद दास के. जोशी *(ऊपर)* के मामले में निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसमें, अपीलार्थियों द्वारा आयातित ज़िप फास्टनरों की एक खेप को सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पूर्ण रूप से जब्त करने का आदेश दिया गया था और जुर्माना भी लगाया गया था। आदेश की पुष्टि की गई थी

अपीलीय न्यायाधिकरण। इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं द्वारा तीन प्रश्न उठाए गए थे, अर्थात्, माल को जब्त करने के आदेश की वैधता पर; जुर्माना लगाने वाले आदेशों की वैधता पर; और सीमा शुल्क प्राधिकरण की ओर से उन्हें जब्त करने के बदले जुर्माने के भुगतान पर माल को भुनाने का विकल्प देने में विफलता। इस अदालत ने यह पता लगाने के बाद पहली दो दलीलों को खारिज कर दिया कि जब्ती का निर्देश देने वाला आदेश था तथ्यों या कानून में अनुपलब्ध और कि जुर्माना लगाने वाला आदेश था

न्यायसंगत भी। हालाँकि, इस न्यायालय ने प्रस्तुतियों के तीसरे भाग में सार पाया क्योंकि सीमा शुल्क कलेक्टर ने अपीलकर्ताओं को जुर्माने के भुगतान पर माल को भुनाने का विकल्प दिए बिना पूर्ण जब्ती का आदेश पारित किया था। इस न्यायालय ने कहा कि उक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास, निस्संदेह, ज़ब्ती के बदले में जुर्माने के भुगतान का विकल्प देने का विवेकाधिकार था, लेकिन उसके पास उपलब्ध इस तरह के विवेकाधिकार पर विचार करने से इनकार कर दिया। दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने मामले को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीमित सीमा तक भेज दिया कि आयातकों को जुर्माने के भुगतान पर जब्त किए गए सामान को भुनाने का विकल्प दिया जाए या नहीं। इस संबंध में, इस न्यायालय ने संबंधित अधिकारी के लिए कानून के अनुसार किसी न किसी तरह से निर्णय लेने के लिए इसे खुला छोड़ दिया, और अंत में यह टिप्पणी की कि संबंधित अधिकारी सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिसमें आयातकों की ओर से यह प्रस्तुत करना भी शामिल है कि संबंधित माल के मुक्त आयात की भी अनुमति दी गई थी, चाहे वह किसी भी मूल्य का हो।

76.1 . हरगोविंद दास के. जोशी *(ऊपर)* में निर्णय से, यह है

यह पता नहीं चला है कि माल *(ज़िप फास्टनर)* किस कारण से ज़ब्त किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में

उस समय, वस्तु के मुक्त आयात की भी अनुमति दी गई थी। जो भी हो, इस न्यायालय ने उसमें जो पाया वह यह था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को हटा दिया गया था

जब्ती और केवल उसी कारण से, मामला हटा दिया गया था। उक्त निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि जब्ती के प्रत्येक मामले में, निश्चित रूप से, विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा जुर्माने के भुगतान द्वारा मोचन का विकल्प देना। हमारे विचार में उक्त निर्णय आयातकों के पक्ष में कोई मामला नहीं बनाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

76.2 . वास्तव में, हरगोविंद दास के. जोशी *(ऊपर)* में की गई टिप्पणियां वर्तमान अपीलों में मूल आदेशों के खिलाफ काम करती हैं क्योंकि उसमें, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माल को जब्त करने के लिए उत्तरदायी पाए जाने के बाद, तुरंत आगे बढ़ गया जैसे कि ज़ब्त करने के बदले जुर्माने के भुगतान का विकल्प दिया जाना

चाहिए और अपने पास उपलब्ध विवेकाधिकार के दूसरे हिस्से पर विचार नहीं किया कि माल भी हो सकता है। पूरी तरह से जब्त कर लिया गया।

77. इस प्रकार, ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए केरल उच्च न्यायालय ने समान वस्तुओं की पूर्ण जब्ती को मंजूरी दे दी है।

कृषि *(उपर्युक्त)* मामले में इस न्यायालय का निर्णय और माल जारी करने के लिए न्यायाधिकरण के आदेश को अस्थिर पाए जाने के बाद। गर्ग वूलन मिल्स *(ऊपर)* के मामले में, इस न्यायालय ने धोखाधड़ी शामिल होने पर पूर्ण जब्ती को मंजूरी दी। हरगोविंद दास के. जोशी *(ऊपर)* में, जब सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125 (1)* के विवेकाधिकार के एक हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया था, तो इस न्यायालय ने विवेक के उचित प्रयोग के लिए मामले को हटा दिया।

78. यह सच है कि, आम तौर पर, जब किसी वैधानिक प्राधिकरण को विवेक के साथ निवेश किया जाता है, तो उसे उस प्राधिकरण द्वारा प्रयोग के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

लेकिन वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण कारक यह हैं कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अन्य उपलब्ध विकल्प की परवाह किए बिना एक विशेष तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग किया था और अपीलीय प्राधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग पूरी तरह से पाया है।

अनुचित। दी गई परिस्थितियों में, यहां तक कि हरगोविंद दास के. जोशी के मामले में अपनाया गया पाठ्यक्रम *(*मामले को प्रेषित करने के लिए*)* विवेकाधिकार के छोड़े गए हिस्से पर विचार*)* को वर्तमान अपीलों में अपनाया नहीं जा सकता है और यह अपरिहार्य हो जाता है कि अंतिम निर्णय लिया जाए।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125* के तहत विषय वस्तुओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है।

79. जैसा कि देखा गया है, विवेक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और गंभीर अभ्यास है, जिसे तर्कसंगत और सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे कानून द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए; तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार होना चाहिए; और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होना चाहिए। खोज यह पता लगाने के लिए होनी चाहिए कि क्या उचित है। इसके अलावा, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्य करने वाला एक प्राधिकरण, जब

इसकी धारा *125* द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह का अभ्यास ऐसी शक्ति प्रदान करने के अंतर्निहित उद्देश्य की पूर्ति को आगे बढ़ाने के लिए है। निषिद्ध वस्तुओं के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास ऐसा विवेकाधिकार छोड़ने के पीछे का उद्देश्य

जाहिर है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि माल को छोड़ने या पूरी तरह से जब्त करने के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी फायदे और नुकसान को तौला जाएगा।

80. ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए यह स्पष्ट है कि मूल दिनांक *28.08.2020* वाले आदेशों को नहीं कहा जा सकता है विवेक के उचित अभ्यास में पारित किया गया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण इस बात पर विचार करने के लिए भी नहीं रुका कि क्या पूर्ण जब्ती का दूसरा विकल्प है।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा *125 (1)* के पहले भाग के अनुसार अपने विवेकाधिकार पर इसके लिए उपलब्ध था और आगे बढ़ा जैसे कि उसे विकल्प देना है

ज़ब्ती के बदले जुर्माने का भुगतान। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विवेकाधिकार का इस तरह का प्रयोग सचेत होने के बजाय अनुमानात्मक और अनुष्ठानिक प्रकृति का था और साथ ही लागू होने वाले नियमों का सावधानीपूर्वक पालन भी था।

सिद्धांत। दूसरी ओर, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा है कि इस बात के कारण कि वर्तमान मामले में पूर्ण जब्ती का विकल्प ही विवेक का एकमात्र उचित प्रयोग क्यों था। हम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कारणों को, विशेष रूप से दिनांकित *(*आई. डी. *1)* में आदेश के पैराग्राफ *54.3* में *(*ऊपर पैराग्राफ *38.2* के बिंदु 'सी' में पुनः प्रस्तुत*)* पूरी तरह से विवेकाधिकार के प्रयोग के सिद्धांतों के अनुरूप पाते हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर इंगित किया गया है और इस मामले के तथ्यों और विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।

81. यह पता लगाने के लिए शायद ही किसी विस्तार की आवश्यकता है कि वर्तमान मामलों में शामिल निषेध, के आयात की अनुमति नहीं है

एक विशेष मात्रा से परे विचाराधीन वस्तुएं, एक निषेध सरलीकरण नहीं थी। यह आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रदान किया गया था

एक ओर किसानों के हितों और दूसरी ओर आयातकों के हितों को संतुलित करना। घरेलू बाजार में इन प्रतिबंधित वस्तुओं के किसी भी प्रवाह का देश की बाजार अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। पिछले वर्ष में इस तरह के अनुचित आयात का व्यापक प्रभाव

अंतरिम आदेशों की आड़ में इस न्यायालय द्वारा कृषि *(*उपर्युक्त*)* मामले में व्यापक रूप से ध्यान दिया गया था। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि आयात प्रामाणिक नहीं थे और आयातकों द्वारा केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए थे।

अनुचित आयात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों और विशेष रूप से किसानों के हितों के खिलाफ हैं। इन मामलों में विवेक का प्रयोग किस दिशा में किया जाना चाहिए, यह पता लगाने के लिए केवल यही कारक पर्याप्त है। जब आयातकों के व्यक्तिगत व्यावसायिक हित सार्वजनिक हित से टकराते हैं, तो पहले वाले को, जाहिर है, दूसरे को रास्ता देना पड़ता है। इसके अलावा, यह कहने के लिए एक लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि यदि अत्यधिक अनुचित रूप से आयातित मटर/दालों को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बाजार में, अधिसूचनाओं का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रोव इम्पेक्स एलएलपी और

ओआरएस। *[*दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

दूरगामी प्रभाव वाले वर्तमान प्रकृति के मामलों में विवेकाधिकार

कानून के उल्लंघन के साथ-साथ ईमानदारी की कमी और विवेकाधिकार का एकमात्र उचित प्रयोग पूर्ण जब्ती और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दागदार सामान भारतीय बाजारों में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे आयातकों पर जुर्माना लगाना और उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाना, जो माल के कुछ हिस्से को जारी करने में सक्षम रहे हैं, स्पष्ट रूप से आवश्यक है।

83. चर्चा के इस भाग को समाप्त करने से पहले, हम फिनेस क्रिएशन इंक के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं।

84. इसलिए, तथ्यों पर और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर देखा गया है और विस्तारित किया गया है, विवेकाधिकार केवल जुर्माना लगाने के साथ पूर्ण जब्ती के लिए हो सकता है। अधिक से अधिक, पुनः के लिए एक विकल्प आयातकों को निर्यात दिया जा सकता है और वह भी मोचन जुर्माने के भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन पर। इन मामलों की सुनवाई के दौरान पारित किए गए *18.03.2021* दिनांकित आदेश में यह विकल्प हमने पहले ही खुला छोड़ दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

85. हमने ऊपर जो देखा है, उसके लिए मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेशों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। आवश्यक परिणाम के रूप में, *24.12.2020* दिनांकित आदेश-इन-अपील अनुमोदित होने के योग्य हैं। हालाँकि, इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले, कुछ और पहलुओं की आवश्यकता है -

निपटा लिया।

आयातकों द्वारा इक्विटी का आह्वान

हानि और यहाँ तक कि वस्तुओं का पुनः निर्यात भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। *86.1 .* इक्विटी का आह्वान करने वाली प्रस्तुतियों के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि इक्विटी की विभिन्न ऐसी विशेषताओं को ध्यान में रखा गया था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, मूल दिनांक *28.08.2020* के आदेशों में और उच्च न्यायालय द्वारा, माल की रिहाई का निर्देश देते हुए दिनांक *15.10.2020* के विवादित आदेश में। हम पहले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अस्वीकार कर चुके हैं। इसलिए, इन आयातकों द्वारा इक्विटी के नाम पर कोई नरमी का दावा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इन मामलों में इक्विटी के किसी भी आह्वान को कृषि *(ऊपर)* में इस न्यायालय द्वारा प्रामाणिक आयात के दावे की विशिष्ट अस्वीकृति को देखते हुए भी खारिज कर दिया जाता है। एक बार जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि किसी विशेष कार्रवाई की ईमानदारी से आवश्यकता है, तो अपराधी उसी कार्रवाई के संबंध में समानता में किसी भी राहत का दावा नहीं कर सकता है। दावेदार में ईमानदारी की अनुपस्थिति और उसका इक्विटी का दावा असंगत रहता है और एक साथ खड़ा नहीं हो सकता है।

86.2 . हस्तक्षेप करने वालों की ओर से खुले तौर पर दिए गए सुझाव कि दालों की मांग और आपूर्ति गतिशील है और स्थिर प्रकृति की नहीं है, केवल खारिज किए जाने के लिए नोट किए गए हैं। हमारे विचार में, मांग और आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य रूप से नीतिगत निर्णय का विषय है।

सरकार। आयातकों द्वारा इस तरह की प्रस्तुतियों के साथ किसी भी इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, यदि, किसी भी कारण से, विषय वस्तुओं की कोई खेप जारी की गई है, तो ऐसी रिहाई कानून के अनुसार नहीं थी और उस आधार पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता था।

86.3 . इसलिए, इक्विटी में राहत की मांग करने वाली सभी प्रस्तुतियों को अस्वीकार किया जाना आवश्यक है।

वैधानिक अपील के लिए मुद्दों को खुला रखने के लिए प्रार्थना

87. हमनें प्रार्थना करने पर भी विचार किया है

आयातकों के लिए सी. ई. एस. टी. ए. टी. में आगे की वैधानिक अपील का अवसर खुला है।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

हालांकि सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह की प्रार्थना में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, लेकिन हमारा विचार है कि पृष्ठभूमि और प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कम से कम हमारे सामने उत्तरदाताओं के संबंध में मुकदमेबाजी के आगे के दौर के लिए किसी भी स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है; और मामलों को एक अंतिमता दी जानी चाहिए।

88. जहाँ तक आयातक मेसर्स का संबंध है। राज ग्रो इम्पेक्स, जैसा कि देखा गया है, आदेश-इन-अपील को एक नए रिट के माध्यम से जानबूझकर चुनौती दी गई थी

सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष अपील के वैधानिक उपचार की उपलब्धता से अवगत होने के बावजूद उच्च न्यायालय में याचिका। इस बारे में कोई ठोस और प्रशंसनीय कारण सामने नहीं आ रहा है कि उसने अपील के नियमित उपचार से बचने का विकल्प क्यों चुना, सिवाय इसके कि वह तीन प्रवेश पत्रों के तहत सामान जारी करने के बाद शेष सामान *(*सात प्रवेश पत्रों के तहत*)* जारी करने की तीव्र इच्छा रखता था और उस प्रयास में, आदेश को चुनौती देते हुए एक नई रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी दायर की।

88.1 . जहाँ तक माल की रिहाई का सवाल है, मामला तब समाप्त हो जाता है जब हमें पता चलता है कि माल

विचाराधीन अधिसूचनाएँ और कृषि *(*उपर्युक्त*)* मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूर्ण रूप से ज़ब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, ऐसी वस्तुओं में से किसी को भी जारी करने का कोई भी अनुरोध निरर्थक हो जाता है और इसे किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा मंजूर नहीं किया जा सकता है। बेशक, यह सच है कि अपीलीय प्राधिकरण ने जुर्माना एक लाख रुपये से बढ़ा दिया है। *1.485* करोड़ से रु। *5* लेकिन यह तथ्य कि इस आयातक ने प्रवेश के तीन बिलों द्वारा कवर किए गए माल को जारी कर दिया था और मामले के उस पहलू को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उचित परिपूर्ति के रूप में लेना आवश्यक था, हमारे विचार में, जुर्माने की राशि में कमी के किसी भी दावे के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करता है। इसे डालना

अलग तरह से, एक बार जब हम अपील में आदेश को मंजूरी दे देते हैं, तो इस आयातक द्वारा आगे अपील करने का कोई भी प्रयास व्यर्थ ही रहेगा।

89. जहाँ तक अन्य आयातक मेसर्स का संबंध है। हरिहर संग्रह का संबंध है, इसने अपने सभी आठ प्रवेश पत्रों द्वारा कवर किए गए माल को जारी किया था और इसलिए, इस मामले को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मोचन जुर्माने के विनियोग के साथ उचित परिपूर्ति के रूप में लिया गया था और दंड में वृद्धि। जैसा कि देखा गया है, इस आयातक ने हमारे सामने इस दलील के साथ मोचन जुर्माने के खिलाफ बहस करने का भी प्रयास किया है कि माल जब्त करने के लिए उपलब्ध नहीं था। न तो मोचन जुर्माना और न ही जुर्माने को रुपये से बढ़ाया गया। *2.34* करोड़ से रु। *10* करोड़ इस आयातक के कार्यों से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से कम

कर सकते हैं। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश-इन-अपील, *[2021] 12* एस. सी. आर. की हमारी मंजूरी के साथ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आयातक द्वारा आगे अपील करने का कोई भी प्रयास भी व्यर्थ ही रहेगा। *90.* उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें दिनांकित *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील के खिलाफ अपील दायर करने के लिए किसी भी प्रार्थना की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिलता है।

संयोगवशः अनुदान या अस्वीकृति से संबंधित सिद्धांत

अंतरिम राहत

91. इन मामलों को समाप्त करते समय, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि वर्तमान विवाद का मूल कारण इतना नहीं था

विचाराधीन अधिसूचनाएँ क्योंकि यह राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों में थी। इसे शायद ही किसी विस्तार की आवश्यकता है कि केवल ऐसे अंतरिम आदेशों की आड़ में कि आयातकों ने आयात लेनदेन में प्रवेश किया जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक लेनदेन हुआ।

भारतीय बंदरगाहों तक पहुँचने वाली अधिसूचनाओं द्वारा अनुमत मटर/दालों की मात्रा। जैसा कि वर्तमान मामलों में देखा गया है, इस तरह से आयातित कुछ वस्तुओं को छोड़ दिया गया और आयुक्त *(*अपील*)* को उस पहलू को उचित रूप से पूरा करना पड़ा। इस न्यायालय द्वारा कृषि *(*ऊपर*)* में जो निर्णय दिया गया है, और आगे इस निर्णय में जो निर्णय दिया गया है, उसके लिए, विचाराधीन वस्तुओं को भारतीय बाजार में नहीं मिलाया जाना था। इस तरह के मिश्रण का स्पष्ट रूप से कृषि बाजार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत सरकार की नीति को विफल कर देता है। इस स्थिति से बचा जा सकता था और इससे बचा जा सकता था यदि अंतरिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित न्यायालय ऐसे अंतरिम आदेशों के निहितार्थ और प्रभाव पर विचार करने के लिए रुक जाते, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के रूप में काम करने वाले थे, जिसके तहत अपीलकर्ता माल को भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए बाध्य थे, भले ही अधिसूचनाएं ऐसे किसी भी आयात को प्रतिबंधित कर रही हों।

91.1 . वर्तमान मामलों में सामने आए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हम यह फिर से कहने के लिए प्रेरित हैं कि अंतरिम मंजूरी देने के बावजूद

राहत विवेक का विषय है, इस तरह के विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से और प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करने की आवश्यकता है।

92. विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए सामान्य सिद्धांतों के अलावा, जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है, कुछ विशिष्टताएँ जो इन मामलों के लिए विशिष्ट हैं -

अंतरिम राहत का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। बल्कि यह प्राथमिक बात है कि अंतरिम राहत देने के मामलों में, केवल वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में न्यायालय की संतुष्टि पर्याप्त नहीं

है। अन्य तत्व, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना, खाली औपचारिकता के नहीं हैं और अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। भारत और ओ. आर. एस. का संघ।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

अंतरिम राहत के मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और एक विशेष पाठ्यक्रम को अपनाते हुए, न्यायालय को अन्याय के जोखिम पर विचार करने की आवश्यकता है, यदि अंततः मुख्य मामले का निर्णय अंतरिम राहत देने या अस्वीकार करने के समय अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम के विपरीत है। हम उपयोगी रूप से फिल्म्स रोवर इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य में चांसरी डिवीजन के निर्णय में बताए गए प्रासंगिक सिद्धांत का उल्लेख कर सकते हैं। वी. कैनन फिल्म सेल्स लिमिटेडः *[1986] 3* सभी ई. आर. *772* निम्नानुसार हैंः -

"..... अंतर्वर्ती अनुदान के बारे में प्रमुख दुविधा

निषेधाज्ञा, चाहे निषेधात्मक हो या अनिवार्य, यह है कि

एक जोखिम को परिभाषित करें कि अदालत "गलत" निर्णय ले सकती है,

स्थापित करने में विफल रहने वाले पक्ष को निषेधाज्ञा देने की भावना

वैकल्पिक रूप से, सफल होने वाले पक्ष को निषेधाज्ञा देने में विफल रहने में
(या सफल होंगे*)* मुकदमे में। इसलिए एक मौलिक सिद्धांत है

कि अदालत को जो भी रास्ता अपनाना प्रतीत हो उसे अपनाना चाहिए
अन्याय का कम जोखिम यदि यह होना चाहिए था

"जिस अर्थ में मैंने वर्णन किया है, वह गलत है। के लिए दिशा-निर्देश

दोनों प्रकार के अंतर्वर्ती आदेशों का अनुदान प्राप्त होता है
यह सिद्धांत "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

92.1 . उक्त निर्णय में विभिन्न व्याख्याओं का उल्लेख करते हुए,

यह न्यायालय, दोराब कवासजी वार्डन बनाम के मामले में। कूमी सोराब वार्डन और अन्य। *: (1990) 2* एस. सी. सी. *117* को निम्नानुसार देखा गयाः -

"16. इस प्रकार अंतर्वर्ती अनिवार्य निषेधाज्ञाओं में राहत दी गई है
आम तौर पर पिछले की यथास्थिति को बनाए रखने या बहाल करने के लिए दिया जाता है

गैर-विवादित स्थिति जो लंबित विवाद से पहले तक थी

अंतिम सुनवाई जब पूर्ण राहत दी जा सकती है या मजबूर किया जा सकता है

उन कार्यों को पूर्ववत करना जो अवैध रूप से किए गए हैं या पुनर्स्थापना

जिसकी शिकायत करने वाले पक्ष से गलत तरीके से ली गई थी।
लेकिन एक पक्ष को इस तरह का निषेधाज्ञा देने के बाद से जो

मुकदमे में अपने अधिकार को स्थापित करने में विफल रहता है या विफल रहता है

पार्टी के लिए बड़ा अन्याय या अपूरणीय क्षति जिसके खिलाफ

जो सफल होता है या सफल होता है वह समान रूप से महान हो सकता है
अन्याय या अपूरणीय क्षति, अदालतों ने कुछ निश्चित रूप से विकसित किया है

दिशानिर्देश। आम तौर पर बताए गए ये दिशानिर्देश हैं:

(1) वादी के पास मुकदमे के लिए एक मजबूत मामला है। अर्थात्, यह एक का होगा

एक प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में उच्च मानक जो सामान्य रूप से आवश्यक है

निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए।
(2) अपूरणीय या गंभीर चोट को रोकना आवश्यक है जो

आम तौर पर धन के संदर्भ में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

(3) सुविधा का संतुलन चाहने वाले के पक्ष में है।
ऐसी राहत।

17. अनिवार्य रूप से एक न्यायसंगत राहत होने के नाते अनुदान या अस्वीकृति

अंतर्वर्ती अनिवार्य निषेधाज्ञा अंततः ध्वनि पर निर्भर करेगी।

न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए

प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ। हालांकि उपरोक्त दिशानिर्देश

न तो संपूर्ण नियम हैं और न ही पूर्ण या निरपेक्ष नियम हैं।

असाधारण परिस्थितियों में कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें लागू करना
इस तरह के आदेशों के अनुदान या अस्वीकृति के लिए पूर्व शर्त के रूप में

न्यायिक विवेक का एक अच्छा अभ्यास हो "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर*)*

93. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सरल में से एक

मौद्रिक शर्तों और, आमतौर पर, एक अपूरणीय के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक अन्य सरल लेकिन प्रासंगिक प्रश्न सुविधा के संतुलन के तत्व से संबंधित होता; और उसी के एक सरल उत्तर से आगे पता चलता कि विचाराधीन अधिसूचनाओं के कारण आयातकों को होने वाली असुविधा अपीलार्थियों को होने वाली असुविधा की तुलना में बहुत कम थी। *(* राष्ट्रीय हित पर अंतिम प्रभाव के साथ*)* यदि अधिसूचनाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई थी और इस तरह, भारत के बाजारों को उक्त आयातित मटर/दालों की अत्यधिक मात्रा से भर जाने दिया गया था।

94. वास्तव में, पहले पारित किए गए स्थगन आदेशों का परिणाम

इस न्यायालय द्वारा कृषि *(*उपरोक्त*)* मामले में वर्षों को विधिवत देखा गया था; और दुर्भाग्य से, भारत संघ और ओ. आर. एस. की अधिसूचनाओं के संबंध में पारित अंतरिम आदेशों की आड़ में किए गए आयात के कारण बाजारों में कमोबेश वही प्रतिकूल परिणाम मंडरा रहे थे।

वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी एंड ओआरएस। *[* दिनेश माहेश्वरी, जे।*]*

29.03.2019 . हमारे विचार में, ऐसा होने की संभावना नहीं थी यदि रिट याचिकाओं में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाओं पर विचार करते समय सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति से संबंधित भौतिक कारकों को ध्यान में रखा गया था। जैसा कि देखा गया है, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में, कृषि *(*उपरोक्त*)* में घोषणा की थी कि आयातकों को अंतरिम आदेशों की आड़ में आयात को प्रभावी बनाने में किसी भी प्रामाणिक विश्वास के तहत नहीं कहा जा सकता है और उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि अगर इन मामलों में कोई अंतरिम राहत देने से पहले निहितार्थ को ध्यान में रखा जाए तो इन सब से बचा जा सकता है। *95.* हमें अंतरिम राहत देने या देने से इनकार करने से संबंधित मामलों के संबंध में टिप्पणियों का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है और हम इसे बंद कर देंगे।

ऊपर उल्लिखित सिद्धांतों को दोहराते हुए चर्चा करें।

सारांश *96.* जिन पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, इन अपीलों के लिए

अनुमति दिए जाने के योग्य हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करते हुए और अपील में आदेशों को मंजूरी देते समय, विचाराधीन माल को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, लेकिन आवश्यक मोचन जुर्माने के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमति देने में छूट के साथ और आयातक द्वारा अन्य वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के अधीन। प्रतिवादी-आयातक अनुचित आयात के लिए जिम्मेदार होने के साथ-साथ वर्तमान मुकदमेबाजी के लिए भी, अन्य परिणामों के अलावा, भारी लागत के साथ बोझिल होने के योग्य हैं।

निष्कर्ष और निर्देश

97. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए:

(क*)* इन अपीलों की अनुमति है;

(ख*)* उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका *(*एल*)* सं. में पारित दिनांक *15.10.2020 (*दिनांक *09.12.2020* के संशोधन आदेश के साथ पढ़ा गया*)* का विवादित आदेश। *3502-3503 2020* को दरकिनार कर

दिया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिकाओं-आयातकों को खारिज कर दिया जाता है; *(ग) 2021* की रिट याचिका *(एसटी)* संख्या *24* में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक *05.01.2021* के विवादित अंतरिम आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है और उक्त रिट याचिका इस निर्णय द्वारा शासित होगी;

(घ) संबंधित अपीलों में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक *24.12.2020* के आदेश-इन-अपील को मंजूरी दी जाती है और परिणामस्वरूप, आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक *28.08.2020* में प्रत्यर्थी-आयातकों के संबंधित मामले रद्द कर दिए गए हैं; *[2021] 12* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) इस न्यायालय द्वारा अपील में आदेशों को मंजूरी दिए जाने के बाद, माल को जारी करने के साथ-साथ जुर्माने की मात्रा के सवाल भी इस फैसले के साथ समाप्त हो गए हैं और इसलिए, रखने के लिए प्रार्थना

आगे की वैधानिक अपील का विकल्प अस्वीकार कर दिया गया है; और

(च) विषय वस्तुओं को पूर्ण रूप से ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन इन अपीलों में दिनांकित आदेश की निरंतरता में, यह प्रावधान किया गया है कि यदि संबंधित आयातक आज से दो सप्ताह की अन्य अवधि के भीतर पुनः निर्यात का विकल्प चुनता है, तो पुनः निर्यात के लिए ऐसी प्रार्थना की वसूली के बाद अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।

आवश्यक मोचन जुर्माना और अन्य वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले आयातक के अधीन। यदि ऐसा कोई विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता है

आज से दो सप्ताह बाद माल पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा।

98. हस्तक्षेप करने वालों से संबंधित मामले भी इस निर्णय के निष्कर्षों और उनके संबंध में उचित आदेशों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

प्राधिकरणों/न्यायालयों द्वारा पारित किया जाएगा, जहां भी विषय वस्तुओं से संबंधित उनके मामले लंबित हैं, लेकिन दंड सहित केवल देय राशि की मात्रा के संबंध में आगे की अपील के उनके विकल्प खुले हैं। *99.* प्रत्यर्थी-आयातक अपीलार्थियों को इस मुकदमे की लागत का भुगतान करेंगे, जिसकी मात्रा रु। *2,00,000/-* (दो लाख रुपये) प्रत्येक।

100. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस